लोक-सभा वाद-विवाद

गुरुवार,
१५ दिसम्बर, १९५५

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ७: १९५५

(२१ नवम्बर से २३ दिसम्बर, १९५५)

1st Lok Sabha

ग्यारहवां सत्र, १९५५

(खंड ७ में अंक १ से अंक २६ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[खंड ७—२१ नवम्बर से २३ दिसम्बर, १९५५]

अंक १—सोमवार, २१ नवम्बर, १९५५

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण ३६९५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ३, ५ से २५, २८, २९, ३१ और ३२ . ३६९५–३७३९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४, २६, २७, ३०, ३३ से ४५ . . ३७३९–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २४ . . . . ३७५०–६४

दैनिक संक्षेपिका ३७६५–७०

अंक २—मंगलवार, २२ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६ से ५१, ५३ से ६३, ६५ से ६९, ७१, ७२, ७४ और ७५ . . . . . ३७७१–३८१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३, ७६ से ८३, ८५ से ९१ और ९३ से ९७ . ३८१४–२७

अतारांकित प्रश्न संख्या २५ से ५४ . . . ३८२७–४६

दैनिक संक्षेपिका ३८४७–५०

अंक ३—बुधवार, २३ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८ से १०५, १०८, १३६, १०७, १०९ से ११९, ११३, ११७ से १२२, १२४ से १२६, १२८ . . . ३८५१–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६, ११२, ११४ से ११६, १२७, १२९ से १३५, १३७ से १४७ . . . . . ३८८८–३९०४

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५ से ६८ और ७० . . . ३९०४–१२

दैनिक संक्षेपिका ३९१३–१६

अंक ४—गुरुवार, २४ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १६१, १६३, १६४, १६७ से १७०, १७२, १७४, १७६ से १८३, १८५, १८७ और १८९ . . . ३९१७–६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६५, १७५, १८४, १९०, १९२ और १९३ . ३९६१–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१ से ८१ और ८३ से ९० . . ३९६४–७८

दैनिक संक्षेपिका ३९७९–८०

अंक ५—शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९४ से १९६, १९८, १९९, २०१, २०४ से २०६, २०९ से २१७, २२० से २२५ . . . . ३९८१–४०२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९७, २००, २०३, २०७, २०८, २१८, २१९, २२६ से २४० . . . . . ४०२२–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२ से १२६ . . . . ४०३६–५८

दैनिक संक्षेपिका ४०५९–६४

अंक ६—सोमवार, २८ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २४६, २५१, २५२, २५६, २५८, २६०, २६२ से २६४, २६६, २६९, २४१, २४७, २५३, २५७, २५९, २६१, २६५, २६७, २४८, २५५ और २४९ . . . ४०६५–४१०५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . . ४१०५–१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २५०, २५४ और २६८ . . . ४११३–१४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२७ से १४८ . . . . ४११४–२६

दैनिक संक्षेपिका ४१२७–३०

अंक ७—बुधवार, ३० नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७०, २७१, २७३ से २७६, २७८, २८४, २७९, २८२, २८३, २८५ से २९५, २९७ से ३०१ . . . ४१३१–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७२, २७७, २८०, २८१, २९६, ३०३ से ३१० और ३१२ . . . . . ४१७४–८२

अतारांकित प्रश्न संख्या १४९ से १७० . . . ४१८३–९६

दैनिक संक्षेपिका ४१९७–४२००

अंक ८—गुरुवार, १ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१३, ३१५ से ३१७, ३१९, ३२०, ३२२ से ३२४, ३२७ से ३३०, ३३२ से ३३६, ३३८, ३३९, ३४१ से ३४३, ३४५ से ३४७ और ३४९ से ३५२ . . . . . ४२०१–४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१४, ३१८, ३२१, ३२५, ३२६, ३३१, ३३७, ३४०, ३४४, ३४८ और ३५४ से ३७७ . . . ४२४५–६५

अतारांकित प्रश्न संख्या १७१ से १७३ और १७५ से २१६ . ४२६६–९८

दैनिक संक्षेपिका ४२९९–४३०६

अंक ९—शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३७८ से ३८१, ३८३, ३८५, ३८७ से ३८९, ३९१, ३९२, ३९४ से ३९९, ४०१, ४०३, ४०४, ४०६, ४०७, ४०९ से ४१५ ४३०७–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८२, ३८४, ३८६, ३९०, ३९३, ४००, ४०२, ४०५, ४०८, ४१६ से ४२६ और १२३ . . . ४३५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २१७ से २३७ . ४३६१–७४

दैनिक संक्षेपिका ४३७५–८०

अंक १०—शनिवार, ३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२७ से ४२९, ४३१, ४३३ से ४३६, ४३९, ४४३, ४४४, ४४६ से ४५१, ४५४, ४५५ और ४७६ . . ४३८१–४४२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३०, ४३२, ४३७, ४३८, ४४० से ४४२, ४४५, ४५२, ४५३, ४५६ से ४७५, ४७७ से ४८४, १७१, १८८ और १९१ ४४२३–४६

अतारांकित प्रश्न संख्या २३८ से २६३ . . . ४४४६–६०

दैनिक संक्षेपिका ४४६१–६६

अंक ११—सोमवार, ५ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८५, ४८८, ४९० से ४९२, ४९४, ४९५, ४९७ से ५०१, ५०४ से ५०६, ५१२, ५१४ से ५१६, ५१८, ५२१, ५२२, ५२५, ५३० और ५२६ . . . . . ४४६७–४५०८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८७, ४८९, ४९३, ४९६, ५०२, ५०३, ५०७ से ५११, ५१३, ५१९, ५२०, ५२४, ५२७, ५२८, ५२९, ५३१ से ५३७ ४५०८–२३

अतारांकित प्रश्न संख्या २६४ से ३०७ . . . ४५२३–५२

दैनिक संक्षेपिका ४५५३–५८

अंक १२—गुरुवार, ६ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५४०, ५४४ से ५४६, ५४८, ५४९, ५५१, ५५३, ५५९ से ५६३, ५६५ से ५६८, ५७० से ५७४, ५७७ से ५८३ और ५४७ ४५५९–४६०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५४१, ५४२, ५४३, ५५०, ५५२, ५५५, ५५६ से ५५८, ५६४, ५६९, ५७५, ५७६ ४६०५–१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०८ से ३३२ ४६१२–२८

दैनिक संक्षेपिका ४६२९–३४

अंक १३—बुधवार, ७ दिसम्बर १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८४ से ५८७, ५८९ से ५९८, ६०० से ६०४ और ६०६ . . . . ४६३५–७४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ४६७४–७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८८, ५९९, ६०५, ६०७ से ६३० और ३०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३३ से ३६२ . . . . ४६९३–४७१२

दैनिक संक्षेपिका ४७१३–१८

अंक १४—गुरुवार, ८ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३१, ६३२, ६३४, ६३५, ६३७, ६३९ से ६४१, ६४३ से ६४५, ६४७ से ६४९, ६५१, ६५३ से ६५९, ६६१, ६६३, ६६४, ६८१, ६६६, ६६८ और ६६९ ४७१९–६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३३, ६३६, ६३८, ६४२, ६४६, ६५०, ६५२, ६६० ६६२, ६६५, ६६७, ६७० से ६८०, ६८२ से ६८७ . . ४७६४–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ३९७ . . . . ४७८०–४८०४

दैनिक संक्षेपिका ४८०५–१०

अंक १५—शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८८ से ६९०, ६९२, ६९४ से ६९७, ६९९, ७०१, ७०३, ७०५ से ७०८, ७११ से ७१३, ७१५ से ७१९, ६९८ और ७०२ ४८११–५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९१, ६९३, ७००, ७०४, ७०९, ७१० और ७१४ ४८५२–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९८ से ४२० ४८५६–७०

दैनिक संक्षेपिका ४८७१–७४

अंक १६—सोमवार, १२ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२१, ७२२, ७२५ से ७३२, ७३४, ७३८ से ७४०, ७४३ से ७४६, ७४८ से ७५०, ७२४, ७३५ और ७२३ . . ४८७५–४९१६

प्रश्नों के लिखित उत्तर— . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ७२०, ७३३, ७३६, ७३७, ७४१, ७४२ और ७४७ ४९१६–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२१ से ४४० . . . . ४९२१–३६

दैनिक संक्षेपिका ४९३६–४०

अंक १७—मंगलवार, १३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५२ से ७६१, ७६३ से ७७३, ७७५, ७७९, ७८०, ७८४ से ७८६, ७८८ और ७८९ . . . ४९४१–८५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . ४९८५–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५१, ७६२, ७७०क, ७७४, ७७६ से ७७८, ७८१ से ७८३, ७९० से ८०५ और ८०७ . . . . ४९८८–५००४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४१ से ४८९ . . . . ५००४–३२

दैनिक संक्षेपिका ५०३३–४०

अंक १८—बुधवार, १४ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८०९, ८१५ से ८१७, ८२०, ८२४, ८२५, ८२८ से ८३२, ८३४ से ८३६, ८३८, ८१४, ८१२, ८२३ और ८२७. ५०४१–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर— . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ८१०, ८११, ८१३, ८१८, ८१९, ८२१, ८२२, ८२६, ८३३ और ८३७ . . . . . ५०७५–८१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९० से ५२२ . . . . ५०८१–५१०६

दैनिक संक्षेपिका ५१०७–१०

अंक १९—गुरुवार, १५ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४०, ८४४ से ८४८, ८५०, ८५३ से ८५६, ८५८, ८५९, ८६१, ८६२, ८६४, ८६५, ८६७, ८७१, ८७३, ८७४, ८७६, ८७८ से ८८०क ५१११–५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८३९, ८४१ से ८४३, ८४९, ८५१, ८५२, ८५७, ८६०, ८६३, ८६६, ८६८ से ८७०, ८७२, ८७५, ८७७, ८८१ से ९९८ और १७३ . . ५१५४–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२३ से ५६१ . . . . ५१७०–९६

दैनिक संक्षेपिका ५१९७–५२०२

अंक २०--शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९१, ८९३, ८९४, ८९६, ८९७, ८९९ से ९०५, ९११ से ९१३, ९१५, ९१७, ९१९, ९२१ से ९२५, ९२७ से ९३१, ९३३ और ९३५ से ९४० . ५२०३–४८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . ५२४८–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९०, ८९२, ८९५, ८९८, ९०६ से ९१०, ९१४, ९१६, ९१८, ९२०, ९२६, ९३२ और ९३४ . . ५२५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६२ से ६२७ . . . . ५२६१–५३१२

दैनिक संक्षेपिका ५३१३–२०

अंक २१--शनिवार, १७ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . ५३२१–२४

दैनिक संक्षेपिका ५३२५-२६

अंक २२--सोमवार, १९ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४४, ९४३, ९४५ से ९४८, ९५०, ९५१, ९५३ से ९५५, ९५७ से ९५९, ९६१, ९६२, ९६४, ९६७, ९६९ से ९७१, ९७३ और ९७५ . . . . ५३२७–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४१, ९४२, ९४९, ९५२, ९५६, ९६०, ९६३, ९६५, ९६६, ९६८, ९७३, ९७४, ९७६, ९७७, ९७८ और ९७९ ५३६८–७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२८ से ६५५ और ६५७ से ६६६] . . ५३७६–९८

दैनिक संक्षेपिका ५३९९–५४०२

अंक २३--मंगलवार, २० दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९८० से ९८४, ९८६ से ९८८, ९९० से ९९८, १०००, १००२ से १०११ . ५४०३–४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९८५, ९८९, ९९९, १००१, १०१२ से १०४४ ५४४६–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६७ से ७१४ और ७१६ से ७२३ ५४७०–५५०२

दैनिक संक्षेपिका ५५०३–१०

अंक २४--बुधवार, २१ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५ से १०५२, १०५५, १०५७, १०५९, १०६१ से १०६७, १०७० से १०७२, ३५३, १०७४, १०७५, १०७७, १०७८, ११०६, १०७९ से १०८५. ५५११–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०५३, १०५४, १०५६, १०५७, १०६०, १०६८, १०६९, १०७३, १०७६, १०८६ से ११०५, ११०७ से १११९, ५१७ ५५५७–८१

अतारांकित प्रश्न संख्या ७२४ से ८२५, ८२५-क, ८२६ से ८४५, ८४५क, ८४६ से ८६३ ५५८१–५६७०

दैनिक संक्षेपिका ५६७१–८२

अंक २५--गुरुवार, २२ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२० से ११२५, ११२७ से ११३६, ११३९ से ११५१ ५६८३–५७२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२६, ११३७, ११३८, ११५२ से ११६२ ५७२९–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८६४ से ९१४, ९१६ से ९३४ और ९३४-क ५७३६–८०

दैनिक संक्षेपिका ५७८१–८२

अंक २६—शुक्रवार, २३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६३, ११६४, ११६८, ११७०, ११७२ से ११८३, ११८५ से ११९०, ११९३ से ११९५. ५७८९–५८३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ और ७. ५८३४–३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६५ से ११६७, ११६९, ११७१, ११८४, ११९१, ११९२, ११९६ से १२०७. . . ५८३८–५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३५ से ९९५, ९९५-क, ९९६ से १०१२ और १०१४ . . . . ५८५२–५९०२

दैनिक संक्षेपिका ५९०३–१०

GIPND—NSH—477 LSD—1-3-58—175

लोक-सभा

गुरुवार, १५ दिसम्बर १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बन्दरों का निर्यात

*८४०. **श्री बहादुर सिंह :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० नवम्बर, १९५५ तक विदेशों को कितने बन्दरों का निर्यात किया गया है;

(ख) क्या उनके निर्यात के सम्बन्ध में अनेक विरोध पत्र प्राप्त हुये हैं ; और

(ग) क्या बन्दरों को इस देश में किसी लाभप्रद काम में प्रयुक्त किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जनवरी से सितम्बर, १९५५ तक १०७,१८२ बन्दरों का निर्यात किया गया है । अक्तूबर और नवम्बर, १९५५ के निर्यात के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हुये हैं ।

(ख) विरोध पत्र बहुत से प्राप्त हुये हैं परन्तु उनका कोई अभिलेख नहीं रखा जाता है ।

(ग) हां, डाक्टरी गवेषणा के लिये ।

श्री बहादुर सिंह : बन्दरों का निर्यात किन देशों को किया जाता है और किस देश ने सब से अधिक संख्या में बन्दरों की मांग की है ?

श्री करमरकर : सब से अधिक संख्या में बन्दर अमरीका भेजे गये हैं, जिसने एक लाख बन्दरों की मांग की है । जनवरी से सितम्बर, १९५५ तक ९१,४०९ बन्दर, जो सब से बड़ी संख्या है, अमरीका भेजे गये हैं और सब से कम अर्थात् पांच बन्दर नीदरलैण्ड भेजे गये हैं ।

श्री बहादुर सिंह : इन बन्दरों को भेजने से कितनी आय हुई है ?

श्री करमरकर : १९५५ में जनवरी से सितम्बर तक जितने बन्दर भेजे गये हैं, उनसे २३,९३,००० रुपये की आय हुई है ।

श्री बहादुर सिंह : क्या हमारी निर्यात सम्बन्धी नीति पर इन विरोध पत्रों का कोई प्रभाव पड़ा है ?

श्री करमरकर : वास्तविकता यह है कि लन्दन के हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद देखा गया कि बहुत से बन्दर मर गये हैं । इसलिये जो लोग जीवित प्राणियों को चीर-फाड़ के विरुद्ध हैं उन्होंने मानवी सहानुभूति के आधार पर विरोध पत्र भेजे । साथ ही वे यह भी अनुभव करते थे कि बन्दरों के साथ अकथनीय अत्याचार किया जाता है और दूसरी बात यह है कि अच्छी व्यवस्था के न होने के कारण बन्दरों को कष्ट बहुत होता था । इसलिये अब हमने यह किया है । विभिन्न दूतावासों के अभ्यावेदन तथा गवेषणा संस्थाओं की प्रार्थना पर, खाद्य और कृषि मंत्रालय के परामर्श से हमने उचित यह समझा कि बन्दरों को केवल एक निश्चित

संख्या में ही निर्यात करने दिया जाये और अनुमान किया गया है कि २,५०,००० बन्दरों का निर्यात सुविधा के साथ किया जा सकता है ।

श्री डाभी : डाक्टरी गवेषणा के परिणामस्वरूप क्या वास्तविक परिणाम निकाले गये हैं ?

श्री करमरकर : उनका कहना है कि परिणाम बहुत अच्छे हुये हैं और गवेषणा के लिये बन्दरों का प्रयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है विशेषतः कुछ बहुत ही कष्ट-साध्य रोगों के सम्बन्ध में ।

श्री बी० डी० पांडे : बन्दरों का निर्यात कर कौन रहा है--सरकार या व्यक्तिगत फर्में ?

श्री करमरकर : सरकार स्वयं ही बन्दरों का निर्यात नहीं करती है वह केवल बन्दरों के निर्यात की अनुज्ञा देती है ।

दिल्ली से संयुक्त राष्ट्र रेडियो का प्रसारण

***८४४. श्री गिडवानी** : : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र रेडियो ट्रांसमीटर, जो सरकार से समुचित अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना ही दिल्ली से प्रसारण किया करता था पाकिस्तान स्थित रावलपिंडी को स्थानान्तरित कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली में अब भी बिना किसी अनुज्ञप्ति के कुछ ऐसे छोटे छोटे ट्रांसमीटर हैं जहां से समाचार भेजे जा रहे हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने संयुक्तराष्ट्र अधिकारियों से इसके लिये समुचित अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिये कहा है : और

(घ) क्या उनका कोई उत्तर इस सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) (क) से (घ) संयुक्त राष्ट्र का ट्रांसमीटर १ जनवरी, १९५६ को नई दिल्ली से रावलपिंडी को भेजा जायेगा। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि भारत तथा पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सैन्य निरीक्षक दल से सम्बन्ध रखने वाले छोटे ट्रांसमीटरों से जो समाचार भेजे जाते हैं, उसके लिये अनुज्ञप्ति का होना आवश्यक है परन्तु अभी तक कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है ।

श्री गिडवानी : क्या यह सच है कि भारत सरकार का विचार यह था कि समुचित अनुज्ञप्ति के बिना एक रेडियो ट्रांसमीटर का प्रयोग करना हमारी राष्ट्रीय प्रभुता का उल्लंघन है और भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र से मांग की कि वह उचित अनुज्ञप्ति प्राप्त करे और ट्रांसमीटर का प्रयोग उन विनियमों के अनुसार करे, जो इस प्रयोजन के लिये निर्धारित हैं परन्तु उन्होंने ऐसी अनुज्ञप्ति लेने से इनकार कर दिया ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : राष्ट्रीय प्रभुता के उल्लंघन का कोई प्रश्न नहीं है। हो सकता है कि उन नियमों के उल्लंघन का कोई प्रश्न हो, जो इस सम्बन्ध में बनाये गये हैं। क़रारों के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र को, ऐसे ट्रांसमीटरों के प्रयोग करने के कुछ अधिकार प्राप्त हैं, उन्हीं अधिकारों के सम्बन्ध में कुछ वाद-विवाद चल रहा है । इस समय विवादास्पद प्रश्न यह है कि क्या वे इन ट्रांसमीटरों का प्रयोग अन्य प्रयोजनों के लिये भी कर सकते हैं । हम ने उन से कहा है कि वे बिना अनुज्ञाप्ति के इनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं हमने इनसे कहा है कि वे बिना अनुज्ञप्ति के इनका प्रयोग नहीं कर करते है । हम उनके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

श्री गिडवानी : क्या यह सच है कि दिल्ली से समाचार भेजने वाली सेवा का

उपयोग, केवल काश्मीर के झगड़े से सम्बन्धित समाचार भेजने के लिये ही किया जा रहा है ?

श्री जवहारलाल नेहरू : हमारा विचार है केवल इसी के लिये नहीं। हमने आपत्ति इसी के सम्बन्ध में की है।

श्री गिडवानी : क्या यह सच है कि व्यूनसआयर्स में होने वाले दूर संचार सम्मेलन ने एक प्रस्ताव पास किया है कि संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्थाओं को इस अधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिये ?

श्री सादत अली खां : हां १९५२ में व्यूनसआयर्स के सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्थाओं के टेलीग्राफ़िक यातायात के लिये संयुक्त राष्ट्र की दूर-संचार प्रणाली के प्रयोग के प्रश्न पर वादविवाद हुआ था। मेरा विचार है कि संकल्प संख्या २६ में उपबन्धित किया गया था कि संयुक्त राष्ट्र प्वाइन्ट-टू-प्वाइन्ट दूर-संचार संगठन का प्रयोग विशेष संस्थाओं के समाचार ले जाने के लिये वर्तमान दूर-संचार संगठन की प्रतियोगिता में नहीं किया जाना चाहिये।

श्री जोकीम आल्वा : इस ट्रांसमिटर के अनुचित– नहीं अवैध–प्रयोग करने के संबंध में क्या कोई क्षमा याचना की गई है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य ने मेरे उत्तर को समझा नहीं। इस विषय पर वादविवाद हो रहा है क्योंकि प्रश्न यह है कि जिस प्रयोजन के लिये ये लगाये गये हैं, उन के अतिरिक्त किसी प्रयोजन के लिये किये जाने वाले इन के प्रयोग को रोका जाये।

इस्पात सम्बन्धी टैकनीकल कर्मचारियों का प्रशिक्षण

*८४५. **डा० सत्यवादी** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री १३ सितम्बर, १९५५ में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तीन नये इस्पात संयंत्रों की मांग पूरी करने के लिये टैक्नीकल कर्मचारीयों की भर्ती तथा उनके प्रशिक्षण के लिये एक केन्द्रीय संघटन कायम करने के बारे में कितना काम किया जा चुका है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

मैं इतना और कहना चाहूँगा कि इसका निश्चय कर लिया गया है कि तीन इस्पात संयंत्रों के लिये भर्ती और प्रशिक्षण का काम एक केन्द्रीस्यअभिकरण द्वारा किया जाये ताकि सर्वोत्तम व्यक्ति उपलब्ध हो सके और उनका इन तीनों संयंत्रों के बीच एक उचित वितरण किया जा सके। टैक्नीकल प्रशिक्षण पर विचार करने के लिये एक विशेष कार्य पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है।

डा० मालवीय : क्या ऐसा कोई अन्दाज़ा लगाया गया है कि इन स्टील प्लान्ट्स (संयंत्रों) के लिये कितनी आदमियों की जरूरत होगी ?

श्री करमरकर : जी हां, इसका जवाब १३–९–५५ को सवाल नम्बर १७१२ का जवाब देते वक्त दिया गया था।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या ये व्यक्ति विश्व विद्यालयों से परीक्षा पास किये हुए इंजीनियर होंगे अथवा विश्वविद्यालयों में पाठयक्रम को उन्नत करके, या कारखानों और वर्कशापों में ही, उनको और आगे प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

श्री करमरकर : जैसा कि मैंने कहा, इस बात पर विचार किया जा रहा है कि उनको कहां प्रशिक्षण दिया जाये। मैं इस उत्तर को दुहराते हुये यह बता देता हूँ कि अनुमानत : निम्नलिखित इंजीनियरों की आवश्यकता पड़ेगी :

(१) १२० अनुभवी इंजीनियर, जिनको उच्च प्राविधिक निदेशन का कार्यभार सौंपा जायेगा;

(२) १,२०० योग्य इंजीनियर ;

(३) विभिन्न श्रेणियों के १०,००० कुशल श्रमिक, जिनको भारत में प्रशिक्षण दिया जायेगा ; और

(४) ७,००० अर्ध कुशल श्रमिक।

सरकारी प्रैस

*८४६. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **निर्माण, आवास, और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : ;

(क) कितने सरकारी प्रैसों का पुनर्गठन किया गया है और उनके कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है; और

(ख) क्या यह सच है कि फोटो लिथो प्रिंटिग प्रैस (नई दिल्ली) के लिये एक नई मशीनरी मंगायी गई और उसमें लगाई गई है?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) पांच प्रैसों का पुनर्गठन किया गया है और उनके कर्मचारीयों की संख्या में वद्धि की गई है ।

(ख) नहीं, श्रीमान्। इस प्रैस के लिये जिस नई मशीनरी का आदेश दिया गया था, वह प्राप्त होने वाली है और जल्दी ही उसमें लगा दी जायेगी ।

पंडित डी० एन० तिवारी : इस नई मशीनरी की कितनी क्षमता होगी और वह कितनी दक्षता के साथ काम कर सकेगी तथा क्या प्रैसों का पुनर्गठन करने तथा उनके कर्मचारीयों की संख्या बढ़ाने से काम अधिक दक्षता पूर्ण होगा ?

सरदार स्वर्ण सिंह : हां, श्रीमान्, पुनर्गठन करने का यही प्रयोजन है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : कर्मचारीयों की संख्या में वृद्धि होने के बाद भी संसद की कार्यवाही संबंधी पत्रों के देर से छपने तथा हमारे पास बहुत देर से भेजे जाने के क्या कारण हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं प्रश्न की पूरी तरह से नहीं समझ पाया ।

पंडित डी० एन० तिवारी : यदि प्रैसों का पुनर्गठन किया जा चुका है तथा उनके कर्मचारीयों की संख्या बढ़ाई जा चुकी है, तो फिर संसद की कार्यवाही संबंधी पत्र हमारे पास एक वर्ष अथवा नौ महीने के बाद क्यों भेजे जाते हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : १९५२ में संसदीय कार्य के लिये नई दिल्ली प्रेस में एक पृथक विभाग खोला गया था। पहले इस विभाग में ५०,००० पृष्ठ प्रति वर्ष छापे जाते थे, किन्तु अब उसकी क्षमता ढाई लाख पृष्ठ प्रति वर्ष की जा रही है और उस पर अनुमानतः ३६.६६ लाख पये खर्च होंगे । जैसे ही यह विस्तार हो जायेगा, वैसे ही स्थिति काफी सुधार जायेगी ।

पंडित डी० एन० तिवारी : : यह विस्तार कब तक हो जायेंगे ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इस बारे में ठीक समय बताना बहुत कठिन हैं, किन्तु हम इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही विस्तार हो जाये ।

श्री ए० एम० थामस : यह जो प्रस्थापना की गई है कि दक्षिण में बंगलौर में कहीं पर एक सरकारी प्रेस स्थापित किया जाये, तो क्या यह विद्युत की कमी के कारण सम्भव नहीं है और क्या सरकार के समक्ष कोई अन्य वैकल्पिक प्रस्थापना भी है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इस मामले पर विचार किया जा रहा है और अनेक स्थानों की यह मालूम करने के लिये जांच की जा रही है कि दक्षिण में एक प्रेस स्थापित करने के लिये कौन सा स्थान सब से उपयुक्त रहेगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : अभी मंत्री महोदय ने बताया कि अलग से एक विंग खोल दिया गया है । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या

यह सच है कि इस विंग के होते हुय भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्ज़ ६–६ महीने और १११–१ महीने तक भी प्रिंट नहीं हो पाती ?

अध्यक्ष महोदय इसका जवाब तो उन्होंने दे दिया है.....

सरदार स्वर्णसिंह : मेरा ख्याल है इतनी ज्यादा देर तो नहीं लगती ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि जो पार्लियामेंट ी विंग बनाया गया है क्या उसको पार्लियामेंट सैक्रेटेरियेट के अधीन कर दिया जायेगा ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : ज़रूर पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । में स्थिति स्पष्ट करता हूं , क्योंकि इसका संबंध मेरे विभाग से भी है । समझोते के अनुसार प्रशासनिक नियन्त्रण लोक सभा सचिवालय को दिया गया है और हमें प्रत्येक बार स्वीकृति के लिये मंत्रालय के पास नहीं जाना पड़ेगा । मेरे विचार में मशीनरी और अन्य उपकरणों की कमी के कारण ही यह कठिनाई रही है । यदि मुझको ठीक स्मरण है, तो स्थिति यही है ।

श्री वेलायुधन : इसका उत्तरदायी कौन है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । अब हम अगला प्रश्न लेंगे ।

श्री धुलेकर : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ । जो की आर्गनाइज़ेशन (पुनगठन) हो रहा है, उसमें कितनी भाषाओं के लिये प्रबन्ध किया जा रहा है ? क्या इतने रिजन (प्रादेशिक भाषायें) हैं या नहीं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : हिन्दी का प्रबन्ध किया जा रहा है और रिजनल लैंगुएजिज़ का गवर्नमेंट आफ इंडिया के प्रैसों में फिलहाल कोई इन्तज़ाम करने का इरादा नहीं है ।

अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

***८४७. श्री डाभी :** क्या **उत्पादन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड पाटन (उत्तर गुजरात) के प्रसिद्ध पटोला के उत्पादकों को वित्तीय तथा अन्य सहायता देने का विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो वह सहायता किस रूप में और कितनी दी जायेगी ?

उत्पादन मंत्री के सभा सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) जी हां, ।

(ख) सरकार ने पटोला बुनने की कला के पुनरुत्थान के लिये अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को निम्नलिखित राशियां दी है :—

(१)	१९५४–५५	१०,६८५ रुपये
(२)	१९५५–५६	९,००० रुपये

१९५४–५५ के दौरान में जो धनराशि दी गई थी, वह सौराष्ट्र के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को दे दी गई थी । चालू वर्ष में दी गई निधि का उपयोग अभी नहीं किया गया है ।

श्री डाभी : क्या मैं यह समझ लूं कि यह सहायता पटोला बुनने के लिये दी जा रही है ?

श्री आर० जी० दुबे : जी हां ।

श्री डाभी : तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि पटोला बुनने में कितने कुटुम्ब संलग्न हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : जो जानकारी उपलब्ध है, उसके अनुसार वे बल दो कुटुम्ब ही ऐसे रह गये हैं, जो पटोला बुनने की इस विशिष्ट कला में लगे हुये हैं । सौराष्ट्र से खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने इस विशिष्ट कला में प्रशिक्षण देने के लिये एक विशेषज्ञ नियुक्त करने की कोशिश की है और राष्ट्रीय

शाला, राजकोट में इस सम्बन्ध में प्रबन्ध किये जा रहे हैं ।

श्री चट्टोपाध्याय : पटोला बुनने की इस महान कला को जीवित रखने के लिये कितने नये आदमियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ?

श्री आर० जी० दुबे : जैसा मैंने बताया, इस विशेष कला में पहले लगभग ७०० कुटुम्ब लग हुये थे किन्तु वे सारे कुटुम्ब अब समाप्त हो गये हैं और अब केवल दो रह गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे यह जानना चाहते हैं कि अभी तक इस कला में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है ?

श्री आर० जी० दुबे : प्रशिक्षण अभी हाल ही में प्रारम्भ किया गया है ।

मलाया में भारतीय

*८४८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलाया संघ और सिंगापुर कोलोनी में प्रत्येक भारतीय के लिये आकस्मिकता-विनियमों के अधीन एक पहचान पत्र रखना जरूरी है ;

(ख) क्या यह सच है कि यदि किसी भारतीय के पास पहचान पत्र नहीं होता है तो वह कैद किया जा सकता है और उसे दोषी ठहराया जा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, ।

(ग) मलाया में प्रत्येक व्यक्ति के लिये चाहे वह कहीं का भी हो, पहचान पत्र रखना जरूरी है । ऐसी हालत में भारत सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि इस मामले में कुछ भी किया जाये ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : कितने भारतीय इन पहचान पत्रों के न दिखाने पर विनियमों के अधीन दोषी ठहराये गये हैं ?

श्री सादत अली खां : मेरे पास इस समय उसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं यह और कह देना चाहता हूँ कि अब इन पहचान पत्रों का न होना कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं समझा जाता है । एक छोटा सा जुर्माना हो जाता है और उनसे पहचान पत्र लेने के लिये कह दिया जाता है । किन्तु सामान्य रूप से इस मामले में कोई बहुत बड़ा दंड नहीं दिया जाता है ।

अभ्रक

*८५०. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल ही में अमरीका सरकार ने ब्राजील के अभ्रक के मुकाबले में भारतीय अभ्रक का मूल्य कम कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां, ।

(ख) इसके ठीक ठीक कारणों का अभी पता नहीं चला है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या यह सच है कि भारतीय अभ्रक ब्राजील के अभ्रक से बुरा नहीं है ; फिर भी अमरीका ने भारतीय अभ्रक का मूल्य गिरा दिया है ?

श्री कानूनगो : यही हमारा कहना है; ब्राजील के अभ्रक का मूल्य अधिक है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या यह सच है कि अमरीका में भारतीय अभ्रक की मांग धीरे धीरे कम होती जा रही है ?

श्री कानूनगो : इसका एक कारण यह है कि अमरीका में अभ्रक के सम्बन्धों का जमा किया जाना बंद हो गया है ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : अमरीका के अलावा अन्य देशों के लिये अभ्रक का निर्यात बढ़ाने के बारे में सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

श्री कानूनगो : हमारे सारे व्यापार अभिकरण इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि बाहर देशों में भारतीय अभ्रक की मांग बढ़े ।

श्री बी० एस० मूर्ति : अभ्रक के निर्यात में कमी आ जाने के कारण कितने श्रमिकों की छटनी की गई है ?

श्री कानूनगो : मैं उसका उत्तर दे सकने की स्थिति में नहीं हूं ।

मिड लैण्डस् और बरमिंघम के ढलाईघर में भारतीय कर्मचारी

*८५३. **श्री एम० आर० कृष्ण :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिडलैन्डस् और बरमिंघम के ढलाईघर तथा श्रम कार्य में कितने भारतीय हैं;

(ख) क्या भारत सरकार किसी प्रकार से उनकी सहायता कर रही है; और

(ग) ये भारतीय कब से इंगलैण्ड में बसे हुए हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां): (क) इसके सम्बन्ध में कोई विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त नहीं हैं, लेकिन अनुमानतः मिडलैन्डस् में लगभग १०,००० भारतीय हैं, जिनमें से अधिकांश अप्रवीण श्रमिकों की तरह लाईघरों और फैक्टरियों में काम करते हैं ।

(ख) भारतीय उच्च आयुक्त कार्यालय के पदाधिकारी नियमित रूप से इंगलैण्ड के विभिन्न भागों के औद्योगिक केन्द्रों का दौरा करते हैं । इनमें मिडलैन्डस् और बरमिंघम नगर भी आ जाते हैं । वे वहां जाकर नित्य प्रति की समस्यायें सुलझाने के लिये भारतीय निवासियों, नगरपालिका के पदाधिकारियों और अन्य जन-कल्याण के संगठनों से मुलाकात करते हैं । भारतीय श्रमिकों के नगरों और अन्य निवासियों को संस्थायें बनाने के लिये भी प्रोत्साहित किया जाता है । मौजूदा भारतीय संस्थाओं और भारतीय विद्यार्थी संगटनों के सहयोग से अस्पतालों में पड़े हुए भारतीय मरीजों से मुलाकातें करवाने की व्यवस्था भी की जाती है । पश्चिमी मिडलैन्डस् के एक औद्योगिक नगर वैस्ट ब्रोमविच में पश्चिमी मिडलैन्डस् के १४ नगरपालिका-संगठनों, मौजूदा भारतीय संस्थाओं और भारतीय श्रमिक संस्था तथा जन कल्याण के कार्य में रुचि रखने वाली अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन भी किया गया था, जिसका उद्देश्य भारतीय जन-कल्याण परिषद् की स्थापना करना था ।

(ग) बरमिंघम और उसके आसपास के क्षेत्रों के अधिकांश फैक्टरी श्रमिक पिछले पांच वर्षों के दौरान में, फैक्टरी-श्रमिकों की कमी पड़ने के समय से ही इंगलैंड में आये हैं ।

श्री एम० आर० कृष्ण : मैं जानना चाहता हूँ कि इंगलैण्ड में स्थायी रूप से सपरिवार बस जाने वाले भारतीयों की संख्या कितनी है और उनके बच्चों को इंगलैंड में क्या शैक्षणिक सुविधायें दी जाती हैं ?

श्री सादत अली खां : भारतीय नागरिकों को राष्ट्रमंडल की नागरिकता मिली हुई है । इंगलैण्ड के प्राधिकारी इंगलैण्ड जाकर कई वर्षों से वहां बस जाने वाले भारतीयों का सरकारी तौर पर कोई हिसाब नहीं रखते । इस शुरू साल में, इंगलैंड में रहने वाले भारतीयों की संख्या के सम्बन्ध में जांच-

पड़ताल की गई थी, और अभी यह सूचना प्राप्त और संग्रहीत की जा रही है ।

श्री एम० आर० कृष्ण : मैं जानना चाहता हूँ कि उनके बच्चों को क्या शैक्षणिक सुविधायें दी जाती हैं ?

प्रधान मंत्री और वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : भारत सरकार इंगलैंड में शैक्षणिक सुविधायें नहीं जुटाती । यदि वे वहाँ के निवासी हैं तो निसंदेह ही वे स्थानीय शैक्षणिक सुविधाओं से लाभ उठा सकते हैं । यदि वे वहां थोड़े काल के लिये, थोड़ी ही अवधि के लिये हैं तो उनसे लाभ नहीं उठा सकते ।

श्री एम० आर० कृष्ण : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार कुछ अनुभवी कार्यकर्त्ताओं को सीधे सरकारी प्रबन्ध के अन्तर्गत चलने वाले भारत के उद्योगों में शिक्षण प्राप्त करने के लिये वापिस ला की बात सोच रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : वहां जाने वाले सज्जनों में से अधिकांश कोई बहुत अनुभवी नहीं हैं ।

ट्रिनीडाड में रहने वाले भारती

*८५४. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि ट्रिनीडाड में रहने वाले भारतीयों ने भारत सरकार से हिन्दी पढ़ाने के लिये कुछ शिक्षक भेज का अनुरोध किया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां): जी, हाँ ।

श्री रघुनाथ सिंह: वहां पर हिन्दुस्तानियों की आबादी कितनी है और यहां से जो टीचर भेजे जाने वाले हैं, उनकी तादाद कितनी होगी ?

श्री सादत अली खां : आबादी मैं इस वक्त बता नहीं सकता हूं और यहां से कितने टीचर भेजे जायेंगे, इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : वे शिक्षक कब तक भेजे जायेंगे ?

श्री सादत अली खां : यह बात भी सोची जा रही है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जैसे ही इन्तजाम पूरा हो जायगा, वे फौरन भेज दिए जायेंगे ।

मशीनों का आयात

*८५५. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों को छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये मशीनों तथा अतिरिक्त पुर्जों के आयात के बारे में आर्डर दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन उद्योगों के क्या नाम हैं;

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री विभूति मिश्र : हिन्दुस्तान में छोटे कल-कारखानों के लिए जितने सामान की आवश्यकता होती है वह हिन्दुस्तान से ही लिया जाता है, या उसे बाहर से मंगाना पड़ता है ?

श्री कानूनगो : जो कारखाने वाले स्टेट गवर्नमेंट के जारिये मंगाना चाहते है, वे खुद खरीद लेते हैं । गवर्नमेंट आफ इंडिया तो सिर्फ रुपया देती हैं ।

श्री विभूति मिश्र : गवर्नमेंट आफ इंडिया को इन छोटे कल-कारखानों के लिए बाहर से सामान मंगाने पर एक्सचेंज में कितना पैसा देना पड़ता है ?

श्री कानूनगो : गवर्नमेंट आफ इंडिया तो मंगाती ही नहीं। जो भी मंगाता ह, वह स्टेट गवर्नमेंट के जरिये मंगाता है। गवर्नमेंट आफ इंडिया तो स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ रुपया देती है।

एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि डीजल इंजिन जो कि हिन्दुस्तान में बनने लगे हैं, उनके अतिरिक्त विदेशों से कितने डीजल इंजिन आते हैं, और यह बाहर से मंगाना कितने दिनों में बन्द हो जायेगा ?

श्री कानूनगो : यहां डीजल इंजिनों की कितनी संख्या है, यह तो मैं नहीं बतला सकता। लेकिन डीजल इंजिनों क इम्पोर्ट में काफी रुकावट हुई है।

निष्क्राम्य सम्पत्ति करार

*८५६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मई, १९५५ में निष्क्राम्य चल सम्पत्ति के स्थानांतरण के लिये पाकिस्तान के साथ होने वाले निष्क्राम्य सम्पत्ति करार के अनुसमर्थन के बाद सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : १ नवम्बर, १९५५ को भारत और पाकिस्तान में एक साथ ही परिपालन अनुदेश जारी किये गये थे। इसके बाद यही शेष है कि दोनों देश करार के अन्तर्गत आने वाली मदों से सम्बन्धित सूचियों का आदान-प्रदान करें। ३१ दिसम्बर, १९५५ कों अधिकांश मदों से सम्बन्धित सूचियों का आदान-प्रदान होना है। करार के अनुसार सम्पत्ति को मुक्त करने, उसकी पुनः स्थापना करने और प्रतिकर की अदायगी करने आदि के बारे में इसके बाद ही कार्यवाही की जायेगी।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि आदान-प्रदान की जाने वाली सूचियों में मुख्य-मुख्य मदें कौन सी हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : उनमें लगभग १४ मुख्य मदें हैं। वे इस प्रकार हैं। व्यक्तिगत और घरेलू चल सम्पत्ति, बैंकों में जमा पदार्थ, लाकर्स और सेफ डिपोजिट्स; बंटवारे में मिली हुई या अर्जित चल सम्पत्ति के लिये प्रतिकर की अदायगी का निर्धारण; अभिग्रहीत चल सम्पत्ति, आदि आदि। इस प्रकार लगभग १४ मदें हैं।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को यह जानकारी है कि पाकिस्तान में हिन्दुओं द्वारा छोड़ी हुई सम्पत्तियों के लिये अदा किये जाने वाले किराये के फलस्वरूप पाकिस्तान में अभी हमारी कितनी राशि पड़ी हुई है ?

श्री जे० के० भोंसले : सारी चल-सम्पत्ति का आदान-प्रदान होगा। ३१ दिसम्बर तक सूचियों का आदान-प्रदान किया जायेगा, और ३० जून १९५६ के आसपास वास्तविक राशियों आदि के सम्बन्ध में निर्णय किया जायेगा।

श्री डी० सी शर्मा : सरकार ने किस तरीके से इन सम्पत्तियों की सूची बनाई है? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह समाचार पत्रों द्वारा संग्रह की गई सूचना के आधार पर किया गया था, या किसी और अभिकरण द्वारा किया गया था ?

श्री जे० के० भोंसले : : पर हमें प्राप्त सूचना के आधार पर किया जाता है, और साथ ही समाचार पत्रों में इन सबको प्रकाशित भी किया जा चुका है और पाकिस्तान में अपनी कोई भी सम्पत्ति या अन्य वस्तुयें छोड़कर आनेवाला प्रत्येक व्यक्ति इनके बारे में जानता है।

डी० सी० शर्मा : क्या सरकार को पाकिस्तान के लाकर्स और अन्य सेफ डिपाजिटों में जमा राशि के परिमाण के बारे में भी कोई जानकारी है ?

श्री जे० के भोंसले : हम उन राशियों की वास्तविक मात्रा तो नहीं जानते, लेकिन हम यह जानते हैं कि लाकर्स आदि में कुछ राशियां जमा हैं, और उनका पूरा का पूरा स्थानांतरण किया जायेगा ।

सरदार इकबाल सिंह : मैं जानना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पास कुल कितने प्रार्थना-पत्र आये हैं और उनमें कुल कितनी राशि शामिल है ?

श्री जे० के० भोंसले : प्रार्थना-पत्रों की कुल संख्या ज्ञात नहीं है; और मैं वास्तविक राशि भी नहीं बता सकता ।

अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिये सुरक्षण

*८५८. **श्री आई० ईयाचरण** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार के अन्तर्गत चलने वाली सिंचाई और विद्युत परियोजना की योजनाओं के प्रशासकीय कार्यालयों के लिये अस्थायी नियुक्तियां करते समय सुरक्षण के नियम का पालन किया जाता है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : भारत सरकार के सीधे नियंत्रण में तो हीराकुंड बांध परियोजना ही चल रही है, और वहां की सारी नियुक्तियां अस्थाई आधार पर ही की जाती है। इस परियोजना के प्रशासकीय कार्यालयों पर सुरक्षण नियम लागू होता है ।

श्री ईयाचरण : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस नियम के पालन के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को अनुदेश जारी कर दिये गये हैं और क्या उनका पालन किया जाता है ?

श्री हाथी : यह कार्य भारत सरकार के गृहकार्य मंत्रालय द्वारा किया गया है ।

बी० एस० मूर्त्ति : मैं जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार इस नियम के विद्यमान रहने तक अस्थायी कार्यकर्त्ताओं की भर्ती में भी अनुसूचित जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिये अनुदेश जारी करने की आवश्यकता क्यों नहीं महसूस करती ?

श्री हाथी : यह नियम अस्थायी कर्मचारियों पर भी लागू होता है ।

श्री तिम्मय्या : क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय ने सिंचाई और विद्युत मंत्रालय से भी यह अनुरोध किया है, जैसा कि उसने अन्य मंत्रालयों से किया है कि प्रत्येक मंत्रालय में इस सुरक्षण आदेश की कार्यान्विति के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों के लोगों के हितों की देख भाल करने के लिये एक अधिकारी रखा जाये ?

श्री हाथी : सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के क्षेत्र में यह कार्य नहीं आता, और यह मंत्रालय सदैव ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को पदों पर नियुक्त करने की कोशिश करता है ।

ब्रिटिश गायना से भारतीयों की वापसी

*८५९. **श्री भगवत झा आजाद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत अक्टूबर, १९५५ के मध्य में ब्रिटिश गायना से भारतीय लोग बड़ी तादाद में भारत वापिस आये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) ९ अक्टूबर, १९५५ को औपनिवेशिक सरकार द्वारा भाड़े पर लिये गये एम० वी० रिसर्जेन्ट नामक जहाज़ द्वारा ब्रिटिश गायना से २४३ भारतीय उत्प्रवासी कलकत्ता पहुँचे थे ।

(ख) १८३७ से १९१७ तक, "अनुबद्ध श्रमिक" (इंडैचर आफ लेग) नामक व्यवस्था के अन्तर्गत, भारतीय श्रमिक भेजे जाते

थे। इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक उत्प्रवासी को पांच वर्षों तक वेतन की एक निर्धारित दर पर एक एस्टेट में अनिवार्य रूप से काम करना पड़ता था। अनिवार्य रूप उसके बाद वह अपना पेशा चुनने के लिये स्वतंत्र होता था। और, दस वर्षों के बाद वह भारत में अपनी वापिसी की मांग कर सकता था, जिसकी कीमत (कहीं पूरी और कहीं आधी, या कहीं एक-तिहाई कीमत) औपनिवेशिक सरकार अदा करती थी। इस प्रकार के अधिकांश उत्प्रवासी उपनिवेश में ही बस गये। हां, उनमें से कुछ ने अपने अधिकार मुताबिक के वापिसी की अनुमति मांगी है। उनमें से कुछ ने खास तौर पर पुराने लोगों ने, धार्मिक और भावात्मक आधार पर यहां तक कि भारतीय भूमि पर प्राण त्यागने की भावना से ही, अपनी वापिसी पर जोर दिया था।

श्री भगवत झा आजाद : क्या उनकी भारत वापिसी पर यह जोर वहां पर हाल ही में रहने की दशाओं पर लगाये गये प्रतिबन्धों के कारण जैसे कि सम्पत्ति अर्जन करना, दिया जा रहा है अथवा अन्य किन्हीं बातों के कारण ?

श्री सादत अली खां : उपनिवेश कार्यालय करारों से जकड़ा होता है और ब्रिटिश गायना की सरकार उन लोगों को लौटने की सुविधा देने के लिये विधिवत् बाध्य है, जो उन दशाओं का लाभ उठायें। मैं किन्हीं प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में नहीं जानता।

श्री भगवत झा आजाद : क्या कुछ मजदूरों ने, जो वहां अनुबन्ध के अन्तर्गत गये थे, वहां पर बस जाने का निश्चय किया है और यदि ऐसा है, तो क्या ऐसे व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में कोई अन्दाज किया जा सकता है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मेरे सहयोगी ने सभा को अभी अभी सूचित किया कि उनमें से अधिकांश वहीं ठहर रहे हैं। वहां कुछ के ठहरने का प्रश्न ही नहीं है; उनमें से अधिकांश ठहरे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति अपेक्षा तथा थोड़े ही है, जो वापस आ गए हैं अथवा जिन्होंने वापस आने की इच्छा प्रकट की है।

श्री भगवत झा आजाद : मैं यह जानना चाहता था : उनमें से अधिकांश ने वहीं बस जाने का निश्चय किया है और कुछ भारत लौट रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि क्या कुछ ऐसे कारण हैं, जो वहां बस जाने का निर्णय करने के आड़े आये ? क्या संपत्ति का अर्जन करने में कुछ बाधा है या कुछ और कारण हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इसका उत्तर अभी अभी दिया जा चुका है। हमें उस संबंध में किन्हीं विशेष कारणों की जानकारी नहीं है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या यह सच है कि चूंकि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के लिये ब्रिटिश गायना में रहने की उचित परिस्थितियां पैदा नहीं की है, इस लिये ये लोग अब लौट रहे हैं और क्या यह सच है कि कुछ समय पहले भी लोग इसी प्रकार लौट रहे थे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हमें इस प्रश्न पर ब्रिटिश गायना की दशाओं के सामान्य प्रश्न की दृष्टि से विचार करना चाहिये न कि केवल भारतीयों पर लागू होने वाली दशाओं की दृष्टि से। जहां तक मैं जानता हूँ भारतीयों पर कोई चीज़ खास तौर से लागू होने वाली नहीं है। जैसा कि सभा को भली प्रकार विदित है ब्रिटिश गायना में कुछ समस्यायें अवश्य, हैं, परन्तु उनसे भारतवासी ही विशेषकर प्रभावित नहीं होते।

बढ़ईगीरी का चलता फि । प्रदर्शनार्थ कारखाना

*८६१. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे पैमाने के उद्योग के बोर्ड द्वारा कोई बढ़ईगीरी का चलता फिरता प्रदर्शनार्थ कारखाना बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने पर कुल कितना खर्च किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख) : जी हां, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली में जो ४ लघु-उद्योग सेवा संस्थायें हैं उनमें से प्रत्येक के लिये एक एक बढ़ईगीरी का चलता फिरता प्रदर्शनार्थ कारखाना लगभग ५०,००० रुपये की लागत पर बनाया गया है ।

श्रीमती इला पाल चौधरी : क्या इस चलते फिरते कारखाने का उद्देश्य ग्रामीण कारीगरों को आधुनिक यन्त्रों का प्रयोग करना सिखाना है और यदि हां, तो उनको यन्त्र उपलब्ध कराने के लिये क्या क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

श्री कानूनगो : ऐसे हर व्यक्ति के लिये जो छोटे यन्त्र लेना चाहे किराये पर या खरीद कर प्राप्त करने की सुविधायें उपलब्ध की गई हैं ।

श्रीमती इल पालचौधरी : क्या मैं जान सकती हूँ कि ग्रामीण जिलों में छोटे यन्त्रों के लिये कितना उत्साह पैदा किया गया है ?

श्री कानूनगो : बढ़ईगीरी को मिला कर छोटे यन्त्रों के लिये लगभग १५ लाख रुपये की मांग है जब कि इस समय उपबन्ध केवल ४ लाख रुपये का है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये विदेशी मुद्रा

*८६२. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के हेतु आवश्यक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये क्या उपाय सोचे जारहे हैं ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र): सामान्य उपाय ये हैं : (क) निर्यात में वृद्धि करना (ख) आयात में कमी करना (ग) विदेशी मुद्रा कोष का उपयोग करना (घ) देश के लिये विदेशी सहायता प्राप्त करना जिसमें निजी पूंजी की प्राप्ति भी शामिल है । दूसरी पंचवर्षीय योजना में विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं के सिलसिले में इन सभी उपायों पर विचार किया जा रहा है । इन उपायों में से प्रत्येक पर किस हद तक भरोसा किया जा सकता है या किया जायेगा, यह अभी विचाराधीन है ।

श्री अनिरूद्ध सिंह : क्या यह बात सही है कि देश की बेकारी की समस्या को दूर करने तथा अन्य कारणों से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास के लिये ज्यादा बल डाला गया है, यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि इस उद्देश्य की पूर्त्ति के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा की उपलब्धि तथा आयोजित व्यय में क्या अन्तर पड़ने की सम्भावना है ?

श्री एस० एन० मिश्र : माननीय सदस्य ने जो कहा कि औद्योगीकरण की योजना को लेकर विदेशी मुद्रा की बहुत ज़रूरत हो सकती है, वह बिलकुल ठीक है और हमने जो उसका हिसाब लगाया है उसकी कोई पक्की संख्या तो अभी नहीं दे सकता, क्योंकि हम उन सारे हिसाब किताब में लगे हुये हैं, लेकिन फिर भी सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी और निजी क्षेत्र को मिलाकर औद्योगीकरण के सिलसिले में हमको करीब १५५० करोड़ या १६०० करोड़ के करीब विदेशी मुद्रा की ज़रूरत हो सकती है ।

श्री अनिरूद्ध सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि उपलब्धि और आयोजित व्यय में क्या फर्क पड़ेगा ?

श्री एस० एन० मिश्र : जैसा मैं ने अपने जवाब में कहा हम इन उपायों के बारे में पूरी जांच कर रहे हैं कि किन उपायों से कितनी रक़म मिल सकती है उस के बारे में पक्का हिसाब देना इस समय मेरे लिये मुश्किल होगा, लेकिन कुछ गैप उसमें रह ही जायेगा।

श्री अनिरूद्ध सिंह : क्या सरकार इस बात को महसूस करती है कि. . . .

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । श्री पांडे ।

श्री सी० डी० पांडे : वे कौन से देश हैं जिनसे सरकार विदेशी मुद्रा कोष के मामले में सहायता की आशा कर सकती है और आवश्यक विदेशी मुद्रा कोष प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री एस० एन० मिश्र : हम किसी विशेष देश से आशा नहीं करते ; हम ऐसे समस्त मित्र देशों से आशा करते हैं जो ऐसा करने की स्थिति में हैं ।

इस्पात

*८६४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में विभिन्न बाहरी देशों के प्रतिनिधियों से भारत की आवश्यकता के लिये इस्पात की खरीद के सम्बन्ध में वार्ता हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या है, जिन्होंने भारत को इस्पात बेचना मंजूर कर लिया हैं ; और

(ग) बेचे जाने वाले इस्पात की मात्रा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग): हमारी आयातित इस्पात की आवश्यकता दस लाख टन प्रतिवर्ष से अधिक है । हम इस्पात उत्पादक देशों से इस्पात की खरीद के लिये सदा बात करते रहते हैं । इस अवस्था में यह ठीक ठीक बताना कठिन होगा कि हम प्रत्येक देश से कितना इस्पात प्राप्त करेंगे ।

डा० राम सुभग सिंह : सरकार ने देश में इस्पात की कमी का अनुभव कब किया जिसके कारण इस्पात का मूल्य बढ़ा दिया गया और नियत्रंण लागू किया गया ?

श्री कानूनगो : इस्पात की कमी की प्रत्याशागत एक वर्ष से अधिक की गई है । अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य-वृद्धि, संसार भर की मांग और दूसरे देशों में मूल्य-वृद्धि होने के कारण हुई है । भारत में उस हद तक मूल्य नहीं बढ़ाया गया है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या चल रही वार्ताओं के अन्तर्गत अधिक इस्पात की खरीद के पश्चात सरकार देश में नियंत्रण ढीला कर देगी और इस्पात का मूल्य कम कर देगी ?

श्री कानूनगो : दूसरी ओर नियंत्रण अधिक कठोर हो जायेगा क्योंकि इस्पात का क्रय मूल्य देशी स्रोतों की अपेक्षा अन्य स्रोतों से अधिक होगा ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार यह देखने के लिए कोई व्यवस्था निकालेगी कि नियंत्रण प्रणाली के अन्तर्गत साधारण उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के लिए जो इस्पात नियत किया जायगा, वह उनको उपलब्ध कर दिया जाये ?

श्री कानूनगो : निस्संदेह इसका प्रयत्न किया जा रहा है । वास्तव में हम अभी भी इस स्थिति में हैं कि उपभोक्ता को नियंत्रण मूल्य पर इस्पात उपलब्ध करा सकें ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या यह प्रेस समाचार सच है कि भारत सरकार रूस से १० लाख टन इस्पात की खरीद के लिए बातचीत कर रही है और यदि हां, तो क्या मूल्य निश्चित किया गया है ?

श्री कानूनगो : दस लाख टन मात्रा की बातचीत तो हो चुकी है; परन्तु मूल्य अभी निश्चित नहीं किया गया है ।

कपास

*८६५. **श्री हेडा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने "डालर सहायता वाली कपास" के निर्यात के संबंध में अपनी नीति निश्चत कर ली है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : अभी यह निश्चय किया गया है कि डालर सहायता के अन्तर्गत कपास का निर्यात न किया जाय ।

श्री के० जी० देशमुख : क्या भारत के व्यापारी इस कपास का निर्यात करने के अनिच्छुक थे, क्योंकि वह वास्तव में सहायता नहीं थी वरन् ऋण मात्र था ?

श्री कानूनगो : किसी भी अन्य बात को छोड़कर मुख्य कारण यह है कि वैसी ही कपास अन्य स्रोतों से खरीदी जा सकती है ।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी

*८६७. **श्री राधा रमण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि एक अमरीकी सार्थ और टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के बीच जमशेदपुर में इस्पात संयंत्र बनाने के लिए कोई करार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). एक करार की बातचीत टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, जमशेदपुर और अमेरिका की मेसर्स हेनरी जे० कैसर एण्ड कम्पनी के कैसर इंजीनियरिंग डिवीजन के बीच चल रही है । उसके ब्यौरे करार के निष्पन्न हो जाने पर उपलब्ध होंगे ।

श्री राधा रमण : मैं जाना चाहता हूं कि इस समझौते के अन्तर्गत इस्पात संयंत्र स्थापित करने के ब्यौरे क्या हैं ?

श्री कानूनगो : करार ब्यौरे उसके निष्पन्न हो जाने पर ही उपलब्ध होंगे ।

श्री राधा रमण : यह बातचीत कब तक चलती रहेगी ?

श्री कानूनगो : मैं समझता हूँ कि वह जल्दी ही पूरी हो जायेगी, क्योंकि यह आशा की जाती है कि १९५९ तक अधिक मात्रा में उत्पादन प्रारंभ हो जायगा ।

श्री कासलीवाल : मैं जानना चाहता हूँ कि विस्तार के पश्चात् कुल कितना उत्पादन होगा ?

श्री कानूनगो : १५ लाख टन होगा ।

श्री भगवत झा आजाद : यह करार कब तक अन्तिम रूप प्राप्त कर सकेगा और टाटा की विस्तार-योजना कब तक फलीभूत हो सकेगी ? क्या सरकार को उन शर्तों की जानकारी है जिनके अन्तर्गत इस करार पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं ?

श्री कानूनगो : करार की बातचीत चल रही है और हमें अभी नहीं मालूम कि उसकी पूरी शर्तें क्या हैं । जैसा मैंने कहा, यह आशा की जाती है कि १९५९ तक अधिक मात्रा में उत्पादन प्रारंभ हो जायगा ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : टाटा ने दो विस्तार-योजनायें प्रस्तुत की थीं; एक सरकार द्वारा मंजूर कर ली गई है और दूसरी विचाराधीन है । मैं जानना चाहता हूँ कि अमरीकी सार्थ के सहयोग वाली प्रस्तावित योजना पहली योजना के अन्दर आती है या दूसरी के?

श्री कानूनगो : पहली और दूसरी विकास योजनायें एक साथ मिला दी गई हैं और अब वह एक निर्माण कार्यक्रम है ।

नीवेली लिगनाइट परियोजना

*८७१. **श्री सी० आर० नरसिंहन्** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचारपत्रों में प्रकाशित इस समाचार का कोई आधार है कि नीवेली लिगनाइट की खानों से लिगनाइट निकालने के लिये पूर्वी जर्मनी के विशेषज्ञों को आमन्त्रित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो जो सहायता मांगी जा रही है या देने के लिये कहा गया है उस का ब्यौरा क्या है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) और (ख). भारत सरकार ने पूर्व जर्मनी के विशेषज्ञों को नीवेली लिगनाइट निक्षेपों की खोज के कार्य में सहायता करने के लिये आमंत्रित नहीं किया है । जहां तक इन निक्षेपों का संबंध है, मेसर्स पावेल डफ़रिन टेकनिकल सर्विसेज़ लिमिटेड को इन का अध्ययन करने और एक परियोजना प्रतिवेदन तय्यार करने का कार्य सौंपा गया था । यह इंगलैंड का एक समवाय है और इस की सेवायें भारत को कोलम्बो योजना के अंतर्गत प्राप्त हुई हैं । उन की सिफ़ारिशों के अनुसार सरकार कुछ प्रारंभिक जांच का कार्य कर रही है और इस कार्य में वह परामर्श दाताओं के इस समवाय से सहायता ले रही है । प्रारंभिक जांच का कार्य अब बहुत आगे बढ़ चुका है और इस काम के लिये फिर से टेकनिकल परामर्श-दाता नियुक्त करने का इन नहीं उठता है । पूर्व जर्मन सरकार के व्यापार प्रतिनिधि मण्डल ने, नीवेली की खानों से लिगनाइट के खनन, बिजली बनाने के लिये उसका उपयोग करने, उवरी उत्पादन और छोटे प्रकार की भट्टियों में इस्पात तय्यार करने में उसका प्रयोग करने में टेकनिकल सहयोग देने का प्रस्ताव अनौपचारिक रूप से हमारे सामने रखा है । उन्हें यह बता दिया गया है कि परियोजना अभी किस स्टेज में है और हमारी व्यवस्था किस प्रकार की है । टेकनिकल सहायता जिस के देने का प्रस्ताव रखा गया है उसका विवरण न तो प्राप्त हुआ है और न उन के संबंध में उन से बातें हुई हैं । फिर भी पूर्वी जर्मनी के विशेषज्ञों को यह बता दिया गया है कि यदि वे चाहें तो इन निक्षेपों के खनन संबंधी समस्याओं तथा एकत्रित किये हुये आंकड़ों का आरंभिक अध्ययन कर सकते हैं और अभी जो स्थिति है उस में यह स्वाभाविक है कि ऐसा अध्ययन अनौपचारिक ही हो सकता है ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : क्या पूर्वी जर्मनी के प्रस्ताव को स्वीकार करने का विचार किया जा रहा है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं ने बहुत लम्बा उत्तर दिया है । जहां तक आंकड़े जमा करने और उन के अध्ययन करने का प्रश्न है, हम उन को सभी उपलब्ध आंकड़े देने के लिये तय्यार हैं। सब से नई सूचना यह है कि आंकड़े प्राप्त करने के लिये दो जर्मन विशेषज्ञ मद्रास आ चुके हैं।

श्री एस० वी० रामस्वामी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लिगनाइट की खोज में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है, साइलेशिया में बहुत उच्च कोटि का लिगनाइट पाया जाता है और यह कि पूर्व जर्मन वास्तव में इस विषय के विशेषज्ञ हैं, क्या सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी और सब जानकारी उन को देगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं समझता हूँ कि नीवेली में जो अग्रिम परियोजना चल रही है उस में कोई ऐसा विलम्ब नहीं हुआ है जो अनिवार्य न हो । अग्रिम परियोजना को शीघ्र से शीघ्र पूरा करने के लिये प्रत्येक संभव कार्यवाही

की जा रही है । जैसा कि मैं कह चुका हूं कोलम्बो योजना के अंतर्गत इस प्रयोजन के लिये एक समवाय को काम पर लगा दिया गया है । उस के आदमी नीचेजी में हैं और कार्य कर रहे हैं । ऐसी स्थिति में किसी अन्य परामर्शदाता दल को इस कार्य में सम्मिलित करना उचित नहीं है। प्रारंभिक जांच के समाप्त हो जाने के बाद हम इस पर विचार करेंगे कि हम यह काम किस को सौंपें।

श्री चट्टोपाध्याय : अन्य देशों से जिन पम्पों को मंगाया गया था क्या वे प्राप्त हो चुके हैं और क्या वे लगाये जा चुके हैं साथ ही यह भी कि वे कौन से देश हैं जहां से यह पम्प मंगाये गये हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : कुछ दिन पहले जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है उस के अनुसार अधिकांश पम्प प्राप्त हो चुके हैं । चार पम्प और प्राप्त होने वाले थे । अब क्या स्थिति है, इस का मुझे ज्ञान नहीं है; प्राप्त हो चुके हैं या प्राप्त होने वाले हैं। जहां तक इस का सम्बन्ध है कि यह पम्प किन देशों से मंगाये गये थे, जहां तक मुझे याद है कि अधिकतर पश्चिम जर्मनी से मंगाये गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

आजाद हिन्द फौज और भारतीय स्वतंत्रता लीग की आस्तियां

*८७३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मलाया के अभिरक्षक के पास आज़ाद हिन्द फ़ौज और भारतीय स्वतंत्रता लीग की जो आस्तियां हैं क्या उन के सम्बन्ध में कोई समझौता किया जा चुका है; और

(ख) भारत सरकार को उन में से कितना भाग दिया जायेगा ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां): (क) जी, हां। १९५३ में यह निश्चित हो चुका था कि अन्य प्रमाणीकृत दावों की पूर्ति करने के बाद यह आस्तियां भारत तथा पाकिस्तान को हस्तांन्तरित कर दी जायेंगी । चूंकि नक़दी के अतिरिक्त, अन्य आस्तियों का निरीक्षण, दोनों देशों के प्रतिनिधियों द्वारा, अभी नहीं किया गया है और न विभाजन का कोई समन्याय्य या सुलभ ढंग अभी तक निकाला गया है इसलिये अन्तिम विभाजन अभी तक नहीं हुआ है ।

(ख) हमारा हिस्सा लगभग १,५२,६८१ रुपये होगा । चूंकि आस्तियों में सोना और गहनों के अतिरिक्त, विभिन्न देशों की मुद्रायें हैं इस लिये ठीक ठीक मूल्यांकन, करना संभव नहीं है ।

सरदार इकबाल सिंह : जब यह आस्तियां भारत सरकार को प्राप्त हो जायेंगी तो क्या सरकार, इन का उपयोग, आज़ाद हिन्द फ़ौज के उन सदस्यों के कल्याण के लिये करेगी जो संघर्ष में मारे गये ?

श्री सादत अली खां : विचार यह है कि इस निधि का हमारा हिस्सा जब हमें प्राप्त हो जायेगा तो मलाया और सिंगापुर के भारतीय उद्भव के विद्यार्थियों के हित के लिये स्थापित की गई छात्रवृत्ति निधि में इसे मिला दिया जायेगा ।

सरदार इकबाल सिंह : क्या सरकार को ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं कि जिन व्यक्तियों ने मलाया और वर्मा में आजाद हिन्द फ़ौज में अपना नाम लिखाया था और जो संघर्ष में मारे गये उन के परिवार बड़ी कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मुझे नहीं पता कि इधर लगभग एक वर्ष में कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है । और भी निधियां हैं। अभी तक ऐसे व्यक्तियों की हम बराबर सहायता करते रहे हैं । हम अब भी उन की सहायता कर रहे हैं । माननीय सदस्य स्वयं ही देखेंगे कि यह राशियां बहुत छोटी छोटी हैं ।

इन सात आठ वर्षों में हमें इस सम्बन्ध में सिंगापुर सरकार, मलाया सरकार तथा विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । एक कठिनाई इस सम्बन्ध में भी उत्पन्न हुई कि इस में पाकिस्तान का भाग कितना है । अन्त में यह विनिश्चय किया गया कि इस निधि के कुछ अंश से हमें मलाया निवासी भारतीयों के लिये छात्रवृत्तियों की स्थापना करनी चाहिये । आज़ाद हिन्द फ़ौज और वहां के स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने वालों को इस सम्बन्ध में अधिमान्यता दी जानी चाहिये । कुल राशि दो या तीन छात्रवृत्तियों के लिये पर्याप्त होगी ।

श्री कामत : क्या हमारे टोकियो स्थित दूतावास ने वहां के सरकारी या गैर-सरकारी भारतीय या जापानी ज़रियों से यह पता लगाने का प्रयत्न किया है कि नेता जी की 'आर्ज़ी हकूमते हिन्द' के एक सदस्य श्री एस० ए० अय्यर द्वारा एक व्यक्ति श्री राम मूर्ति को, जो उस समय भारतीय स्वतंत्रता लीग के एक सदस्य थे तथा बाद में टोकियो के एक बड़े व्यापारी हो गये, जो कोष सौंपा गया था वह वास्तव में क्या था और कितना था ....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री कामत : मैं इस लिये पूछ रहा हूं कि हाल के वादविवाद के बाद जापान के समाचारपत्रों ने इस विषय की ओर संकेत किया है .....

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न आज़ाद हिन्द फ़ौज की आस्तियों के सम्बन्ध में हैं ।

श्री कामत : मैं आज़ाद हिन्द फौज की उन आस्तियों की बात कर रहा हूं जो की एस० ए० अय्यर ने छोड़ी थीं । यह भी आजाद हिन्द फौज की आस्तियां ही हैं । मैं किसी की व्यक्तिगत सम्पत्ति की बात नहीं कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

श्री कामत : क्या यही आप का उत्तर है .....

अध्यक्ष महोदय : कठिनाई यह है कि माननीय सदस्य तर्क करते जाते हैं और जानकारी देते जाते हैं और पता नहीं चलता कि प्रश्न क्या है ।

श्री कामत : आप मुझे प्रश्न ही पूरा नहीं करने देते ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं । वे अलग से एक प्रश्न की सूचना दे सकते हैं ।

श्री कामत : कुछ समय पूर्व मैं ने एक प्रश्न की सूचना दी थी । यह बड़े आश्चर्य की बात है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना

*८७४. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के औद्योगिक और खेती संबंधी विकास का कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यदि हां तो वह क्या है ;

(ग) क्या कच्चे माल तथा तय्यार माल के लाने ले जाने की सुविधाओं में इस विकास के अनुसार वृद्धि हुई है ; और

(घ) यदि नहीं तो सरकार आगामी योजना में इस विषय के लिए क्या उपाय करने जा रही है ?

योजना उपमंत्री (श्री एस० एन० मिश्र) : (क) और (ख). जी, हां। पंचवर्षीय योजना की प्रगति का समय समय पर अनुमान किया जाता है। योजना आयोग में प्राप्त होने वाले अद्यतन प्रतिवेदनों से प्रकट होता है कि औद्योगिक तथा कृषि दोनों क्षेत्रों में पर्याप्त प्रगति हुई है। १९५४–५५ के प्रगति प्रतिवेदन में, विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली प्रगति का ब्यौरा दिया जायेगा, जो कि शीघ्र ही संसद् सदस्यों को दिया जायेगा।

(ग) परिवहन सुविधाओं में कृषि तथा औद्योगिक विकास के अनुसार ठीक ठीक वृद्धि नहीं हुई है।

(घ) यह विषय सरकार के विचाराधीन है।

श्री एस० सी० सामन्त : माननीय मंत्री ने यह बताया है कि जितना औद्योगिक विकास हुआ है, देश की परिवहन सुविधाओं में उतनी वृद्धि नहीं हुई है। क्या सरकार जितनी राशि औद्योगिक विकास के लिये नियत करती है, परिवहन के लिये उस से अधिक राशि का नियत करने का विचार कर रही है ?

श्री एस० एन० मिश्र : प्रश्न यह नहीं है कि जितनी राशि औद्योगिक विकास के लिये दी जाती है उस की अपेक्षा परिवहन के लिये अधिक राशि दी जाये। प्रश्न आवश्यक अंतर के निकालने का है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या समाचार-पत्रों के इस समाचार में कोई तथ्य है कि रेलवे ने १४०० करोड़ रुपये की मांग रखी परन्तु योजना आयोग केवल ९०० करोड़ रुपये दे रहा है ?

श्री एस० एन० मिश्र : मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम अभी इस पर विचार कर रहे हैं। अभी हम ने किसी राशि का निश्चय नहीं किया है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि कच्चे माल तथा अन्य वस्तुओं के लिये यदि परिवहन की सुविधायें उपलब्ध न हुई तो देश की अर्थ व्यवस्था को भारी आघात पहुंचेगा ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जी, हां।

पंडित डी० एन० तिवारी : अभी माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा कि यदि ट्रांसपोर्ट का एक्सपैंशन नहीं होगा तो देश का प्राग्रेस रुक जायेगा। क्या मैं जान सकता हूँ कि जब कि यह शक है कि देश की प्राग्रेस (प्रगति) रुक जा सकती है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सफल बनाने के लिये ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने का क्या इंतज़ाम किया जा रहा है ?

श्री एस० एन० मिश्र : इस की तो बड़ी विस्तृत योजना है इसलिये अभी इस की तफ़सीलात देना मुश्किल है।

औद्योगिक गृह व्यवस्था

*८७६. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालिकों को, विधान के द्वारा इस बात के विवश करने का विचार है कि औद्योगिक मजूरों के कुछ न्यूनतम भाग के लिये मकानों की व्यवस्था करें ; और

(ख) क्या मालिकों ने सरकार के पास अभ्यावेदन भेजे हैं कि जो ऋण उनको दिये गये हैं उन की शर्तें बहुत कड़ी हैं ?

निर्माण आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) अभी ऐसी कोई प्रस्थापना विचाराधीन नहीं है।

(ख) जी, हां। इस प्रकार के कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह सच है कि उद्योगपतियों ने इस योजना को अधिक पसन्द नहीं किया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह सही है कि उद्योगपतियों से इस योजना के बारे में बहुत कम सहयोग मिला है ।

सरदार हुक्म सिंह : जहां तक ऋण और आर्थिक सहायता देने का सवाल है, इन उद्योग-पतियों ने किन शर्तों पर आपत्ति उठाई है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : उन्होंने किसी भी शर्त पर विशेष रूप से आपत्ति नहीं उठाई है; वे केवल इतना चाहते हैं कि आर्थिक सहायता अधिक मिले और ब्याज कम देना पड़े । किन्तु इन मामलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है, और यह निर्णय किया गया है कि २५ प्रतिशत आर्थिक सहायता देना बिल्कुल ठीक है और दीर्घकालीन ऋण पर जो ब्याज की दर है, वह भी बिल्कुल ठीक है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं कि ब्याज की दर बहुत अधिक है और ऋण और आर्थिक सहायता देने में व्यर्थ में देर की जाती है, और कभी कभी धन तब दिया जाता है, जब काम समाप्त हो चुका होता है ?

सरदार स्वर्ण सिंह: मैंने पहले ही कहा है कि २५ प्रतिशत आर्थिक सहायता और १५ साल की अवधि से ऊपर के ऋण पर ४½ प्रतिशत ब्याज की दर बिल्कुल उचित है । नियोजकों को इतनी अवधि के लिये और ब्याज की इस दर पर कहीं पर भी ऋण नहीं मिल सकता ।

माननीय सदस्य ने जो दूसरी बात उठाई है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने सामान्यतः यह कहा है कि ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयां होती हैं । किन्तु जांच करने पर पता चला कि उनकी शिकायत निरर्थक थी ।

श्री बी० एस० मूर्ति : यद्यपि भारत सरकार ने आर्थिक सहायता दी है, तथापि लगभग सभी मालिक उस आर्थिक सहायता का तथा अन्य सुविधाओं का कोई भी लाभ नहीं उठा रहे हैं । यह देखने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं कि जो मालिक औद्योगिक श्रमिकों के लिये आवास की व्यवस्था कर सकते हैं ; वे आवास की सुविधाओं का प्रबन्ध अवश्य करें ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, यह ठीक है कि उद्योगपतियों ने उस ओर अपेक्षित उत्साह नहीं दिखाया है, किन्तु इस योजना के अधीन मालिक १०,९१२ एककों की व्यवस्था कर रहे हैं ।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सवाल है, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के जरिये इस की कोशिश की जा रही है कि उनसे मकान बनवाने के लिये कहा जाये । इस समय यह उचित नहीं समझा गया है कि उन पर कोई दवाब डाला जाये, किन्तु स्थिति पर ध्यान रखा जा रहा है ।

भारत पाकिस्तान बाढ़ आयोग

***८७८. श्री बर्मन :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री २६ सितम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २१४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्री-स्तर पर जो सभा होने वाली थी क्या वह अब हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन किन विषयों पर चर्चा की गई ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उत्पन्न होता ।

श्री बर्मन : भारत पाकिस्तान बाढ़ आयोग बनाने की प्रस्थापना पाकिस्तान सरकार द्वारा की गई थी, अथवा भारत सरकार द्वारा ।

श्री हाथी : पाकिस्तान सरकार ने अगस्त के महिने में इस सम्बन्ध में एक सुझाव रखा था और हमने पूर्वी प्रदेशों में बाढ़ सम्बन्धी कामों में अपना पूर्ण सहयोग देना स्वीकार कर लिया था ।

श्री बर्मन : मेरे विचार में प्रस्थापित बाढ़ आयोग की रचना अभी नहीं हुई है । ऐसी हालत में क्या भारत अपने भाग में बाढ़ सम्बन्धी उपाय स्वयं ही कर रहा है, अथवा वह इस पर निर्भर रहेगा कि किसी रूप में पाकिस्तान का सहयोग प्राप्त हो, और यदि भारत को पाकिस्तान पर ही निर्भर रहना है, तो वह कब तक निर्भर रहेगा ?

श्री हाथी : जहां तक भारत का सम्बन्ध है, हमने नदी आयोगों की स्थापना कर दी है, और वे काम कर रहे हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूँ कि बाढ़ के दिनों में काश्मीर से लगभग डेढ़ दो लाख शहतीर हर साल बह कर पाकिस्तान चले जाते हैं, क्या उनको वापस लेने के सम्बन्ध में, जो हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की वार्ता चल रही है, जारी रखी जायेगी ?

श्री हाथी : हम इस समय पूर्वी प्रदेश पर सहयोग के प्रश्न पर बात चीत कर रहे हैं ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या कोलम्बो योजना सम्मेलन के दौरान में सिंगापुर में इस विषय पर चर्चा करने के लिये पाकिस्तान के विदेश मंत्री और भारत के योजना मंत्री की कोई भेंट हुई थी और यदि हां, तो किन किन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की गई ?

श्री हाथी : कोई नियमित भेंट नहीं हुई थी, किन्तु भारत के सिंचाई और विद्युत मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बीच अनौपचारिक बातचीत हुई थी, जो उस समय सिंगापुर में ही थे, और इस बात को दोनों ने ही स्वीकार कर लिया था कि इन मामलों में सहयोग की आवश्यकता है ।

श्री भागवत झा आजाद : प्रश्न के भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है । क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्री स्तर पर जो सम्मेलन होने वाला था, उसके लिये भारत सरकार के अपनी असमर्थता दिखाई अथवा पाकिस्तान सरकार ने ?

श्री हाथी : किसी ने भी अपनी असमर्थता नहीं दिखाई है। किन्तु अक्टूबर के अन्त में पाकिस्तान के लोक कार्य मंत्री यहाँ उपस्थित थे। हमने उनसे इस बारे में अनौपचारिक रूप से बात चीत की । उन्होंने बताया कि शीघ्र ही एक आयोग स्थापित किया जायेगा और उसके बाद वे इन समस्याओं पर विस्तार में एक टिप्पण भेजेंगे, जिस पर हम विचार करेंगे। यह उचित समझा गया कि इसके पूर्व कि मंत्री स्तर पर एक बैठक हो, ऐसा एक टिप्पण उपलब्ध हो जाना चाहिये । वहां अभी आयोग की स्थापना नहीं की गई है ।

भिलाई इस्पात संयंत्र

*८७९. **डा० सत्यवादी** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री १३ सितम्बर, १९५५ को दिय गये तारांकित प्रश्न संख्या १७१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रूसी संघटनों ने भारतीय राष्ट्रीयजनों को इस्पात उद्योग संबंधी प्रशिक्षण देने के लिये अपेक्षित योजना तैयार कर ली है और प्रस्तुत कर दी है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : जी हां, प्रतिवेदन हाल ही में प्राप्त हुआ है ।

डा० सत्यवादी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस रिपोर्ट को एग्ज़ेमिन (परीक्षण) करने में कितना वक्त लग जायेगा ?

श्री करमरकर : यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर जल्दी से जल्दी विचार हो जायेगा ।

खादी

*८८०. **श्री डाभी** : क्या उत्पादन मंत्री २६ अगस्त, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ११९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने तब से इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है कि नकली खादी की बिक्री के अपराध के लिये दण्ड सम्बन्धी उपबन्ध किये जायें ?

उत्पादन मंत्री के सभा सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : सरकार इस मामले पर अब भी विचार कर रही है ।

श्री डाभी : सरकार कब से इस प्रश्न पर विचार कर रही है और वह कब तक इस पर निर्णय कर लेगी ?

श्री आर० जी० दुबे : अभी हाल ही में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रतिनिधियों तथा उत्पादन मंत्रालय के प्रतिनिधियों के बीच इस विषय पर चर्चा हुई थी । जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है, खादी की बिक्री के पुनरीक्षित विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया और आवश्यक कार्यवाही के लिये राज्यों को भेज दिया गया । किन्तु इस बीच में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने कुछ संशोधन की प्रस्थापना की है और सरकार को उन पर विचार करना है । हाल ही में, एक यह भी सुझाव रखा गया था कि बजाय इसके कि प्रत्येक राज्य में अलग अलग विधान बनाया जाये, एक सामान्य केन्द्रीय विधान बन जाना चाहिये । अतः जब तक इन मामलों पर विचार किया जाये, गृह मंत्रालय से यह प्रार्थना की गई है कि वह विभिन्न राज्यों में कतिपय विधानों के लिय राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर ले । स्थिति यह है ।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): मैं इतना और कहना चाहूंगा कि भारत सरकार के विधि मंत्रालय ने खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा तैयार किये गये आदर्श केन्द्रीय विधेयक पर विचार कर लिया है । उन्होंने इस विधेयक की कुछ बातों की ओर संकेत किया है, जिनके बारे में वे और आगे विचार करना चाहेंगे । वे उन बातों के बारे में अग्रेतर विचार कर रहे हैं और सरकार तथा बोर्ड के बीच चर्चा जारी है । यह बहुत कुछ सम्भव है कि बोर्ड की प्रस्थापनाओं के अनुसार, जो स्वीकार कर ली गई है, संविधान में एक संशोधन करना आवश्यक हो जाये । इन सारे पहलुओं पर बड़ी सावधानी से विचार किया जा रहा है, और यह आशा की जाती है कि हम जल्दी ही किसी निर्णय पर पहुंच जायें ।

श्री अच्युतन : इस समय भारत में कितना नकली खद्दर तैयार किया जाता है ?

श्री आर० जी० दुबे : हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

कोयला

*८८०क. **श्री झूलन सिंह**: क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत चार वर्षों में कोयला आयुक्त के कार्यालय पर और राज्य कोयला खानों में खर्चा बढ़ गया है पर कोयले का उत्पादन घट गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे): (क) १९५१–५२ से १९५४–५५ तक कोयला आयुक्त के संघटन पर सामान्य खर्चा लगभग एक सा ही रहा ।

१९५१-५२, १९५२-५३ और १९५३-५४ में राज्य कोयला खानों में कोयले का उत्पादन लगभग एकसा ही रहा, किन्तु १९५४-५५ में इस उत्पादन में लगभग २ लाख टन की कमी आ गई । कोयले के उत्पादन

में जो यह कमी आई उसके ये कारण थे : खानें बहुत पुरानी थीं अतः उनमें से कोयला निकलना कम हो गया, कुछ खदानों में कोयला बिल्कुल नहीं रहा, कहीं खाने बैठ न जायें, इस लिये यंत्रों द्वारा ऊपर से मिट्टी हटाई गई और थोड़े समय के लिये काम बंद रहा, तथा पहले कोयला निकालने का जो काम ठेके पर होता था उस को विभागीय रूप से कराने में कुछ समय के लिये कठिनाइयां हुई ।

(ख) राज्य कोयला खानों के काम में सुधार लाने के लिये सरकार ने अनेक योजनायें बनाई हैं । दो विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं, जिन में (१) पहले से स्वीकृत विकास योजनायें, और (२) खानों के काम में सुधार करने के लिये द्वितीय पंच वर्षीय योजना में लेने के लिये प्रस्तावित योजनायें बतायी गयी हैं । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३५]**

श्री झूलन सिंह : क्या सरकार ने विकास सम्बन्धी इन प्रस्थापनाओं के करने के पूर्व इस बारे में लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के सुझावों की ओर ध्यान दिया है ?

श्री आर० जी० दुबे : जैसा कि सभा पटल पर रखे गये दो विवरणों से पता चलेगा, लोक लेखा समिति ने जो सुझाव दिये थे, उनको विकास संबंधी उन प्रस्थापनाओं में स्पष्ट रूप से रख दिया गया है, जिनकी अब स्वीकृति दे दी गई है और जिनको द्वितीय पंचवर्षीय योजना के साथ स्वीकृत किया जायेगा ।

श्री भागवत झा आजाद : कोयले के उत्पादन में जिन कारणों से २ लाख टन की कमी आई, उन कारणों के दूर करने में प्रस्तावित विकास योजनायें कहां तक सहायक सिद्ध होंगी और निकट भविष्य में उनसे उत्पादन में कितनी वृद्धि हो जायेगी ?

श्री आर० जी० दुबे : जैसा कि दूसरे विवरण में बताया गया है, सुधार के कतिपय ढंग अपनाये गये हैं, और विकास संबंधी जो खर्चा किया जायेगा वह खानों के यंत्रीकरण, रेत की थाकें लगाने, कोयला साफ करने के कारखानों इत्यादि पर किया जायेगा । यह खर्चा करने के बाद यह आशा की जाती है कि उत्पादन में जो कमी आ गई, वह पूरी हो जायेगी ।

प्रश्नों क लिखित उत्तर

विशेष विवाह अधिनियम, १९५४

*८३९. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विशेष विवाह अधिनियम , १९५४ के लागू होने से अब तक विदेशों में सारे ही भारतीय शिष्ट मंडलों में कितने विवाह पंजीबद्ध हुये ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) विदेशों में भारतीय शिष्टमंडलों में विशेष विवाह अधिनियम , १९५४ के अधीन अभी तक कोई विवाह नहीं हुआ है ।

कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण

*८४१. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण की सरकारी नीति के अधीन ग़ैर-सरकारी उपक्रमों के राष्ट्रीयकरण के लिये क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं ; और

(ख) कोयले की खदानों का अनुचित प्रयोग न होने देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्पादन मंत्री के सभा सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) वर्तमान ग़ैर-सरकारी कोयले की खानों के बारे में सरकार ने फैसला किया है कि उन्हें किसी निश्चित

समय के लिये राष्ट्रीयकरण न करने की गारंटी न दी जाये। परन्तु इसलिये कि कोयले की खानों वाले द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में इच्छित मात्रा तक कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिये कदम उठा सकें, ग़ैर-सरकारी उपक्रमों को यह आश्वासन दिया जायेगा कि यदि राष्ट्रीयकरण किया गया तो उन्हें सरकार द्वारा अनुमोदित विकास योजनाओं पर लगाई हुई अधिक पूंजी का, केवल अवमूल्यन को छोड़ कर, पूरा मुआवजा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण की नीति के बारे में सरकार ने कोई शर्तें निर्धारित नहीं की हैं।

(ख) 'दी इंडियन माइनज़ एक्ट' और उसके अधीन जारी किये गये नियम तथा 'दी कोलमाइनज़ (कंजर्वेशन एंड सेफ़्टी) ऐक्ट' और उसके अधीन बनाये गये नियम इस बात के लिये यथेष्ट सुरक्षण निर्धारित करते हैं कि खानों में कोयला निकालने के सही तरीके अपनाये जायें।

रबड़ की वस्तुएं

*८४२. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि हाल ही के वर्षों में रक्षा मंत्रालय ने उनके मंत्रालय से अपनी रबड़ की वस्तुओं की आवश्यकतायें देशीय स्रोतों से ही और सस्ते से सस्ते भावों पर प्राप्त करने पर पूरी करने के लिये कहा है, जिनका अनुमानित मूल्य लगभग ६० लाख रुपये प्रति वर्ष होगा ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : जी, नहीं।

बाट और मापे

*८४३. **श्री बर्मन :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत भर में एक ही प्रकार के बाटों और मापों का चलन शुरू करने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में कब से विधान का सूत्रपात करने की सोच रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां।

(ख) आशा है कि भारत भर में दाशमिक मान के बाटों और मापों का चलन जारी करने के लिये एक विधेयक अगले वर्ष किसी भी समय संसद् में प्रस्तुत करने के लिये तैयार हो जायेगा।

मेसर्स कार्बोरन्डम यूनिवर्सल लिमिटेड

*८४९. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सान चढ़ाने के पत्थर और घिसाई के रेगमार तैयार करने वाले, मद्रास के मेसर्स कार्बोरन्डम यूनिवर्सल लिमिटेड की सारी पूंजी भारतीय ही है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसमें किस अनुपात से पूंजी लगी हुई है और पूंजी लगाने की क्या शर्तें हैं और उसके निदेशक बोर्ड की किस प्रकार की रचना है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) अधिकांश अंश भारतीयों ने लिये हैं। विदेशी पूंजी को इसी शर्त पर स्वीकृति दी जाती है कि विदेशी सार्थ भारतीय सार्थों को सर्वदा ही सारी प्राविधिक जानकारी और औज़ार-विधि परिचय (व्यवहार-ज्ञान) का लाभ जुटाते रहेंगे और साथ ही विदेशी कम्पनियों के व्यापार-चिन्ह और भारतीय व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने की सुविधा देते रहेंगे। निदेशक बोर्ड में आठ व्यक्ति रहते हैं, जिन में से चार भारतीय

और चार विदेशी होते हैं, और बोर्ड का सभापति भारतीय ही रहता है ।

कोयला उद्योग

*८५१. **श्री झूलन सिंह :** क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला उद्योग यह शिकायत करता रहा है कि कोयले की कीमतें इतनी अपर्याप्त हैं कि वे बचाव करने और थाक लगाने आदि के उपायों पर खर्च नहीं कर पाते ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में कौन से कदम उठाने जा रही है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी, हां । इस उद्योग के प्रतिनिधियों ने उनके साथ होने वाली बैठकों और चर्चाओं में इस प्रकार के अभ्यावेदन किये हैं कि सरकार द्वारा निर्धारित कोयले की कीमतें अपर्याप्त हैं और कोयला निकालने के खर्च में होने वाली बढ़ती को देखते हुये उनके पुनरीक्षण की आवश्यकता है ।

(ख) सरकार ने उद्योग द्वारा किये गये अभ्यावेदनों की जांच पड़ताल की है । हाल ही में, दूसरे दर्जे के धातुकार्मिक कोयले की कीमत प्रति टन तीन आने बढ़ा दी गई है । कोयले की कीमतों में यह बढ़ती तीन आने प्रति टन की उस पिछली बढ़ती के अतिरिक्त की गई है जिसकी स्वीकृति कोयले की खानों के श्रमिकों के लिये पुनरीक्षित भविष्य निधि की योजना आरम्भ करने के समय दी गई थी । जहां थाक लगाना अनिवार्य है, वहां कोयले की खानों को उसके खर्च के बराबर सहायता की स्वीकृति दी जाती है । अपनी इच्छा से थाक लगाने वाली कोयले की खानों को दी जाने वाली सहायता में भी हाल में वृद्धि कर दी गई है । सरकार कोयले की कीमतों के एक व्यापक पुनरीक्षण के लिये कदम उठा रही है । अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (कोयला खदान विभाग) वेतन की दर और कोयला खानों के श्रमिकों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं की जांच पड़ताल कर रहा है और उसके पंचाट की शीघ्र ही मिल जाने की आशा है । न्यायाधिकरण के पंचाट की रोशनी में, कोयले की कीमतों से सम्बन्धित सारी स्थिति का पुनरीक्षण करना आवश्यक हो जायेगा ।

कोयला बोर्ड अपने द्वारा थाक लगाने के लिये दी जाने वाली सहायता के और अधिक पुनरीक्षण के प्रश्न पर विचार कर ही रहा है ।

रूरकेला में अमोनिया के संश्लिष्टीकरण का संयंत्र

*८५२. **श्री के० पी० सिन्हा :** क्या **लोहा और इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि उर्वरक उत्पादन समिति ने यह सुझाव दिया है कि भविष्य में अमोनिया के संश्लिष्टीकरण के संयंत्र को इस्पात के बड़े-बड़े कारखानों से मिला दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो रूरकेला के अमोनिया के संश्लिष्टीकरण के संयंत्र को मिला देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, हां । उर्वरक उत्पादन समिति ने सिफारिश की है कि जहां भी संभव हो सके वहां अमोनिया के संश्लिष्टीकरण के संयंत्रों को इस्पात के नये संयंत्रों (कारखानों) से मिला देना चाहिये ।

(ख) रूरकेला के इस्पात संयंत्र से जुड़ा हुआ एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का विचार किया जा रहा जा रहा है ।

भारत में लार्ड होम की यात्रा

*८५७. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंगलैंड के राष्ट्रमंडल कार्य मंत्री, लार्ड होम, हाल ही में सरकार के आमंत्रण पर भारत आये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनके यहां आने का उद्देश्य क्या था ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख). भारत सरकार ने ही अर्ल आफ होम को आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड से इंगलैण्ड को उनकी वापसी के समय भारत आने का आमंत्रण किया था । उनका यह आगमन मित्रता के तौर पर था और इससे लाभ उठा कर दोनों देशों से समान रूप से सम्बन्धित कुछ मामलों पर चर्चा भी की गई थी । वह २१ से २५ अक्तूबर, १९५५ तक भारत में रहे थे ।

पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका में भारतीय

*८६०. **श्री इब्राहीम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका में बसने वाले भारतीयों की मुख्य-मुख्य कठिनाइयां क्या हैं ;

(ख) इस समय उनकी कुल संख्या लगभग कितनी है ; और

(ग) सरकार उनके कष्टों को कहां तक दूर कर सकी है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) उनकी मुख्य कठिनाइयां पांच वर्ष से ऊपर की आयु के बालकों के लिये प्रवेश-पत्रों की स्वीकृति, साझेदारी बदलने, नया व्यापार शुरू करने और भारत को रुपया भेजने पर लगे हुये प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में है । पुर्तगाली सरकार ने पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका में व्यापार करने वाले सभी भारतीय व्यापारियों पर एक कर लगाने का भी निर्णय कर लिया है ।

(ख) उनकी संख्या लगभग १२,६०० है, जिसमें गोआ, दमन और ड्यू के प्रदेशों में रहने वाले लगभग ६,००० भारतीय भी शामिल हैं ।

(ग) पुर्तगाल और भारत के वर्तमान सम्बन्धों को देखते हुये, भारत सरकार इस सम्बन्ध में कुछ भी करने में असमर्थ रही है ।

छोटे पैमाने के उद्योग

*८६३. **श्री बी० के० दास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री १ सितम्बर, १९५५ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये अभी तक शुरू किये गये चार प्रादेशिक संस्थानों द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को क्या सहायता दी जायेगी ; और

(ख) ये संस्थान आजकल किन उद्योगों के सम्बन्ध में कार्य कर रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) ये संस्थान सेवा ऐजेंसियों की तरह कार्य करेंगे और उत्पादन की प्रविधि तथा व्यापार के प्रबन्ध की पद्धति को उन्नत बनाने, उचित प्रकार का कच्चा माल प्राप्त करने और उत्पादन-कार्यक्रम में सहकार्य पैदा करते हुये छोटे उद्योगों को बड़े उद्योगों का सहायक बनाने की दिशा में उसके विकास को बल देने में छोटे पैमाने के उद्योगों को सहायता देंगे ।

(ख) करघा उद्योग के अतिरिक्त, छोटे पैमाने के अन्य सभी उद्योग ।

विदेशों में अपहृत लोग

*८६६. **श्री बी० डी० शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने ग़ैर-मुस्लिम अपहृत व्यक्तियों के, जिस देश में अपहरण हुआ है उसके अतिरिक्त, अन्य देशों में होने का समाचार मिला है ; और

(ख) सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को लौटाने और उनके सम्बन्धियों से उन्हें मिलाने के लिये क्या कोई कदम उठाये हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) कोई भी विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त नहीं हैं ।

(ख) अपहृत व्यक्तियों को लौटाने के सम्बन्ध में आयोजित मई, १९५४ के भारत-पाकिस्तान करार के अन्तर्गत, सम्बन्धित सरकारों के विदेश-स्थित राजनयिक मिशनों के कार्यालयों द्वारा उन अपहृत व्यक्तियों को लौटाने के सम्बन्ध में सहमति प्रकट की गई थी जिनके अन्य देशों में पहुंचा दिये जाने की सूचना मिली है ।

नमक

*८६८. **श्री तुलसीदास** : क्या **उत्पादन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार १९५३ के नमक उपकर अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक उपभोक्ताओं को नमक उपकर से छूट की स्वीकृति दे सकती है ;

(ख) क्या भारी रासायनिक उद्योगों, विशेष कर सोडा ऐश और कास्टिटक सोडा के उद्योगों को ऐसी छूट देने के लिये अभ्यावेदन किये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार यह छूट देने की सोच रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ). अभी इस प्रश्न की जांच की जा रही है ।

काफी की खेती

*८६९. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री १ सितम्बर, १९५५ के तारांकित प्रश्न संख्या १३१४ के उत्तर के सम्बन्ध में सभा-पटल पर रखे गये विवरण के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी की खेती का क्षेत्र बढ़ाने की दृष्टि से कुर्ग, मैसूर और मद्रास राज्यों की सारी कृषि-योग्य भूमि की विवरण युक्त क्षेत्र-माप करने के लिये नियुक्त किये गये विशेषाधिकारी ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) सरकार को अभी तक कोई प्रतिवेदन नहीं दिया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन नहीं होता ।

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी

*८७०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत सरकार ने बरनपुर (बंगाल) की इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के अंशधारियों को १ प्रतिशत से अधिक लाभांश की स्वीकृति देने से मना कर दिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : सरकार ने इस कम्पनी को परामर्श दिया है कि वह

अपने अंशधारियों को दिये जाने वाले लाभांश की दर अधिक न बढ़ाये ।

चमड़ा उद्योग

*८७२. **श्री गणपति राम** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान चमड़ा उद्योग के विकास के लिये क्या कदम उठायें हैं ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, कमाये हुये चमडे के कुल परिमाण का कितने प्रतिशत निर्यात किया गया ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) (१) इस उद्योग को उचित दिशा में विकसित करने के लिये, इस उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के क्षेत्राधिकार में रख दिया गया है ।

(२) गाय-भैंसों के कच्चे चमड़े के निर्यात पर पूरी तौर से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ।

(३) खुले आम लाइसेंस (ओ० जी एल०) के अन्तर्गत, सभी सुलभ मुद्रा वाले स्रोतों से कच्चे चमड़े और खालों के आयात की अनुमति दे दी गई है ।

(४) चमड़े और चमड़े के जूतों सहित चमड़े के सामान के आयात पर बहुत कठोर प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं ।

(५) चमड़े और चमड़े के जूतों सहित चमड़े के सामान का निर्यात पूरी तौर पर विनियंत्रित कर दिया गया है ।

(ख) सही-सही जानकारी प्राप्त नहीं। चमड़े की कमाई के काम का अधिकांश भाग एक छोटे पैमाने के आधार पर किया जाता है, और इस प्रकार कमाया हुआ लगभग सारा चमड़ा देश में ही खप जाता है ।

आवास

*८७५. **श्री दशरथ देब** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरताला के सरकारी कर्मचारियों ने अल्प आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत आवास ऋण के लिये प्रार्थना पत्र दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रार्थियों की संख्या क्या है ; और

(ग) उन लोगों को आवास ऋण देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) त्रिपुरा सरकार ने अभी तक भारत सरकार के पास कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं भेजे हैं ।

इल्मेनाइट और मोनाजाइट

*८७७. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रावणकोर-कोचीन राज्य के त्रिवेन्द्रम जिले में कज़ाकुट्टम में मोनाजाइट और यूरेनियम की अपेक्षाकृत अधिक मात्रायुक्त इल्मेनाइट की बड़ी बड़ी खानें वर्तमान हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार के पास निकट भविष्य में इस क्षेत्र में से मोनाज़ाइट निकालने के सम्बन्ध में क्या योजनायें हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) इस क्षेत्र में इल्मेनाइट के चूर्ण की खाने पाई गई हैं परन्तु मिश्र चूर्ण में इल्मेनाइट का अंश और मोनाजाइट तथा यूरेनियम का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि उनसे भी अधिक बड़ी खानें हैं जिन में काम चल रहा है ।

श्री पिन्टो की केनिया में नजरबन्दी

*८८१. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह जानकारी है कि केनिया इन्डियन कांग्रेस के मंत्री श्री पी० जी० पिन्टो को बहुत समय से नजरबन्द रखा जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके विरुद्ध कोई भी अपराध नहीं लगाया गया है और अभी तक उन पर मुकदमा भी नहीं चलाया गया है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर 'हां' में हो तो क्या सरकार ने उनको छुड़ाने के लिये कोई कदम उठाये हैं या उठाने का विचार कर रही है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) हां, श्रीमान् । श्री पी० जी० पिन्टो १९ जून, १९५४ से नजरबन्द हैं ।

(ख) श्री पिन्टो पर अभी तक किसी भी न्यायालय में किसी भी अपराध के लिये मुकदमा नहीं चलाया गया है । फिर भी उनके द्वारा केनिया के राज्यपाल को दी गई याचिका के उत्तर में उन्हें उनके विरुद्ध लगाये गये अपराधों से सूचित किया गया था और उन्हें नज़रबन्द परामर्शदात्री के समक्ष उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया गया था । समिति ने गवर्नर-इन-काउन्सिल को अपनी सिफारिश प्रस्तुत की जिन्होंने यह निर्णय किया कि श्री पिन्टो को नज़रबन्द रखा जाये ।

(ग) श्री पिन्टो का जन्म केनिया में हुआ था और उन्हें उस उपनिवेश में स्थायी तौर से रहने का आजीवन प्रमाण पत्र प्राप्त है । इसलिये भारत सरकार को उनके छुड़ाने के लिये कोई कदम उठाना संभव नहीं मालूम हुआ ।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर पारपत्र प्रणाली

*८८२. **श्री इब्राहीम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पारपत्र प्रणाली के चालू किये जाने के समय से लोगों का भारत-पाकिस्तान सीमा के आर-पार एक दूसरे के प्रदेश में अनधिकृत प्रवेश कुछ कम हो गया है ; और

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में भारत में कितने लोगों ने अनधिकृत प्रवेश किया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा शीघ्र सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

बी० बी० सी० और आल इण्डिया रेडियो के संवाद दाताओं के लिये प्रसारण सुविधायें

*८८३. **पंडित डी० एन० तिवारी :**
श्री एम० एल० द्विवेदी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया रेडियो और बी० बी० सी० के बीच पारस्परिक सुविधायें देने के प्रश्न पर वार्ता चल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो वह मामला किस स्थिति में है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) वह मामला वार्ता की अन्तिम स्थिति में है ।

इस्पात

८८४. **श्री गिडवानी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रूस ने यह प्रस्ताव किया है कि वह एक लाख टन इस्पात और देने को तैयार है ;

(ख) यदि हां, तो वे कौन सी शर्तें हैं जिनके अन्तर्गत वह उसके देने के लिये तैयार है ; और

(ग) वह इस्पात वास्तव में भारत को दिया कब जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हां, श्रीमान् । अतिरिक्त इस्पात के आयात के लिये वार्ता चल रही है ।

(ख) और (ग). विक्रय की शर्तों पर अभी भी वार्ता चल रही है ।

फिलीपाइन स्थित भारतीय

*८८५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** २९ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे भारतीयों की संख्या क्या है जिन्होंने फिलीपाइनस आप्रवास अधिनियम प्रख्यापन के समय से अभी तक फिलीपाइनस में नागरिकता प्राप्त कर ली है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी।

निर्यात संवर्धन परिषदें

*८८६. **सरदार हुकम सिंह** :
श्री बहादुर सिंह :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं निर्यात संवर्धन परिषदों ने विदेशी बाजारों में कार्यालय खोले हैं; और

(ख) यदि हां, तो वह कौन सी परिषदें हैं और वे कार्यालय किन देशों में खोले गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) अभी तक कोई नहीं, श्रीमान् । कपड़े के मामले में मुझे ज्ञात हुआ है कि थोड़े से विदेशी केन्द्रों में कार्यालय हाल ही में खोले जायेंगे ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नारियल और खजूर की ताड़ी

*८८७. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने नारियल और खजर की ताड़ी को कम सड़ा कर बोतलों में भरने का उद्योग प्रारंभ करने की उपयुक्तता पर विचार किया है ताकि वह हल्के मादक पेय का काम दे सके ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : नहीं, श्रीमान् ।

श्रीलंका में चावल के भारतीय व्यापारी

*८८८. **श्री एस० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि श्रीलंका की सरकार ने भारतीयों को वहां चावल का व्यापार न करने देने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या इस मामले के सम्बन्ध में श्री लंका की सरकार से लिखा पढ़ी की गई है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

इस्पात

*८८९. **श्री गिडवानी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि चीनी जन-वादी गणतन्त्र ने भारत को ६०,००० टन इस्पात देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो कौन सी शर्तें हैं जिनके अन्तर्गत यह प्रस्ताव किया गया है ; और

(ग) भारत को इस्पात कब दिया जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). शर्तों आदि पर अब भी बातचीत चल रही है ।

अन्तर्राष्ट्रीय अणु सम्मेलन

*१७३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** २१ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन भारतीय प्रतिनिधियों ने, जिन्होंने जेनेवा के अन्तर्राष्ट्रीय अणु सम्मेलन में भाग लिया था, कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार का है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रतिवेदन में उल्लिखित मुख्य निष्कर्षों का एक पत्र सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३६]**

बगदाद समझौता

५२३. **श्री कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि इंग्लैण्ड तथा और कोई राष्ट्रमंडलीय देश बग़दाद समझौते (टर्की-सीरिया-इराक़-मिश्र पारस्परिक रक्षा समझौता) में सम्मिलित हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने अपने समझौते में सम्मिलित होने के निर्णय के सम्बन्ध में भारत से परामर्श किया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रत्येक मामले में भारत की प्रतिक्रिया की सूचना भेजी गई थी ; और

(घ) प्रत्येक मामले में भारत के पत्र का सार क्या था ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) टर्की, सीरिया, ईराक और मिस्र द्वारा हस्ताक्षरित कोई रक्षा समझौता नहीं है । टर्की और इराक ने फ़रवरी, १९५५ में एक पारस्तपरिक रक्षा समझौता किया था किन्तु उसका मिस्र और सीरिया द्वारा विरोध किया गया था । समझौते में यह प्रावधान है कि अरब लीग का कोई भी सदस्य, अथवा कोई भी अन्य जो पश्चिम एशिया की सुरक्षा में सक्रिय हित रखता हो, उसमें सम्मिलित हो सकता है । इंग्लैण्ड और पाकिस्तान दो राष्ट्र-

मंडलीय देश हैं जो इस समझौते में सम्मिलित हो गये हैं ।

(ख) इंग्लैण्ड की सरकार ने भारत सरकार को पहले ही अपने इस समझौते में सम्मिलित होने के निश्चय की सूचना दी थी ।

(ग) और (घ). भारत सरकार ने इस निर्णय के सम्बन्ध में इंग्लैण्ड की सरकार को सम्मिलित न हो सकने के सम्बन्ध में खेद प्रकट किया था और सूचित किया था कि ऐसी कार्यवाही का परिणाम अच्छा नहीं होगा ।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति

५२४. **श्री वीरेन दत्त** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे विस्थापित व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनको अभी तक त्रिपुरा राज्य में बसाया नहीं गया है ;

(ख) क्या उनके लिये कुछ नई बस्तियां बनाई जाने वाली हैं ;

(ग) यदि हां, तो बस्तियों के लिये कौन स्थान चुने गये हैं ; और

(घ) उन लोगों को उन बस्तियों में बसाने में कितना समय लगेगा ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) त्रिपुरा राज्य में जल्दी ही एक सर्वेक्षण किया जाने वाला है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ). ५०० परिवारों के लिये नलकाता और छैल लाता नामक स्थान चुने जा चुके हैं । राज्य में उपयुक्त भूमि का पता लगाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

विस्थापित ठेकेदारों के दावे

५२५. **सरदार हुक्म सिंह :**
श्री बहादुर सिंह :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० सितम्बर, १९५५ तक विस्थापित ठेकेदारों और अन्य व्यक्तियों के कितने दावे और कितनी राशियों के थे जिनका भुगतान पाकिस्तान की सरकार तथा वहां के अर्ध सरकारी निकायों ने करना है; और

(ख) अभी तक पाकिस्तान सरकार को कितनी राशियों के कितने दावे भेजे जा चुके हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) ६९,४८० लाख रुपये के ५,४६७ दावे ।

(ख) ३० नवम्बर १९५५ तक ५८.७८ लाख रुपये के १४८७ दावे ।

पाकिस्तान सद्भावना शिष्टमंडल

५२६. **सरदार हुक्म सिंह :**
श्री बहादुर सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, १९५५ में पाकिस्तान से छात्राओं का एक सद्भावना शिष्टमंडल आया था ;

(ख) कितने समय तक भारत में रहीं और उन्होंने कौन कौन से स्थान देखे ; और

(ग) क्या भारत की छात्राओं का ऐसा ही शिष्टमंडल पाकिस्तान गया था ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) पाकिस्तानी छात्राओं का एक दल कराची से भारत

आया था । उनका आगमन व्यक्तिगत और गैरसरकारी था ।

(ख) वह भारत में लगभग १५ दिन ठहरीं और दिल्ली, अलीगढ़, आगरा, ग्वालियर और जयपुर घूमीं ।

(ग) जी, हां ।

फाउन्टेन पैन

५२७. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फाउन्टेन पैनों के कौन-कौन से भाग भारत में बनाये जाते हैं, और कितनी मात्रा में बनाये जाते हैं ;

(ख) उनके बनाने के लिये किन कच्चे मालों की आवश्यकता पड़ती है जो देश में उपलब्ध हैं ;

(ग) फाउन्टेन पैनों के लिये देश की मांग की पूर्ति कहां तक देशी उत्पादन से होती है ; और

(घ) आजकल कितने फाउन्टेन पैन आयात किये जाते ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) फाउन्टेन पैन के अधिकांश भाग देश में बनाये जाते हैं । उन भागों के उत्पादन के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) एबोनाइट, पीतल की चादरें और कुछ प्रकार की रबड़ की नलियां ।

(ग) इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है क्योंकि मांग और उत्पादन की सही अनुमान उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) लगभग ६५,००० प्रति वर्ष ।

केन्द्रीय पार-पत्र संगठन

५२८. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पार-पत्र सम्बन्धी सब काम केन्द्रीय पार-पत्र संगठन को हस्तान्तरित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान संगठन की रचना किस प्रकार की है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) केन्द्रीय पार-पत्र संगठन ने पासपोर्ट जारी करने का काम नीचे लिखे गये राज्यों को छोड़ कर, सब राज्यों से ले लिया है ।

(१) पांडिचेरी (२) उड़ीसा (३) बिहार (४) मनिपुर (५) त्रिपुरा (६) अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह (७) भोपाल (८) हैदराबाद (९) विन्ध्य प्रदेश (१०) आसाम और (११) सौराष्ट्र

(ख) वहां एक मुख्य पासपोर्ट अफसर है जो भारत सरकार के परराष्ट्र मंत्रालय का उप-सचिव भी है । सारे भारत को पांच क्षेत्रों में बांट दिया गया है और प्रत्येक क्षेत्र में एक क्षेत्रीय पासपोर्ट दफ्तर है जो क्षेत्रीय पासपोर्ट अफसर के अधीन है । प्रश्न के भाग (क) के जवाब में लिखे गये राज्यों में पांडिचेरी, उड़ीसा वगैरह का पासपोर्ट का काम, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार राज्यों से धीरे धीरे ले लिया जायेगा । २

सीमान्त की दुर्घटनायें

५२९. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान की भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर १ जुलाई से नवम्बर, १९५५ के अन्त तक की अवधि में कितनी सीमा दुर्घटनायें हुईं ;

(ख) भारतीय पक्ष की कितनी सम्पत्ति की हानि हुई और कितनी जानें गयीं ;

(ग) क्या सरकार ने किसी प्रतिकर का दावा किया है ; और

(घ) यदि हां, तो कितने मामलों में दावे सफल रहे हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) (क) ऊपर कही गई अवधि में राजस्थान सीमा पर ३६ और पूर्वी सीमाओं पर ४३ घटनायें, अर्थात् कुल ७९ दुर्घटनायें हुई । पंजाब तथा कच्छ की सीमाओं पर कोई घटना नहीं हुई ।

(ख) इन घटनाओं में कोई मृत्यु नहीं हुई । ३३,७८९ रुपये की सम्पत्ति चुराई गई थी जिसमें से ९,५०० पये की सम्पत्ति वापस मिल गई थी ।

(ग) और (घ). यह घटनायें डकैती लूट, चोरी पशुओं की चोरी और व्यक्तियों को उठा ले जाने की थीं । इस प्रकार की दुर्घटनाओं में भारतीय पुलिस पदाधिकारियों द्वारा पाकिस्तानी पुलिस पदाधिकारियों की सहायता से चुराई गयी सम्पत्तियों और अपहृत लोगों को वापस लौटाने के लिये कोशिश की जा रही है । किसी घटना के सम्बन्ध में प्रतिकर का दावा नहीं किया गया था ।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य सीमा के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और शीघ्रातिशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारती युद्धबन्दी

५३०. श्री एस० एल० सकसेना : क्या **प्रधान मंत्री** १९ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इसमें मांगी गई जानकारी इकट्ठी कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसे सभा पटल पर कब रखा जायेगा ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). मांगी गई जानकारी इकट्ठी की जा रही है और शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

लंका में भारतीय

५३१. { श्री कृष्णाचार्य जोशी : / श्री डी० सी० शर्मा : / सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लंका में कितने भारतीयों को १९५५ में अभी तक लंका छोड़ देने के आदेश दिये जा चुके हैं ; और

(ख) इसी अवधि में कितने व्यक्ति भारत आ गये हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) १ जनवरी से १९ नवम्बर, १९५५ तक १६,९८३ भारतीयों को लंका छोड़ देने के आदेश दे दिये गये थे ।

(ख) उसी अवधि में कुल १५,३९२ भारतीय जिनमें ४,८९५ ऐसे व्यक्ति थे जिन को लंका छोड़ देने का आदेश दे दिया गया था, भारत आये ।

मलाया तथा सिंगापुर में भारतीय

५३२. श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ के दौरान में अभी तक मलाया तथा सिंगापुर से अभी तक कितने भारतीयों को वापस भेजा गया है ; और

(ख) उनको वापस लौटने के लिये सरकार ने कौन कौन सी सुविधाओं की व्यवस्था की है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) १८ नवम्बर, १९५५ तक मलाया तथा सिंगापुर से वापस भेजे गये भारतीयों की कुल संख्या ११३८ है ।

(ख) भारतीय मजदूरों को जो पुरानी आप्रवास योजना के अन्तर्गत मलाया गये थे, वापस भेजने का प्रबन्ध स्थानीय सरकारों के आप्रवास तथा समाजकल्याण विभागों द्वारा किया जाता है जो आप्रवास निधि में से इस कार्य के लिये धन व्यय करते हैं । मजदूरों के अलावा निराश्रित भारतीयों को तब वापस भेजा जाता है जब वे लिखित रूप में आश्वासन देते हैं कि उनकी यात्रा के लिये दिया गया धन आदि वे वापस लौटा देंगे ।

मलाया तथा सिंगापुर में भारतीय

५३३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मलाया तथा सिंगापुर में भारतीय लोगों पर व्यापार अनुज्ञप्ति विधान के अन्तर्गत व्यापार-अधिकार सम्बन्धी प्रतिबन्ध हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने भारतीयों पर से इन प्रतिबन्धों के हटाये जाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी, नहीं । व्यापार अनुज्ञप्ति विधान के अन्तर्गत उनके ऊपर व्यापार अधिकारों के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेगमार

५३४. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में सान के पत्थर तथा रेगमार के आयात की औसत क्या रही है ; और

(ख) इन चीजों को देश में पैदा करके देश की कितनी आवश्यकता पूरी की जाती है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). सान के पत्थर और रेगमार के आयात के आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि सीमा शुल्क के विवरण में उन्हें पृथक दिखाया नहीं जाता । कुछ विशेष प्रकार के सान के पत्थर तथा रेगमार जो देश में तैयार नहीं किये जाते और जिनके आयात की अनुमति दी गई है, के अलावा देश में तैयार किये जाने वाले सान के पत्थर तथा रेगमार के उत्पादन के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं : —

	सान के पत्थर	रेगमार
	टन	रीम
१९५३	३६१	६१०२
१९५४	५०६	७०५७
१९५५ (जनवरी—अगस्त)	४०९	४४६७

हिन्दी बोलियों में प्रसारण

५३५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५४–५५ के दौरान आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से हिन्दी की

विभिन्न बोलियों में कितनी वार्तायें और गीत प्रसारित किये गये ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : १९५४–५५ के वित्तीय वर्ष में अखिल भारतीय रेडियो के दिल्ली स्टेशन से हिन्दी की विभिन्न बोलियों में २११९ लोक गीत प्रसारित किये गये । साधारण कार्यक्रम में वार्तायें किसी बोली में प्रसारित नहीं की जातीं । किन्तु देहाती प्रोग्रामों के कुछ भागों से बोलियों का नियमित प्रयोग किया जाता है ।

सरकारी प्रशासन

५३६. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन किन पत्रों तथा प्रकाशनों में सरकारी कर्मचारियों की अधिकतर रचनायें रहती हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : सरकारी कर्मचारियों की रचनायें अधिकतर पत्रों में प्रकाशित होती हैं । 'कुरुक्षेत्र' और 'ग्रामसेवक' पत्रों में प्रकाशित होने वाली सरकारी कर्मचारियों की रचनाओं के लिये उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता । ये पत्र मुख्यतया सामुदायिक परियोजना प्रशासन के विभागीय उपयोग में लाई जाती हैं । इसी प्रकार 'भगीरथ' पत्र जो विभागीय प्रयोग तथा सामान्य प्रचार के लिये है--में प्रकाशित सरकारी कर्मचारियों की रचनाओं के लिये भी कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता । अन्य पत्रों में 'मार्च आफ इण्डिया' में जो मुख्य रूप से विदेशी पाठकों के लिये है, प्रकाशित सरकारी कर्मचारियों की रचनाओं के लिये जो लगभग सभी रचनाओं की एक तिहाई होती है, पारिश्रमिक दिया जाता है ।

पंजाब का औद्योगिक विकास

५३७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य में औद्योगिक विकास के लिये पंजाब सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता की मांग की है ;

(ख) किन उद्योगों को सहायता दी गई और वे कहां स्थित हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा अनुदान तथा ऋण के रूप में अलग अलग कितनी राशि दी गई है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३७]**

नेपाल को कपड़े का निर्यात

५३८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारत से नेपाल को किये जाने वाले कपड़े के निर्यात पर से सभी प्रतिबन्ध उठाना चाहती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या अनुज्ञप्ति प्रणाली को समाप्त करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को कोई निदेश भेजे गये हैं ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) भारत से नेपाल को वस्त्र के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

(ख) शायद माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय व्यापारियों के

लिये कपड़े तथा सूत की अनुज्ञप्ति प्रणाली के बारे में पूछ रहे हैं । यदि हां, तो मालूम हुआ है कि सरकार अनुज्ञप्ति प्रणाली को १ अक्तूबर, १९५५ से अग्रेतर एक वर्ष के लिये चालू रहने के लिये निश्चय कर चुकी है ।

चाय उद्योग

५३९. **श्री डो० सी० शर्मा :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत पांच वर्षों में भारत में चाय उद्योग में कितनी विदेशी पूंजी (राज्य वार) लगाई गई है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): उपलब्ध जानकारी के अनुसार जून, १९४८ के अन्त में चाय उद्योग में लगाई गई कुल विदेशी पूंजी ५०.३१ करोड़ रुपये और दिसम्बर, १९५३ के अन्त में ७०.८३ करोड़ रुपये थी । वर्षवार या राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

समाचार फिल्में

५४०. **श्री डो० सी० शर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में अभी तक कितनी भारतीय समाचार फिल्में विदेशों में दिखाने के लिये भेजी गईं ; और

(ख) इन से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) १९५५–५६ में ३० नवम्बर, १९५५ तक वाणिज्यिक वितरकों की मार्फत ६८ समाचार फिल्में विदेशों में भेजी गई थीं इसके अलावा ९ मासिक फिल्में मध्यपूर्व तथा एशियायी देशों में स्थित भारतीय प्रतिनिधियों के कार्यालयों को भेजी गईं ।

(ख) प्रिंट की लागत तथा भाड़ा आदि को छोड़ कर ४९८० रुपये ।

बाइसिकल के कारखाने

५४१. **श्री दिगम्बर सिंह:** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में १९६१ तक स्थापित किये जाने वाले ११ कारखानों में से जो ४ बाइसिकलों के कारखाने उत्तर प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले हैं वे कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे और कब तक स्थापित किये जायेंगे ; और

(ख) निजी पूंजी और सरकारी पूंजी से अलग-अलग कितने कारखाने स्थापित किये जायेंगे ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) लखनऊ, बनारस, आगरा और रामपुर में । आशा है कि ये कारखाने १९५६ के मध्य तक स्थापित हो जायेंगे ।

(ख) तीन कारखाने निजी पूंजी और एक कारखाना आंशिक रूप में राज्य की पूंजी से स्थापित किया जायेगा ।

अन्तर्राष्ट्रीय पार-पत्र

५४२. **चौधरी मुहम्मद शफी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९५५ के बाद से कितने व्यक्तियों ने अन्तर्राष्ट्रीय पार पत्रों के लिये आवेदन पत्र दिये ; और

(ख) कितने व्यक्तियों को पार-पत्र दिये गये ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख) इस समय भारत सरकार के पास यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर पारपत्र देखने की चौकी

५४३. **श्री इब्राहीम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पाकिस्तान सीमा पर पारपत्र देखने की कितनी चौकियां हैं ; और

(ख) बिहार-पूर्वी बंगाल सीमा पर ऐसी कितनी चौकियां हैं और उनके क्या नाम हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) ६२ ।

(ख) २, अर्थात्, पाटागोरा और कुकराढ़ा ।

सरकारी विज्ञापन

५४४. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मनीपुर सरकार ने सितम्बर और अक्तूबर १९५५ में मनीपुर के स्थानीय दैनिक पत्रों 'नगासी' 'अनावबा समाज' और 'प्रजातंत्र' में अलग अलग और तुलनात्मक दृष्टि से कितने विज्ञापन प्रकाशित कराये ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : जानकारी नीचे दी जाती है :

समाचार पत्र का नाम	इन पत्रों में निम्न मासों में मनीपुर सरकार द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों की संख्या	
	सितम्बर १९५५	अक्तूबर १९५५
'नगासी'	४७	५५
'अनावबा समाज'	४५	३३
'प्रजातंत्र'	६२	७८

पाकिस्तानी विद्यार्थियों के लिए वीसा (दृष्टांक)

५४५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पाकिस्तान के कितने विद्यार्थियों ने १९५५-५६ में भारत में पढ़ने के लिये अभी तक वीसा के लिये प्रार्थना पत्र दे दिया है ; और

(ख) वास्तव में उनको कितने वीसा दे दिये गये हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) २११० जिन में ७७८ ऐसे विद्यार्थी भी सम्मिलित हैं जिन्होंने वीसा की नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र दिया है ।

(ख) १८९० जिसमें ७६३ ऐसे वीसा सम्मिलित हैं जो नवीन कर दिये गये हैं ।

करघा उपकर निधि

५४६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में विभिन्न विकास योजनाओं के लिये करघा उपकर निधि में से अब तक कितनी धन राशि मंजूर की गई है ; और

(ख) पंजाब सरकार ने उक्त निधि में से कितनी धन राशि खर्च की है और अब तक प्रारम्भ की गयी योजनायें किस प्रकार की हैं ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३८]**

खनिज अयस्कों का निर्यात

५४७. **श्री आर० एन० एस० देव** : क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री २१ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४८ से कलकत्ता पत्तन से खनिज अयस्कों के बाहर भिजवाने वाले आढ़तियों के नाम क्या हैं ;

(ख) उसी अवधि में कलकत्ता पत्तन से किन किन विदेशी खरीददारों ने कुल कितनी खनिज अयस्कें खरीदी हैं ;

(ग) किन किन विदेशी खरीददारों के अपने प्रतिनिधि कलकत्ते में हैं ; और

(घ) उपरोक्त अवधि में कितने खान-मालिक विदेशियों के साथ माल खरीदने के ठेकों के अभाव में खनिजों का अपना कोटा निर्यात न कर सके ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) विद्यमान आढ़तियों की, जिनका खनन में कोई हित नहीं है, एक सूची जहां तक जानकारी उपलब्ध है, संलग्न है । (विवरण १) १९४८ के बाद से अयस्क का निर्यात करने वाले आढ़तियों के बारे में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) विदेशी खरीददारों के नाम, और उनके द्वारा कलकत्ता पत्तन से खरीदी गई अबरक और लोहा अयस्क के परिमाण बताने वाली सूची संलग्न है । (विवरण २) यह जानकारी केवल १६.१०.५३ के बाद से उपलब्ध है जब कि कलकत्ता पत्तन से अयस्क के निर्यात पर नियंत्रण लागू किया गया था ।

(ग) ठीक ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है । कुछ विदेशी खरीददारों की, जिनके अपने प्रतिनिधि कलकत्ते में हैं, एक सूची संलग्न है । (विवरण ३)

(घ) जो खान मालिक जनवरी—जून १९५५ में उन्हें दिये गये कोटे के अनुसार लोहा और अबरक अयस्क निर्यात न कर सके, उनकी संख्या इस प्रकार है :

लोहा अयस्क—५

अबरक अयस्क—६

अयस्क का निर्यात न किये जाने के ठीक-ठीक कारण मालूम नहीं हैं । [देखिये **परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३९**]

रसायनिक पदार्थ

५४८. **चौधरी रघुवीर सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहले जिन कुछ रसायनिक पदार्थों का आयात किया जाता था, उनमें देश अब आत्म निर्भर हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन से रसायनिक पदार्थ हैं ; और

(ग) कौन कौन से रसायनिक पदार्थों का अब भी आयात होता है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). उन रसायनिक पदार्थों की जिनकी मांग अधिकतर देशी उत्पादन से पूरी की जाती है, सूची दिखाने वाला विवरण पटल पर रखा जाता है । [देखिये **परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४०**]

लोहा अयस्क

५४९. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी देश को लोहा अयस्क के निर्यात की कोई प्रस्थापना है :

(ख) यदि हां, तो वे कौन कौन से देश हैं ; और

(ग) कितना लोहा अयस्क और किन किन शर्तों पर वह निर्यात किया जायेगा ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). लोहा अयस्क उन सभी स्थानों को निर्यात किया जा सकता है। जहां के लिये अनुमति प्राप्त है। विभिन्न भागों में अयस्क ले जाने की रेलवे की सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए निर्यात कोटा समय समय पर निश्चित किया जाता है। आढ़तियों और खान मालिकों को उनके पूर्व निर्यातों अथवा उत्पादन के आधार पर कोटे दिये जाते हैं।

१९५३-५४ और १९५४-५५ में किन किन देशों को कितना कितना लोहा अयस्क निर्यात किया गया है इसकी जानकारी बताने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४१]**

सीमान्त की घटना

५५०. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह जानती है कि पाकिस्तानी राष्ट्रजन जिन के पाकिस्तानी सैनिक होने का खयाल है, बीकानेर (राजस्थान) के गंगानगर तहसील में धनूर के सीमान्त गांव के पास पशु चराते हुये एक भारतीय ग्रामीण को भगा कर पाकिस्तान ले गये ;

(ख) क्या यह सच है कि उसके पशु भी पाकिस्तान ले जाये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विषय में कोई कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू) (क) से (ग). भारतीय ग्रामीण भगाया नहीं गया था। पाकिस्तान सीमा पुलिस ने उसे, भारत-पाकिस्तान सीमा के निकट पाकिस्तान प्रदेश में अपने पशु चराते हुये पाये जाने पर, २९ अक्तूबर, १९५५ को हिरासत में ले लिया था। उसके पशु भी जब्त किये गये थे। राजस्थान के स्थानीय अधिकारियों ने बहावलपुर के स्थानीय अधिकारियों से इस विषय की चर्चा उठायी है और वे उसे शीघ्र छुड़ाने और उसके पशु लौटाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

'ग' श्रेणी के वीसा (दृष्टांक)

५५१. **श्री गिडवानी :**
सरदार हुक्म सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान १७ नवम्बर, १९५५ को भारतीय समाचार पत्रों में प्रकाशित पी० टी० आई० कराची के इस समाचार की ओर गया है कि पाकिस्तान न्यूज एजेन्सी ने पाकिस्तानी समाचार पत्रों में इस आशय की एक सूचना परिचालित की है कि किसी विदेश के जासूसों ने पाकिस्तान में अपनी ध्वंसात्मक कार्यवाहियां अभी हाल में अधिक बढ़ा दी हैं और आगे यह बताया है कि वे लोग 'ग' श्रेणी के वीसाओं के अधीन पाकिस्तान में प्रवेश कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि 'ग' श्रेणी के वीसा केवल भारतीयों को ही दिये जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विषय में कोई कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : (क) से (ग). सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर आकृष्ट किया गया है जो पाकिस्तान न्यूज एजेन्सी द्वारा परिचालित किये गये हैं और जिन्हें पाकिस्तानी समाचार पत्रों में प्रमुख स्थान दिया गया है । इन समाचारों में यह कहा गया था कि इन जासूसों ने 'सी' श्रेणी के विसाओं के अधीन पाकिस्तान में प्रवेश किया था । चूंकि इस श्रेणी का विसा केवल भारतीय राष्ट्रजनों के लिये ही लागू होता है, यह समझा गया कि इन समाचारों में भारतीय राष्ट्रजनों की ओर निर्देश किया गया था ।

इन समाचारों में जासूसी के आरोप बिलकुल मनगढ़न्त और निराधार हैं । कराची में हमारे उच्च आयुक्त ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था । प्रधान मंत्री ने यह उत्तर दिया कि इस बात में सरकार का कोई हाथ नहीं है और पाकिस्तान सरकार इस सम्बन्ध में कही गयी बातों में विश्वास नहीं रखती । उन्होंने उच्चायुक्त को आश्वासन दिया कि इस प्रकार की घटनायें फिर नहीं होंगी ।

जोहान्सबर्ग से भारतीयों को निकालना

५५२. **श्री बी० डी० शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस प्रकार की कोई सूचना मिली है कि दक्षिण अफ्रीका के प्राधिकारियों ने दक्षिण अफ्रीका के जाति-भेद कानूनों के अन्तर्गत भारतीयों को जोहान्सबर्ग से निकालना आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कहां बसाये जायेंगे ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) जी, नहीं । यह मालूम हुआ है कि जोहान्सबर्ग से वेस्टर्न नेटिव टाउनशिप से अफ्रीकी लोगों के निकाले जाने के कारण कुछ भारतीय व्यापारियों को, उनके व्यापार पर असर पड़ने से, जोहान्सबर्ग छोड़ने के लिये मजबूर किया गया ।

(ख) इसका पता नहीं है । ख्याल है कि जाति क्षेत्रों की घोषणा किये जाने के बाद, उन्हें इन क्षेत्रों में भेज दिया जायेगा ।

कपड़े की मिलें

५५३. **श्री हेडा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) पिछले तीन महीनों में सूती वस्त्र मिलों के स्टाक की क्या स्थिति है और गत वर्ष के आंकड़ों की तुलना में यह कैसा है ;

(ख) क्या सरकार को आगामी महीनों में कपड़े की कमी की कोई आशंका है ;

(ग) कितनी मिलों में तीसरी पाली चला की अनुमति है और उनके कुल करघे कितने हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार और मिलों को तीसरी पाली चलाने की अनुमति देने का है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४२]**

(ख) यह अपनी अपनी राय की बात है ।

(ग) अगस्त, १९५५ में, जो सब से हाल की जानकारी उपलब्ध है, ६५ मिलों में बुनाई की तीसरी पाली में काम किया गया था जिन में कुल करघे ५६,३३८ थे और ३९,५५३ करघे तीसरी पाली में चलाये गये ।

(घ) मिलों में तीसरी पाली चलाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

जाति-पृथक्करण

५५४. श्री कामत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण अफ्रीका संघ में भारतीय उद्भव के ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो उस सरकार की नीति जाति-पृथक्करण की नीति और विधि के अधीन अलग कर दिये गये हैं;

(ख) कितने भारतीयों ने इस विधि का विरोध किया जिन्हें उसके परिणामस्वरूप गिरफ्तार किया गया या और कोई दण्ड दिया गया ;

(ग) उस देश ने जाति पृथक्करण की विधि लागू होने के बाद से कितने भारतीय भारत लौट आए हैं; और

(घ) क्या भारतीय दक्षिण अफ्रीकी नीतियों के विरुद्ध आन्दोलन में गैर-यूरोपीय जातियों को सहयोग दे रहे हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) दक्षिण अफ्रीका संघ में उस सरकार का जाति-पृथक्करण की नीति और विधि के अधीन अलग किये गये भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की संख्या मालूम नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में अधिकतर भारतीय, एशियाई भू-धृति विधियों के अधीन अनेक वर्षों से पीड़ित हैं। समुदाय क्षेत्र अधिनियम, न केवल भारतीयों का पृथक्करण पूरा करने के लिये बल्कि उनकी कार्य व्यवस्था का गला घोंटने के उद्देश्य से उन्हें विद्यमान क्षेत्रों से उखाड़ कर नये क्षेत्रों में फेंकने के लिये भी बनाया गया है। इस अधिनियम का पूरा प्रभाव तब मालूम होगा जब समुदाय क्षेत्र घोषित कर दिये जायेंगे, किन्तु अनेक भारतीय पहले से ही पीड़ित हैं।

(ख) ज्ञात नहीं है।

(ग) ज्ञात नहीं है।

(घ) जी, हां।

सीमान्त की घटनायें

५५५. श्री इसलामुद्दीन : क्या प्रधान मंत्री नवम्बर १६५३ में पूर्निया (बिहार) की सीमा के निकट पाकिस्तान की पुलिस द्वारा मारे गये भारतीय राष्ट्रिक के बारे में १ सितम्बर, १६५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १३४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने उनके प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले के बारे में वह किस अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंची है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). मामला अब भी पाकिस्तान सरकार के विचाराधीन है।

निष्क्राम्य संपत्तियों का पुनर्मूल्यन

५५६. श्री गिडवानी : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विस्थापित व्यक्ति तथा पुनर्वास नियम १६५५ के पारित किये जाने से पूर्व, ऐसी बांटी जाने वाली निष्क्राम्य सम्पत्तियों का, जिनका मूल्य एक बार १०,००० रुपये के नीचे किया गया था, पुनर्मूल्यन और नीलाम किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा किये जाने के क्या कारण हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). ऐसी सम्पत्तियां, जिनका मूल्य ५,००० रुपये से कम किन्तु १०,००० रुपये से अधिक हो, पहले बेची जा सकती

थीं। इसलिये, उनका मूल्यन अत्यन्त सावधानीपूर्वक किया जाना आवश्यक नहीं था। किन्तु चूंकि अब उक्त सम्पत्तियां अब बांटी जाने योग्य हुई हैं, उनका मूल्यन सावधानीपूर्वक, ५,००० रुपये से कम मूल्य वाली सम्पत्तियों के मूल्यन के आधार पर किया जा रहा है।

पूर्वी अफ्रीका के साथ व्यापार

५५७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में अब तक, कीनिया, युगांडा और टेंगेनिका को और उन से, क्रमशः निर्यात और आयात की गई वस्तुओं के नाम और उनके मूल्य क्या हैं; और

(ख) १९५४ में किये गये निर्यात और आयात का मूल्य कितना है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). जानकारी देनेवाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४२]**

रेल की पटरियों का आयात

५५८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में भारतीय रेलों के उपयोग के आयातित रेल की पटरियों की मात्रा कितनी है ; और

(ख) जिन देशों से रेल की पटरियां आयात की गईं उनके नाम क्या हैं ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) अक्टूबर, १९५५ तक २१,००० टन।

(ख) जापान, ब्रिटेन और फ्रांस।

लाहौर डी० ए० वी० कालेज कैम्प

५५९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाहौर के डी० ए० वी० कालेज में विस्थापितों के लिये बने पारनयन कैम्प में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों की संख्या १ नवम्बर, १९५५ को कितनी थी ;

(ख) वह अधिकतम अवधि, जिसके लिये उक्त कैम्प के किसी वर्तमान निवासी को वहां रहना पड़ा हो, कितनी है ; और

(ग) क्या भविष्य में कैम्प को जारी रखा जायेगा ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) (क) २४६।

(ख) सात महीने।

(ग) जी, हां।

अफ्रीका में भारतीय

५६०. सरदार इकबाल सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफ्रीका में अंगोला में इस समय रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या उन में वहां किसी प्रकार की निर्योग्यता थी ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त निर्योग्यता का स्वरूप क्या था ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) भारत सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है किन्तु यह अनुमान

लगाया जा सकता है कि अंगोला में रहने वाले भारतीय, पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका में रहने वाले भारतीय जिन निर्योग्यताओं के अधीन हैं, उन्हीं के अधीन हैं। उस क्षेत्र में भारतीयों के समक्ष जो मुख्य कठिनाइयां हैं, वे ५ वर्ष से अधिक आयु के बालकों के लिये प्रवेश परमिट प्राप्त करने के सम्बन्ध में, भागिता में परिवर्तन की और नया उद्योग शुरू करने की और भारत को पैसा भेजना बन्द किया जाना आदि है। समाचार पत्रों के अनुसार ज्ञात हुआ है कि पुर्तगाली क्षेत्रों में, जिन में अंगोला भी शामिल है, रहने वाले सभी भारतीयों पर करारोपण करने का निश्चय पुर्तगाली सरकार ने किया है। उक्त कर कितना होगा तथा वह किस प्रकार का होगा इस बारे में कोई विवरण इस समय उपलब्ध नहीं है।

अस्पृश्यता पर रेडियो प्रसारण

५६१. **श्री रामदास** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में, अस्पृश्यता की प्रथा के विरुद्ध, ग्रामीणों के लिये कार्यक्रम के दौरान आल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित भाषणों की और गानों की संख्या कितनी है ; और

(ख) उक्त प्रसारण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) और (ख). अप्रैल से ले कर नवम्बर, १९५५ तक की अवधि के लिये जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा-समय सभा पटल पर रखी जायेगी।

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, १५ दिसम्बर, १९५५]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ५१११–५४

ता० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ
८४०	बन्दरों का निर्यात	५१११–१३
८४४	दिल्ली से संयुक्त राष्ट्र रेडियो का प्रसारण	५११३–१५
८४५	इस्पात सम्बन्धी टैक्नीकल कर्मचारियों का प्रशिक्षण	५११५–१७
८४६	सरकारी प्रैस	५११७–१९
८४७	अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	५१२०–२१
८४८	मलाया में भारतीय	५१२१–२२
८५०	अभ्रक	५१२२–२३
८५३	मिडलेंडस और वरमिंघम के ढलाई घर में भारतीय कर्मचारी	५१२३–२५
८५४	ट्रिनीडाड में रहने वाले भारतीय	५१२५–२५
८५५	मशीनों का आयात	५१२६–२७
८५६	निष्क्रान्त सम्पत्ति करार	५१२७–२९
८५८	अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिये संरक्षण	५१२९–३०
८५९	ब्रिटिश गायना से भारतीयों की वापसी	५१३०–३२
८६१	बढ़ईगीरी का चलता-फिरता प्रदर्शनार्थ कारखाना	५१३३
८६२	द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये विदेशी मुद्रा	५१३४–३५
८६४	इस्पात	५१३५–३७
८६५	कपास	५१३७
८६७	टाटा आयरन एन्ड स्टील कम्पनी	५१३७–३९
८७१	नीवेली लिगनाइट परियोजना	५१३९–४१
८७३	आजाद हिन्द फौज और भारतीय स्वतन्त्रता लीग की अस्तियां	५१४१–४४
८७४	प्रथम पंचवर्षीय योजना	५१४४–४६
८७६	औद्योगिक गृह व्यवस्था	५१४६–४८
८७८	भारत पाकिस्तान बढ़ आयोग	५१४८–५०
८७९	भिलाई इस्पात संयत्र	५१५०–५१
८८०	खादी	५१५१–५२
८८०–क	कोयला	५१५२–५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर ५१५४–९६

ता० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ
८३९	विशेष विवाह अधिनियम, १९५४	५११४
८४१	कोयला उद्योग का राष्ट्रीय करण	५१५४–५५
८४२	रबड़ की वस्तुएं	५१५५
८४३	बाट और मापें	५१५५–५६
८४९	मैसर्ज कार्बोरन्डम यूनिवर्सल लिमिटेड	५१५६–५७
८५१	कोयला उद्योग	५१५७–५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

ता० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ
८५२	रुरकेला में अमोनिया के संश्लिष्टीकरण का संयंत्र	५१५८
८५७	भारत में लार्ड होम की यात्रा	५१५९
८६०	पुर्तगाली पूर्वी अफ्रीका में भारतीय	५१५९–६०
८६३	छोटे पैमाने के उद्योग	५१६०
८६६	विदेशों में अपहृत लोग	५१६१
८६८	नमक	५१६१–६२
८६९	काफी की खेती	५१६२
८७०	इन्डियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी	५१६२–६३
८७२	चमड़ा उद्योग	५१६३
८७५	आवास	५१६४
८७७	इल्मेनाइट और योनाजाइट	५१६४–६५
८८१	श्री पिन्टो की केनिया में नजरबन्दी	५१६५–६६
८८२	भारत पाकिस्तान सीमा पर पारपत्र प्रणाली	५१६६
८८३	बी० बी० सी० और आल इंडिया रेडियो के संवाद दाताओं के लिये प्रसारण सुविधायें	५१६६–६७
८८४	इस्पात	५१६७
८८५	फिलिपाइन्स स्थित भारतीय	५१६७
८८६	निर्यात संवद्धन परिषदें	५१६८
८८७	नारियल और खजूर की ताड़ी	५१६८
८८८	श्री लंका में चावल के भारतीय व्यापारी	५१६८–६९
८८९	इस्पात	५१६९
१७३	अन्तरराष्ट्रीय अणु सम्मेलन	५१६९–७०
५२३	बगदाद समझौता	५१७१
५२४	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति	५१७१
५२५	विस्थापित ठेकेदारों के दावे	५१७२
५२६	पाकिस्तान से सद्भावना शिष्टमंडल	५१७२–७३
५२७	फाऊंटेन पैन	५१७३
५२८	केन्द्रीय पारपत्र संगठन	५१७४
५२९	सीमान्त की घटनायें	५१७४–७५
५३०	भारतीय युद्ध बन्दी	५१७५–७६
५३१	लंका में भारतीय	५१७६
५३२	मलाया तथा सिंगापुर में भारतीय	५१७६–७७
५३३	मलाया तथा सिंगापुर मे भारतीय	५१७७
५३४	रेगमार	५१७८
५३५	हिन्दी बोलियोंमें प्रसारण	५१७८–७९
५३६	सरकारी प्रकाशन	५१७९
५३७	पंजाब का औद्योगिक विकास	५१८०
५३८	नैपाल को कपड़े कानिर्यात	५१८०–८१
५३९	चाय उद्योग	५१८१
५४०	समाचार फिल्में	५१८१–८२
५४१	बाहसिकल के कारखाने	५१८२
५४२	अन्तराष्ट्रीय पारपत्र	५१८२
५४३	भारत पाकिस्तान सीमा पर पारपत्र देखने की चौकी	५१८३
५४४	सरकारी विज्ञापन	५१८३
५४५	पाकिस्तानी विद्यार्थियों के लिये वीसा (दृष्टांक)	५१८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अ० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ
५४६	करधा उपकर निधि	५१८४
५४७	खनिज अयस्कों का निर्यात	५१८५
५४८	रसायनिक पदार्थ	५१८६
५४९	लोहा अयस्क	५१८६–८७
५५०	सीमान्त की घटना	५१८७–८८
५५१	'ग' श्रेणी के वीसा (दृष्टांक)	५१८८–८९
५५२	जोहांसबर्ग से भारतीयों को निकालना	५१८९–९०
५५३	कपड़े की मिलें	५१९०–९१
५५४	जाति पृथक्करण	५१९१
५५५	सीमान्त की घटनायें	५१
५५६	निष्क्रान्त सम्पत्तियों का पुनर्मूल्यन	५१९२–९३
५५७	पूर्वी अफ्रीका के साथ व्यापार	५१९३
५५८	रेल की पटरियों का आयात	५१९३
५५९	लाहौर डी० ए० वी० कालिज कैम्प	५१९४
५६०	अफ्रीका में भारतीय	५१९४–९५
५६१	अस्पृश्यता पर रेडियो प्रसारण	५१९५–९६

लोक-सभा

वाद-विवाद

गुरुवार,
१५ दिसम्बर, १९५५

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड १०, १९५५

(१० दिसम्बर से २३ दिसम्बर, १९५५)

Preservation
Fumigated
On 11.4.83
Parliament Library

ग्यारहवां सत्र, १९५५

(खंड १० में अंक १६ से अंक २७ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

स्तम्भ

संख्या १६—शनिवार, १० दिसम्बर, १९५५

मद्रास के तूफान के बारे में वक्तव्य	७०९३–९५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	७०९६–९७
राज्य-सभा से सन्देश	७०९७–९८
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक	७०९८
भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक और भारतीय प्रशुल्क (ततीय संशोधन) विधेयक	७०९८–७१३८
खंडों पर विचार	७१३६
पारित करने का प्रस्ताव	७१३७
अनुपूरक अनुदानों की मांगें	७१३७–७२१२
दैनिक संक्षेपिका	७२१३–१४

संख्या १७—सोमवार, १२ दिसम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	७२१५–१६
राज्य-सभा से सन्देश	७२१६–१७
विधि जीवी परिषद् (राज्य विधयों का मान्यीकरण) विधेयक	७२१७
संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक	७२१७–२४
विचार करने का प्रस्ताव	७२१७
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५–५६	७२२४–७३२३
विनियोग (संख्या ४) विधेयक	७३२३–२५
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, १९५०–५१	७३२६–३५
विनियोग (संख्या ५) विधेयक	७३३५–३७
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में	७३३७–३८
विचार करने का प्रस्ताव	७३३८
दैनिक संक्षेपिका	७३३९–४१

संख्या १८—मंगलवार, १३ दिसम्बर, १९५५

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक	७३४३
संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक खंड २ और १	७३४३–८४
पारित करने का प्रस्ताव	७३८१
राज्य-सभा द्वारा प्रस्तावित रूप में हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक	७३८४–७४८७
विचार करने का प्रस्ताव	७३८४–७४८७
श्री पाटस्कर	७३८६–७४१६

श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) और विविध उपबन्ध विधेयक, १९५५ ७४१७–५२
विचार करने का प्रस्ताव खंड २ से २१ और १ ७४४६–४७
पारित करने का प्रस्ताव ७४४७
दैनिक संक्षेपिका ७४५३–५४

संख्या १९—बुधवार, १४ दिसम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७४५५–५८
राज्य-सभा से सन्देश ७४५६
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ७४५६–७५४४
दैनिक संक्षेपिका ७५४५–४६

संख्या २०—गुरुवार, १५ दिसम्बर, १९५५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति–
बयालीसवां प्रतिवेदन . . ७५४७
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७५४७–७६२२
दैनिक संक्षेपिका ७६२३–२४

संख्या २१—शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश . . ७६२५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ७६२६
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी.समिति—
बारहवां प्रतिवेदन . . . ७६२६
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७६२६–७२
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—
बयालीसवां प्रतिवेदन ७६७३–८२
मध्यस्थ निर्णय (संशोधन) विधेयक (धारा २ और ३९ आदि का संशोधन) . ७६८३
बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक नई धारा २क का रखा जाना . ७६८३
हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक धारा २८ का संशोधन ७६८३–८४
बीमा (संशोधन) विधेयक (नई धारा ४४क का रखा जाना) . ७६८४
कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक (नई धारा ३ का रखा जाना) ७६८४–८९
विचार करने का प्रस्ताव ७६८४
भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक (धारा २ आदि का संशोधन) ७६८९–७१०
विचार करने का प्रस्ताव खंड २, ३ और १ . . . ७६९०–७१०
मोटरगाड़ी (संशोधन) विधेयक (धारा ६५ आदि के स्थान पर रखा जाना) . ७७१३
विचार करने का प्रस्ताव ७७१३
दैनिक संक्षेपिका ७७१५–१८

स्तम्भ

संख्या २२—शनिवार, १७ दिसम्बर, १९५५

श्री आर० के० चौधरी का निधन ७७१९–२०
राज्य-सभा से सन्देश . . . ७७२०–२१
राज्य पुनर्गठन आयोग के सम्बन्ध में याचिकायें ७७२१
राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में प्रस्ताव ७७२१–७८१२
दैनिक संक्षेपिका ७८१३–१४

संख्या २३—सोमवार, १९ दिसम्बर, १९५५

अनुपस्थिति की अनुमति ७९१५–१६
राज्य-सभा से सन्देश . . . ७८१६
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में सन्देश ७८१७–७९४२
दैनिक संक्षेपिका ७९४३–४४

संख्या २४—मंगलवार, २० दिसम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ७९४५–४६
राज्य-सभा से सन्देश . . . ७९४६
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७९४७–८०४३
सदस्यों के लिखित वक्तव्य ८०४३–५२
दैनिक संक्षेपिका ८०५३–५४

संख्या २५—बुधवार, २१ दिसम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ८०५५–५६
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक . ८०५६
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ८०५७–८१६१
सदस्यों के लिखित वक्तव्य ८१६१–६६
दैनिक संक्षेपिका ८१६७–६८

संख्या २६—गुरुवार, २२ दिसम्बर, १९५५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
तेतालीसवीं से छयालीसवीं बैठकों की कार्यवाही ८१६९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ८१६९–७१
नदी बोर्ड विधेयक . . ८१७२
अन्तर्राज्यीय जल विवाद विधेयक ८१७२
लाभ पदों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन ८१७२
याचिकाओं सम्बन्धी समिति—
सातवां प्रतिवेदन ८१७३
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में याचिका ८१७३–७४

स्तम्भ

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि स्थगन प्रस्ताव . .	८१७४–७५
अगरतला में राताचेरा की स्थिति	८१७५–८३
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	८१८३–८३४२
सदस्यों के लिखित वक्तव्य .	८३१२–४२
दैनिक संक्षेपिका .	८३४३–४६

संख्या २७—शुक्रवार, २३ दिसम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र .	८३४७–४८
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	८३४८–४९
प्राक्कलन समिति—	
सत्रहवां और अठारहवां प्रतिवेदन .	८३४९
राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में याचिकायें	८३४९
फरीदाबाद विकास निगम विधेयक .	८३५०
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . .	८३५०
स्थगन प्रस्ताव	८३५०–५१
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव .	८३५१–८७६०
सदस्यों के लिखित वक्तव्य .	८४७७–८७६०
दैनिक संक्षेपिका . .	८७६१–६४
सत्र का सारांश .	८७६४–६८
अनुक्रमणिका	(१–५४)

लोक-सभा

गुरुवार, १५ दिसम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

१२ मध्यान्ह

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

बयालीसवां प्रतिवेदन

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का बयालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव--(जारी)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल के इस प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी कि राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर विचार किया जाये।

कल श्री नेसामनी बोल रहे थे। अब वह अपने भाषण को संक्षिप्त करने की कृपा करें।

श्री नेसामनी (नागर कोइल) : कल मैंने उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन किया था कि मैं जो बात कह रहा हूँ उसे कोई अन्य न कहेगा और मुझे अपनी बात कहने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। मैं अध्यक्ष महोदय से भी प्रार्थना करता हूँ कि यदि आवश्यक हो तो मेरे समय में वृद्धि करने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि प्रत्येक राज्य के सदस्य यथासम्भव पूर्ण रूप से अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं परन्तु हमारे पास जो समय है उसमें यह होना असंभव है। अतः वह अपने विचार संक्षिप्त रूप में ही प्रस्तुत करें।

श्री नेसामनी : कल मैं कह रहा था कि देवीकुलम और पीरमेडे की समस्या एक मानव समस्या है और इस समस्या के समाधान पर किसी ने भी विचार प्रकट नहीं किये हैं। देवीकुलम और पीरमेडे के दो ताल्लुकों में केवल एक हाई स्कूल है। उसमें अनुसूचित जातियों तथा पहाड़ी आदिम जातियों के लगभग ३०० लड़के हैं जिन्हें मई १९५४ तक शुल्क में पूर्ण रियायत प्राप्त थी और इस वर्ष से वह रियायत समाप्त करदी गई है। यदि ये रियायतें उनको न दी गईं

[श्री नेसामानी]

तो उनको अपनी शिक्षा बन्द करनी पडेगी जिसका उनकी भावी सन्तान पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। वहां के लोग अपनी अवस्था को सुधारने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं किन्तु त्रावनकोर-कोचीन सरकार उनकी सहायता करने को तैयार नहीं है।

[सरदार हुक्म सिंह पीठासीन हुए]

देवीकुलम और पीरमीड से सूचनायें प्राप्त हो रही हैं कि वहां दमन और भेदभाव की नीति चल रही है और वहां की जनता ने पिछले निर्वाचनों में सिद्ध कर दिया था कि यह क्षेत्र मद्रास राज्य के साथ ही मिलाया जाना चाहिये।

मद्रास के वित्त मंत्री ने राज्य पुनर्गठन आयोग से निवेदन किया था कि मुख्यतया तामिल भाषा भाषी नौ तालुकों को मद्रास राज्य में मिला दिया जाय। इसी बात पर त्रावनकोर-कोचीन के मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि यदि केन्द्रीय सरकार न होती तो मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री त्रावनकोर-कोचीन राज्य पर चढ़ाई ही कर देते। त्रावनकोर-कोचीन का यह व्यवहार है।

इस मांग को वह तथ्यों और इतिहास के विपरीत मांग कहते हैं। किन्तु वस्तुतः १८८९ तक यह भू-भाग त्रावनकोर-कोचीन का भाग नहीं था। १८७९–१८८९ के बीच यह परिवर्त्तन हुआ था और अंगरेजों ने पैरियर लेक परियोजना के सम्बन्ध में त्रावनकोर के महाराज के हक में समझौता किया था। १९३५ तक देवीकुलम और पीरमेड में त्रावनकोर से आने का कोई मार्ग नहीं था, केवल थीवरम् कुडलूर और कुमली आदि के दर्रों के रास्ते से आना जाना होता था। क्योंकि यह मद्रास राज्य का भाग था, इस लिये ये लोग वहां आ कर बस गये थे।

आयोग ने कहा है कि यहां की जनता चलती फिरती रहती है किन्तु यह नहीं बताया गया है कि यह बात आयोग को बताई किसने है। संभवतः त्रावनकोर-कोचीन की तामिल विरोधी प्रजासमाजवादी सरकार ने यह बात कही हो, क्योंकि निहित स्वार्थ वाले पूंजीपति वहां के श्रमिकों के बूते पर धन कमाते हैं।

कहा जाता है कि इस से तटवर्ती क्षेत्रों में भीड़भाड़ कम हो जायेगी। परन्तु त्रावनकोर-कोचीन की अपेक्षा केरल का क्षेत्र-फल कहीं अधिक है। इसलिये देवीकुलम और पीरमेड को उपनिवेश बना कर रखने का कोई कारण नहीं है। इस क्षेत्र में वन, झीलें और अन्य खुले क्षेत्र हैं, अतः तटवर्ती क्षेत्र में भीड़भाड़ के कम हो जाने का तर्क निराधार है। उस समय की सत्तारूढ़ प्रजा समाजवादी सरकार ने तामिल भाषी लोगों को वहां से निकालने के लिये यह

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सब कुछ किया है। इसीलिय तो वहां के मुख्य मंत्री ने कहा कि यदि उनकी सरकार का कार्यक्रम पूरा हो जाता तो श्री कामराज नाडर उस के मद्रास का भाग होने का दावा ही नहीं कर सकते थे। श्री पत्तम थानु पिल्ले ने भी कहा कि मदुरा से श्रमिकों का आना बन्द हो जाना चाहिये ताकि महिलाओं और त्रावनकोर-कोचीन के लोगों को वहां कार्य मिलता रहे। उनका इस प्रकार का रवैया रहा है।

ऐक्य केरल समिति का सभापति होने के नाते श्री केलप्पन ने एक साधन प्रस्तुत किया था जिस का आशय यह था कि मद्रास प्रान्त में बहु भाषा भाषी लोग नहीं होने चाहियें क्योंकि मद्रास प्रान्त संसदीय स्वशासन के लिये उपयुक्त स्थान नही है। और

तामिल बहुसंख्या केरल की जनता के भविष्य के निर्णायक नहीं बन सकती है।

इसी भावना के साथ देवीकुलम और पीरमेड को केरल में सम्मिलित करने की मांग की जाती है। यह कहना सर्वथा निराधार है कि इन क्षेत्रों के बिना केरल घाटे का राज्य होगा क्योंकि त्रावनकोर-कोचीन में पांच वर्षों में १४ करोड़ ७० लाख रुपये का राजस्व अतिरेक है। त्रावनकोर तामिल नाड कांग्रेस ने यह कहा है कि उसे पल्लीवासल और पेरुवंथानम, इन दो पकुथियों के प्रस्तावित मद्रास राज्य से निकाल दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है और अब इस तर्क का हमारे विरुद्ध प्रयोग किया जा रहा है। उक्त क्षेत्र मद्रास राज्य की परियोजनाओं के विकास के लिए अत्यावश्यक है। जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं पेरियार बांध में १३ वर्ग मील में जल है तथा ३०५ वर्ग मील जलागम क्षेत्र है। मद्रास सरकार पेरियार हैडवर्क पर एक जलविद्युत परियोजना बनाना चाहती थी परन्तु त्रावनकोर-कोचीन की प्रजासोशलिस्ट सरकार ने उनको अनुमति नहीं दी थी। और अब मद्रास सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कई योजनायें सम्मिलित की हैं जिनमें पेरियार बांध योजना भी है। वे सब योजनायें ये हैं। एक ७.५७ करोड़ रुपये के प्राक्कलित व्यय की अलादी बांध और पेरियार परियोजना, दूसरी १४.५ करोड़ रुपये के प्राक्कलित व्यय को पेमब्यार योजना ७.९८ करोड़ रुपये के प्राक्कलित व्यय की पेरियार जलविद्युत योजना तथा १३.२ करोड़ रुपये के प्राक्कलित व्यय की उपरि अलायार परियोजना है। मुझे ज्ञात हुआ है कि इन योजनाओं के लिये त्रावनकोर-कोचीन राज्य में से गुजरना अवश्यंभावी है परन्तु त्रावनकोर-कोचीन राज्य मद्रास सरकार के पदाधिकारियों को त्रावनकोर-कोचीन राज्य से गुजरने की अनुमति देना नहीं चाहती है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र से बहने वाले जल का उपयोग करने के लिये त्रावनकोर-कोचीन की कोई परियोजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये नहीं है; इसलिये मेरा सुझाव है कि इन परियोजनाओं की सफलता के लिये इन दोनों ताल्लुकों को मद्रास राज्य में मिला देना चाहिये।

मैंने दो अन्य ताल्लुकों के सम्बन्ध में कहा था। एक चित्तूर तल्लुका है जो कोयम्बटूर जिले की एक बस्ती है तथा जिसको अब केरल राज्य में मिलाने का प्रस्ताव है तथा दूसरा नेत्याविकरइस तल्लक है जिसमें विकास कार्य नहीं किया जा रहा है इसलिये मेरा निवेदन है इन दोनों ताल्लकों को भी मद्रास राज्य में मिला देना चाहिये।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि देवीकुलम ताल्लुक को तामिल वासियों ने अपने रक्त से सींच कर बनाया है। इसीलिये मेरा नम्र निवेदन है कि इस मामले के सच्चे तथ्यों पर विचार करके, सभा निर्णय करे।

श्री एस० के० पाटिल (बम्बई नगर—दक्षिण) : इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में मेरा मत है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने, अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुये, बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस आयोग में तीन बड़े योग्य तथा विद्वान व्यक्ति थे। इसीलिये हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम उनकी सिफारिशों पर गंभीरता पूर्वक विचार करें। माननीय गृहमंत्री ने यह ठीक ही कहा था कि संसद् ही इस पर अन्तिम निर्णय करेगी परन्तु संसद् के लिये भी इन सिफारिशों में से किसी भी सिफारिश को नज़र अन्दाज़ करना तब तक असंभव है जब तक उसका कोई और हल प्रस्तुत न कर दिया जाये। अपने अलग अलग सुझाव देना बड़ा आसान है परन्तु इस आयोग ने १,५२,००० दस्तावेजों पर १८ मास तक विचार करके तथा २,००० ज्ञापनों

[श्री एस० के० पाटिल]

पर विचार करके ही यह निर्णय किया है तथा मुझे विश्वास है कि हम संसद् सदस्यों को इस प्रकार की सुविधा प्राप्त होना संभव नहीं है। इसलिये मेरा विचार है कि हमें राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को शत प्रतिशत मान लेना चाहिये क्योंकि यह आयोग भी हमारे द्वारा नियुक्त किया गया था तथा इसने इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी के आधार पर ही इन सिफारिशों को प्रस्तुत किया है। १९४८ से १९५३ तक पांच वर्षों में इस कार्य के लिये हम तीन आयोग नियुक्त कर चुके हैं। दूसरा आयोग तो नहीं था केवल समिति थी परन्तु उसके प्रतिवेदन का महत्व किसी आयोग के प्रतिवेदन से कम नहीं है। यदि हम इसी प्रकार आयोग नियुक्त करते रहें तो किसी भी निर्णय पर पहुंचना संभव नहीं होगा।

इस आयोग की नियुक्ति से पूर्व कुछ सदस्यों का यह विचार था कि इस आयोग को नियुक्त करना अनावश्यक है और हमें भाषा के आधार पर देश का विभाजन नहीं करना चाहिये। हम एक राष्ट्र भाषा बना रहे हैं जो कि देश के सभी भागों में पढ़ाई जायेगी तथा यदि एक राष्ट्र भाषा पढ़ने के पश्चात भी हमारी द्वितीय पीढ़ी यह समझे कि देश का पुनर्विभाजन होना चाहिये तो वह देश का दूसरा नक्शा बना सकती है। परन्तु अभी कुछ समय और हमारे राज्य इसी प्रकार के रहने चाहिं जैसे १७५ वर्ष से चले आ रहे हैं। परन्तु यह सब अब भूतकाल की बातें हैं। हमें तो अब यही विचार करना चाहिये कि हम इन सिफारिशों का किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं जिससे राष्ट्रीय एकता में कोई गड़बड़ी न हो। केवल हमारे देश में ही नहीं अपितु विदेश, जैसे ब्रिटेन, अमरीका, तथा कनाडा समाचार पत्र भी लिख रहे हैं कि भारत के लिये यह एक कठिन परीक्षा है। इसलिये राष्ट्रीय एकता के लिये तथा अन्य देशों को इसका दिग्दर्शन कराने के लिये हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम इस आयोग कि सिफारिशों का उचित उपयोग करें तथा सभी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न करें।

माननीय गृहमंत्री कई बार कह चुके हैं कि इस आयोग का उद्देश्य यह नहीं था कि वह भाषा के आधार पर देश का विभाजन करें। इस बात को हमारे प्रधान मंत्री भी कई बार कह चुके हैं। और जहां तक मुझे याद है, उन्होंने २२ दिसम्बर, १९५३ को कहा था कि इस आयोग की स्थापना का उद्देश्य जनता का हित करना है। सरकारी संकल्प में भी यही कहा गया था कि राज्यों के पुनर्गठन में राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सुरक्षा पर ही विचार करना महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु समस्त भारत की वित्तीय, आर्थिक तथा प्रशासनिक स्थिति पर विचार करना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। दर आयोग, तथा जवाहरलाल, वल्लभ भाई तथा पट्टाभि समिति का भी यही मत था कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना अनुचित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कल्यानी के अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया था कि हमें भारत की एकता-राष्ट्रीय सुरक्षा आदि पर विचार करके ही, भारत का विभाजन करना चाहिये।

आयोग ने सभी तथ्यों पर विचार किया है तथा इतनी कठिन समस्या को सुलझाया है। क्या आप उनसे यह आशा करते थे कि वह इसका ऐसा हल प्रस्तुत करेंगे जिससे सभी संतुष्ट हो जायेंगे? यह असंभव है। मेरे विचार से भाषा सम्बन्धी समस्या का केवल एक यही हल है कि हम आपसी समझौता करके इसे सुलझायें। इसी आधार पर आयोग ने निर्णय किये हैं।

आयोग ने इन निर्णयों पर पहुँचने के लिये कुछ तथ्यों का ध्यान रखा था । प्रथमतः उन्होंने इस सिद्धान्त को ठीक नहीं समझा कि मैं इस भाषा को बोलता हूँ इसलिये जहां यह भाषा बोली जाती है वह मेरी अपनी भूमि है। दूसरे उन्होंने इस सिद्धान्त को भी खण्डित किया कि एक राज्य में एक भाषा ही होनी चाहिये। पुराने जमाने मे जब संचार व्यवस्था अच्छी नहीं थी यह बात उस समय के लिये ठीक थी परन्तु १९५५ में जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ क्षणों में पहुँच सकते हैं यह कहना व्यर्थ ही है। क्योंकि हिन्दी बोलने वालों की संख्या १५ करोड़ है तथा क्या उन्होंने भी अपनी हिन्दी राज्य बनाने की मांग रखी है।

आन्ध्र के अपने मित्रों को मैं कुछ बताना चाहता हूँ । चाहे विशाल आन्ध्र बने अथवा न बने परन्तु प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से यदि एक से अधिक राज्य बना दिये जायें तो इसमें क्या हानि है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इसीलिये आयोग ने 'एक भाषा, एक राज्य' के सिद्धान्त को ठीक नहीं समझा। एक भाषा के कई राज्य बनाये जा सकते हैं तथा उन्होंने यह भी कहा है कि भाषा को राज्य के स्तर पर करने से एक विशेष प्रकार की भावना प्रचलित हो जायेगी। मैं यह सब इसीलिये बता रहा हूँ कि इन तीन जनप्रिय व्यक्तियों के निर्णय परिस्थितियों के आधार पर किये गये हैं तथा किसी भाग विशेष के निवासियों के विचारों के आधार पर नहीं।

यह सब कुछ कहने के पश्चात अब मैं बम्बई राज्य की चर्चा करता हूं । इस सम्बन्ध में मैं आयोग के शब्द दुहराना चाहता हूं "बम्बई राज्य इस देश में सब से अधिक प्रगतिशील राज्यों में से एक है," इस वाद विवाद ने जो यह शोर उत्पन्न किया है जब वह दब जायेगा तो एक दिन यह बात मानी जायेगी कि हमारे राज्य का प्रगतिशील चरित्र केवल एक इस तथ्य पर आश्रित है कि हमारा राज्य एक भाषी राज्य नहीं अपितु बहुभाषी है। हम एक दूसरे में घुलमिल गए। हम महाराष्ट्रीयों में, जिनका वर्त्तमान राज्य में बहुमत है, जो ४४ प्रतिशत हैं, कुछ अन्तर्भूत गुण थे। इस राज्य की जनसंख्या के ३५ प्रतिशत गुजरातियों में कुछ गुण थे हमारे राज्य में ५६ लाख कर्नाटक निवासी हैं जिनमें बहुत ही सुन्दर गुण थे। और भी लोग थे। जब इन सभी गुणों का समावेश हुआ तो हमारा एक सामासिक चरित्र, एक सामासिक संस्कृति बनी और हमारा जीवन सामासिक बना जिसके लिये दूसरा शब्द है "धर्मनिरयेक्ष राज्य"। यदि भारत में ऐसा कोई राज्य था जिसे सच्चे अर्थ में धर्मनिरयेक्ष राज्य कहा जा सकता था और जहां इन सभी भाषाओं और धर्मों का समावेश था तो उस राज्य का नाम था बम्बई राज्य।

इसलिए जब इस राज्य को बांटना चाहा तो हमारे महाराष्ट्रीय मित्रों ने आन्दोलन किया कि वह अपने लिए एक ऐसा राज्य चाहते हैं जहां की जनता मराठी भाषी हो। उन्हें ऐसे राज्य की आशा करने का पूर्ण अधिकार है। जब हर व्यक्ति एक राज्य की मांग कर रहा है तो ये साढ़े तीन करोड़ व्यक्ति पीछे क्यों रहें?

अब हम सोचें या समझने का प्रयत्न करें कि यह स्वाभाविक इच्छा क्या है। मराठी भाषी जनता की स्वाभाविक इच्छा यह थी कि वे कई संस्पर्शी प्रदेशों में फैले हुए हैं और यदि इस स्थिति में वे किसी विशेष राज्य में अल्पसंख्यक हों तो उस भाग को पृथक किया जाना चाहिये और उन्हें आपस में एक दूसरे के निकट आना चाहिये। मैं अब केवल इतना कहना चाहता हूँ कि दूसरी बातों में आयोग ने चाहे जो भी समाधान

[श्री एस० के० पाटिल]

सुझाये हों जहां तक बम्बई राज्य का सम्बन्ध है उन्होंने जो समाधान प्रस्तुत किया है, इन स्थितियों में वही सब से उत्तम समाधान है। आयोग ने हर समस्या पर विचार किया है, जनता के भावों पर विचार किया है और अन्त में ऐसे निर्णय पर पहुंचा है जिस में सुधार करना इस संसद् के लिए असम्भव है।

अब मैं आपको यह बताऊंगा कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। जैसा कि मैं कहा था, मराठी भाषी जनता की जनसंख्या साढ़े तीन करोड़ है जिसमें से पचास लाख या इस से अधिक दूसरे राज्यों मे फैले हुए हैं जिन्हें एक स्थान पर लाया नहीं जा सकता। वे वहां की जनता में पूर्णत : खपे हुए हैं। जिन संस्पर्शी क्षेत्रों की एक भौगोलिक इकाई बनाने का सुझाव है, जहां तक उनका सम्बन्ध है, आयोग इस काम में शत प्रतिशत सफल हुआ है। मराठी भाषी जनता के उस महान स्वप्न और इच्छा को पूरा करने के लिये एक करोड़ दस लाख मराठी भाषी लोगों को जिन में से ६० लाख वर्त्तमान मध्यप्रदेश में रहते हैं और ४७ लाख वर्त्तमान हैदराबाद राज्य में हैं, एक स्थान पर इकट्ठा किया गया है। मध्यप्रदेश के ६० लाख मराठी भाषा भाषी व्यक्तियों को विदर्भ की जनसंख्या में सम्मिलित किया जायेगा और राज्य की कुल जन संख्या ७६ लाख हो जायेगी, यह ६० लाख व्यक्ति अब मध्य प्रदेश की जन संख्या का केवल २९ प्रतिशत है। वे अल्पसंख्यक थे और उनकी स्वाभिक इच्छा थी कि वे बहुमत में हों, और सदा अल्पसंख्यक न बने रहें। आयोग ने विदर्भ को एक स्वतंत्र राज्य बनाया है जिसमें ७६ लाख व्यक्तियों में से ७५ प्रतिशत अर्थात् ६० लाख मराठी भाषी व्यक्ति होंगे, एक शत प्रतिशत मराठी भाषा भाषी राज्य।

यहां तक हैदराबाद के पचास लाख व्यक्तियों का सम्बन्ध है, वे वर्त्तमान हैदराबाद की जन संख्या का २४ प्रतिशत है, अर्थात् उनकी स्थिति अल्पसंख्यक है। इन्हें बम्बई राज्य में मिला दिया गया है ताकि बम्बई राज्य में डेढ़ करोड़ मराठी भाषा भाषी व्यक्तियों के स्थान पर अब इन व्यक्तियों की जन संख्या एक राज्य में दो करोड़ से अधिक हो जाए। यह इसलिए किया गया है ताकि जहां तक सम्भव हो संयुक्त महाराष्ट्र का स्वप्न पूरा किया जा सके। यदि मैं ग़लती नहीं करता तो कल डा० लंका सुन्दरम् ने कहा था "विचार कीजिये कि एक ओर तो ७६ लाख व्यक्तियों का यह छोटा राज्य और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश राज्य, ६ करोड़ और तीस लाख की जनसंख्या का," इत्यादि। संसद यह अनुभव करेगी कि आयोग के लिए हैदराबाद के इन पचास लाख व्यक्तियों को बांटना सम्भव था और इन में से कम से कम ३० लाख विदर्भ में चले जाने चाहिए थे क्योंकि यह वे जिले हैं जो विदर्भ प्रदेश के पार्श्ववर्ती हैं ! तब स्थिति में विदर्भ की जनसंख्या वर्त्तमान ७६ लाख के स्थान पर एक करोड़ और पांच लाख हो जाती। लेकिन यदि आप इस जन संख्या को न चाहते तब क्या होता ? इस लिए राज्य पुनर्गठन आयोग ने बड़ी ही सोच समझ के साथ सभी पचास लाख लोगों को बम्बई राज्य में मिला दिया बजाय इसके कि इन लोगों को विदर्भ और वर्त्तमान बम्बई राज्य में बांटा जाता। इस प्रकार केवल मराठी भाषी लोगों की संख्या वर्त्तमान राज्य में ४४ प्रतिशत से बढ़कर प्रस्तावित नए राज्य में ४८.५ प्रतिशत हो गई। अब प्रस्तावित बम्बई राज्य में भी मराठी भाषा भाषी, व्यक्तियों का बहुमत होगा। वे ५३ प्रतिशत होंगे। शेष ४७ प्रतिशत गुजराती और दूसरे व्यक्ति होंगे। आप पूछ सकते है कि विदर्भ राज्य के इन ६० या ७० लाख लोगों को वर्त्तमान राज्य में मिलाना क्यों सम्भव नहीं था ताकि इससे एक विशाल और बड़ा राज्य बन जाता। मैं आपको

बताता हूं कि आयोग ने ऐसा क्यों नहीं किया। यदि ऐसा किया जाता तो बम्बई राज्य की जनसंख्या चार करोड़ और दो लाख से बढ़ कर लगभग पांच करोड़ हो जाती। परन्तु आयोग को सबसे बड़ी और सब से कठिन समस्या, बम्बई नगर की स्थिति का सामना करना पड़ा। हर व्यक्ति बम्बई नगर पर अपना नगर होने का दावा करता है। इसलिए इसे पृथक रखना आयोग के लिए कठिन था। अन्यथा यदि दो पक्ष पृथक पृथक खड़े कर दिये जाए तो एक ओर तो महाराष्ट्र राज्य बन जाए जिसमें मराठी भाषी व्यक्तियों की संख्या लगभग तीन करोड़ होगी और दूसरा गुजरात राज्य बन जायेगा जिसमें डेढ़ करोड़ होंगे। परन्तु बम्बई नगर की स्थिति का निर्णय करना अत्यन्त कठिन था। यह नगर हर एक आकर्षण का केन्द्र है। सभी लोगों के श्रम से इस का निर्माण हुआ है। आज बम्बई नगर की जनसंख्या ३५ लाख है। इन में से ४३·६ प्रतिशत मराठी भाषा-भाषी हैं और गुजराती भाषा भाषी १८ प्रतिशत से अधिक नही हैं। परन्तु सभी जानते हैं कि यह नगर हर दृष्टि कोण से एक विश्व व्यापारी जनसंख्या का नगर है। लगभग पांच लाख उत्तर भारत के और इतने ही दक्षिणी भारत के लोग यहां आबाद हैं। संसार की कुल पारसी जन संख्या का लगभग ८० प्रतिशत भाग इस नगर में रहता है। फिर गोआ और दूसरे स्थानों से आए हुए लगभग १,२५,००० ईसाई बम्बई नगर में हैं, आयोग के सन्मुख यही कठिनाई थी, जो व्यक्ति इस नगर पर अपना दावा करते हैं उन्हें छोड़ कर यदि किसी एक जाति ने बम्बई नगर में अपना योग सच्चे अर्थ में दिया है जिससे बम्बई जिस रूप में आज है, वह बन सका है तो वह जाति इस देश की सब से अल्पसंख्यक पारसी जाति ही थी, उनके अतिरिक्त मुगलमानों, हिन्दुओं, मराठियों, गुजरातिओं और सभी ने पिछले सौ वर्षों में इस नगर की समृद्धि में योग दिया है। इसलिए इस नगर का निर्णय करना और भी कठिन था।

इसलिए आयोग इस निर्णय पर पहुंचे कि यदि सभी की निगाहें बम्बई नगर पर केन्द्रित हैं तो केवल एक ही उपाय इसका यह है कि बम्बई राज्य को द्विभाषी राज्य, बना दिया जाए। आप मुझे से पूछेंगे कि विदर्भ को सम्मिलित कर देने से यह द्विभाषी राज्य कैसे नहीं रहेगा, इस सदन में और इस देश में द्विभाषी राज्य के सम्बन्ध में भी कुछ भ्रम है। द्विभाषीता की कसौटी क्या है? जब एक राज्य पर इसे लागू किया जाए तो व्यावहारिक राजनीति में इसका अर्थ दो भाषाओं का एक राज्य है परन्तु वह राज्य अवश्य ही एक संतुलित राज्य हो इसमें साठ अथवा अस्सी प्रतिशत जनसंख्या एक भाषा भाषी और शेष थोड़ी सी जनसंख्या दूसरा भाषा बोलने वाली न हो। इसी बात को राज्य पुनर्गठन आयोग ने बम्बई राज्य के सम्बन्ध में अपने ध्यान में रखा। प्रस्तावित नए बम्बई राज्य में ४८·५ प्रतिशत जनसंख्या मराठी भाषा भाषियों की है, ३५ प्रतिशत गुजराती भाषा भाषियों की और दूसरी भाषाओं को बोलने वालों की जनसंख्या १७ से १८ प्रतिशत होगी। आयोग ने वही किया जो सम्भव और उचित था। जब पूर्ण विदर्भ राज्य की स्थापना होगी तब मेरे मित्रों का एक स्वप्न पूरा होगा। यह राज्य शत प्रतिशत मराठी राज्य होगा। यह दुगुनी प्रगति करेगा। इसकी जनसंख्या ४,०२,००,००० क्षेत्रफल १५१,००० वर्ग मील, आय-व्ययक १२५ करोड़ रुपये के लगभग का होगा। जिसमें विभिन्न धर्मों के सभी सम्प्रदाओं के लोग भाइयों की भांति रहेंगे और जिसमें बहुमत मराठियों का होगा। परन्तु क्या इस समाधान को उन्होंने स्वीकार किया? उन्होंने कहा "नहीं हमें यह नहीं चाहिये"। यदि इस द्विभाषी बम्बई राज्य में विदर्भ को मिल दिया जाता तो मराठी

[श्री एस० के० पाटिल]

जनसंख्या ५६ प्रतिशत हो जाती और गुजराती जनसंख्या कम हो कर २८ प्रतिशत रह जाती । इसलिए यदि भावावेश में न बहा जाता, वादविवाद न खड़ा किया जाता तब सम्भवत: आपस में मिल बैठ कर हम गुजराती भाषा भाषी जनता को इकट्ठे मिल कर रहने की अपनी इच्छा का विश्वास दिला सकते थे। परन्तु उन्होंने आन्दोलन आरम्भ किया।

माननीय गृह-कार्य मंत्री ने भी कहा था कि स्वयं वह बम्बई को एक द्विभाषी राज्य के रूप में पसन्द करेंगे। सभी बातों को देखते हुए मैं भी यही समझता हूं कि आयोग ने समस्या का जो समाधान प्रस्तुत किया है, वह सब से उत्तम है। इसीलिए मैंने इसे स्वीकार किया। पिछले सौ वर्षों और इससे अधिक समय से गुजराती और मराठी आपस में इकट्ठे रहते आए हैं। यदि वे विदेशी शासन काल में एक दूसरे के अनुपूरक और संपूरक हो कर रह सकते थे तो क्या स्वतंत्र भारत में इस रूप में रह कर सारे भारत को देश की एकता के लिए धर्मनिरपेक्षता का एक उदाहरण बताना उनके लिए असम्भव है? जब इन्डियन नेशनल कांग्रेस की सम्पूर्ण कार्यकारिणी यह प्रस्ताव स्वीकार करने वाली ही थी कि बम्बई एक द्विभाषी राज्य होना चाहिये तब महाराष्ट्र के मित्रों ने यह प्रगट किया कि वे इस के स्थान पर इस विभाजन सूत्र को अधिमान देंगे। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि क्योंकि कुछ राजनीतिज्ञों ने झगड़ना आरम्भ किया है इसलिए मराठी भाषा भाषी परिवारों और गुजराती भाषा भाषी परिवारों के सम्बन्ध बिगड़ गए है। मैं अपने मित्र आचार्य कृपालानी की इस बात से पूर्णत: सहमत हूं कि ये सभी समस्यायें राजनीतिज्ञों ने उत्पन्न की हैं, जन साधारण ने नहीं। यदि मान भी लिया जाए कि उनके सम्बन्ध बिगड़े हुए हैं तब भी विदर्भ के सम्मिलित किए जाने से स्थिति में सुधार कैसे हो जाता है? क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या इस पीढ़ी के लोगों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे आने वाली पीढ़ियों पर होने वाले प्रभावों की चिन्ता किए बिना जो चाहें करें? इस कारण हम में से कुछ लोगों के अनुचित दृष्टिकोण से किसी भी राज्य का भविष्य नष्ट नहीं किया जाना चाहिये। निजी इच्छाओं और भावनाओं को दबा कर हमें एक ऐसा निर्णय करना चाहिये जिससे देश की एकता दृढ़ हो। वे अभी भी इस द्विभाषी राज्य को स्वीकार कर सकते हैं। अभी बहुत देर नहीं हुई है। समूचे राष्ट्र की प्राथमिकता हम सभी को माननी होगी। एक राज्य की जनता ही नहीं बल्कि इस देश की ३७ करोड़ जनता को एक दूसरे से स्पर्धा करनी चाहिये ताकि उन का देश महान बन सके। अभी भी एक अवसर है।

संयुक्त महाराष्ट्र के लिए दावा किया जाता है। एक महाराष्ट्रीय होने के नाते मुझे महाराष्ट्र के स्थायी हितों को देखने का अधिकार है । अगले पांच या दस वर्ष के लिए नहीं बल्कि मुझे यह चिन्ता है कि अगले एक सौ वर्ष में महाराष्ट्र का क्या बनेगा? महाराष्ट्र निवासी १८५७ से स्वतंत्रता आन्दोलन के अगुआ रहे हैं। उन्होंने देश के लिए कितने ही बलिदान दिए हैं। उन्हें महत्व का स्थान मिलना ही चाहिये और राज्य पुनर्गठन आयोग ने उन्हें यह महत्व का स्थान पूर्णरूप से दिया है। यदि अब भी आप द्विभाषी राज्य को लेकर पांच वर्ष तक उसका प्रशासन करें तो शेष भारत को विदित हो जायेगा कि महाराष्ट्र के लोग वीर पुरुष हैं और वे विभिन्न जातियों और धर्मों के मध्य सतुलन भी रख सकते हैं। वह धर्म निरपेक्षता का दूसरा प्रदर्शन होगा, जिस पर भारत और हमारे प्रधान मंत्री को इतना गर्व है। इसकी समाप्ति पर, यदि वे अच्छी तरह व्यवहार करें और जब

यह समस्त विवाद समाप्त हो जाये, तो वे गुजरात की मांग कर सकते हैं। क्या हमें विदर्भ भी नहीं मिल सकता? बड़े से बड़े घाव भी समय पाकर ठीक हो जाते हैं। इसलिये संबंधों को अति कटु बनाने की अपेक्षा अधिकाधिक समीप आना और परस्पर समझौते के द्वारा इस समस्या को सुलझाना अधिक उत्तम है।

मुझ से लोग पूछते हैं कि इन तीन राज्यों के होने की अवस्था में बम्बई नगर अन्य नगरों से किस प्रकार भिन्न है। क्या आप बता सकते हैं कि भारत में कोई और नगर भी ऐसा है, इतना बहुजातीय हो और जहां सब धर्मों और जातियों के लोग पर्याप्त संख्या में हों? कलकत्ता बड़ा नगर है किन्तु उसमें बंगालियों की अधिकता है। इसी प्रकार अन्य राज्यों की राजधानियों की अवस्था है। यही कारण है कि आप इन्हें बहुजातिय या विश्वजनीन नगर कहते हैं। बम्बई में चार बड़े बड़े धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। वहां १२ भाषाएं बोली जाती हैं हैं और प्रत्येक भाषा भाषियों की संख्या १००,००० है। हम अपने आपके बारे में यह विचार नहीं करते कि हमारी भाषा यह है या वह है। यह एक ऐसा नगर है जहां ५ लाख लोग उत्तर भारत के और ५ लाख लोग दक्षिणी भारत के, गुजराती, मुसलमान, पारसी, ईसाई हैं और सब एक साथ सामान्य नागरिक के रूप में रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सामान्य नागरिकता के रूप में विचार करता है। यह भय है कि यदि यह नगर एक भाषा भाषी राज्य की राजधानी बन जाता है तो उस भाषा-विशेष का बोल बाल रहेगा। यह स्वाभाविक है। इस भय को समाप्त कर दीजिये।

३५ वर्ष पूर्व बम्बई नगर में विशेष प्रादेशिक कांग्रेस समिति बनाई गई थी। जिस व्यक्ति ने यह पंचाट दिया था कि नगर में सभी प्रकार के लोग रहते है और इसे किसी भी एक भाषी राज्य में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, वह महाराष्ट्रीय संस्कृति तथा मराठी साहित्य की सर्वश्रेष्ठता के महापोषक श्री एन० सी० केलकर थे। क्या उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया था कि महाराष्ट्रीय संस्कृति की क्षति होगी? मेरी समझ में नहीं आता कि संस्कृति संबधी ये सारी बातें क्या हैं। संस्कृति कोई ऐसा गुण नहीं है जो दूसरे के सम्पर्क में आने से बिगड़ जाता है। क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपनी अपनी संस्कृतियों को बनाये रखते हुए एक सामासिक भारतीय संस्कृति बनायें? संस्कृति के बहाने लोगों को धोका मत दीजिये। यदि आप विश्लेषण करें तो अन्तिम विश्लेषण में आपको विदित होगा कि यह झगड़ा सत्ता प्राप्त करने के लिए हो रहा है। अतः मैं आप से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर के लिए भूत को भूल जाइये और हमें उज्जवल भविष्य बनाने दीजिये।

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि लोग यह जानने के इच्छुक हैं कि हमारा नगर राज्य अपना प्रशासन कैसे करेगा। मुझे आशा है कि सम्भवतः हम पर नगर राज्य न लादा जायेगा। यह मेरी इच्छा तथा प्रार्थना थी। यदि हम पर इसलिए दबाब डाला जाता है कि बम्बई एक भाषी राज्य की राजधानी बने, तो केवल ऐसी ही स्थिति में हम नगर राज्य के लिए सहमत होंगे। आप विदर्भ प्राप्त करने के लिए, जहां शत प्रतिशत महाराष्ट्र हैं और जो आपका ही है, बम्बई को क्यों छोड़ते हैं? बम्बई को छोड़ देने के बाद आप कहते हैं कि हमें बम्बई क्यों नहीं देते। जब हमने यह आपको दिया था तब आप लेना नहीं चाहते थे। अब आप क्यों पुनः यह मांग करते हैं कि बम्बई पूर्ण रूप से आपका हो? बम्बई सब का है। बम्बई में ४३ प्रतिशत लोग मराठी भाषी हैं। अतः बम्बई में उन लोगों का प्रभुत्व रहेगा परन्तु यह विश्वबन्धुता तथा धर्मनिरपेक्ष

[श्री एस० के० पाटिल]

वातावरण में होना चाहिए। यदि यह इस प्रकार रहता है तो कोई भय नहीं है।

मैं कुछ बेमतलब की बातें सुनता हूँ कि बम्बई के मज़दूर, जो वहां बहुसंख्यक हैं, इसके विरुद्ध हैं क्योंकि उन्होंने किसी के कहने से कुछ प्रदर्शन किये थे। मेरे माननीय मित्र यह जानना चाहेंगे कि बम्बई नगर में मज़दूरों की संख्या पूर्ण संख्या की २५ प्रतिशत से अधिक नहीं है। अतः यह २५ प्रतिशत मज़दूर अन्य ७५ प्रतिशत लोगों को बम्बई का नागरिक न रहने देंगे। क्या वे वास्तव में ऐसा चाहते हैं? क्या भारत के लोगों के लिए ऐसे विनाशक कार्य बिना किसी के यह कहे कि अमुक स्थान पर जाओ, हम मोर्चा लगायेंगे, आदि, स्वाभाविक हैं? वास्तव में इस प्रकार बहकाना उचित नहीं है। मैं समझता था कि कार्मिक सघ अन्तर्राष्ट्रीय आदि हैं। परन्तु अब वे भाषावाद में विश्वास करते हैं। यह देखकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। ये सब चालें हैं।

दूसरा भय यह है। वे कहते हैं कि आपका जल और विद्युत महाराष्ट्र में हैं। यदि वे आपका जल बन्द कर देते हैं, तो क्या होगा? क्या कोई ऐसा राज्य है जो अपनी प्रत्येक आवश्यकता की स्वंय पूर्ति कर सके। जबकि संसार समीप आने का प्रयत्न कर रहा है ताकि सब देश एक दूसरे पर आश्रित रहे सकें आप हम से कहते हैं कि क्योंकि आपके भाग में पानी कर तथा बिजली कर हैं, आप किसी भी दिन बम्बई का पानी बन्द कर सकते हैं और नगर का का जीवन असम्भव बना सकते हैं। क्या हमें आधुनिक संसार में स्वतंत्र भारत में एसी बातें करनी चाहिये? मेरा निवेदन है कि यह कोई वास्तविक भ्रम नहीं है।

जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, तीन उपाय हो सकते हैं। पहिला भावनात्मक उपाय है जो हम पिछले वर्षों में करते रहे हैं। दूसरा व्यावहारिक उपाय है जो राज्य पुनर्गठन आयोग ने बताया है। तीसरा उपाय असम्भव उपाय है। मैं एक बार फिर अपने महाराष्ट्रीय मित्रों से प्रार्थना करता हूं कि यह एक अवसर है जब सम्पूर्ण भारत आपसे राष्ट्र, राष्टीय एकता तथा राष्ट्रीय प्रगति के नाम पर कह रहा है कि कृपया इस प्रयोग की जांच करें। उस प्रयोग की कार्यान्विति में सम्पूर्ण भारत आपकी सहायता करेगा। यह संसद् उसका आश्वासन देगी। यदि आप समझते हें कि आप एक साथ नहीं रह सकते, तो तीन इकाइयों के इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लीजिये और अच्छे पड़ौसी बनने का प्रयत्न कीजिये।

इन शब्दों में मैं अब भी उनसे यह सविनय प्रार्थना करता हूं और आशा करता हूं कि हम कोई ऐसा समाधान निकालेंगे जो स्वीकार्य तथा प्रत्येक सम्बद्ध व्यक्ति के हित में होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे पहिले कि मैं अन्य माननीय सदस्य से भाषण देने के लिए कहूं मैं यह बताना चाहता हूं कि इस चर्चा के सम्बन्ध में अन्य बातों के अतिरिक्त, माननीय सदस्यों को पुकारने के बारे में मैंने निम्न सिद्धान्त बनाये हैं। पहिले वर्ग में वे सदस्य होंगे जो सामान्य सिद्धान्तों पर बोलना चाहते हैं। दूसरे वर्ग में वे सदस्य होंगे जो विभाजन तथा अवत्याग, और पंजाब तथा पेप्सू के नये राज्यों के बारे में बोलेंगे। हम एक पक्ष तथा एक विपक्ष में पंजाब और हिमाचल प्रदेश के मामले में भी इसी प्रकार सुनना चाहेंगे। मुरारेः तृतीयः पन्थाः तीसरे वर्ग में वे सदस्य होंगे जो नवीन मध्य प्रदेश तथा करनाटक के बारे में विचार प्रकट करेंगे।

चौथे वर्ग में विद्यमान राज्यों में, अर्थात् आन्ध्र, तैलंगाना, त्रावनकोर-कोचीन, मद्रास में नागरकोइल, और विदर्भ में वृद्धि या कमी पर विचार प्रकट करेंगे। अन्तिम वर्ग में वे सदस्य होंगे जो भाग ग राज्यों, नये राज्यों तथा सीमाओं व अल्पसंख्यकों के बारे में बोलेंगे। कल हम त्रावन्कोर-कोचीन के तामिल क्षेत्रों का मद्रास या मलाबार में संविलयन और विशाल आन्ध्र के प्रश्न निपटा चुके हैं। बम्बई के बारे में कल श्री एस० एस० मोरे ने भाषण दिया था और आज श्री एस० के० पाटिल बोल चुके हैं। अब मैं श्री गाडगील का भाषण सुनना चाहता हूं।

श्री गडगील (पूना-मध्य) : मैं समझता था कि मुझे बोलने का अवसर सोमवार को मिलेगा। मैं चाहता हूं कि मुझे श्री एस० के० पाटिल के भाषण की एक प्रति अवश्य प्राप्त हो जाये, क्योंकि मैं उनके भाषण करते समय सभा में न था। अतः यदि आप मुझे कल बोलने को कहें तो मैं बड़ा आभारी हूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गाडगील आज बोलना नहीं चाहते, अतः मैं उन्हें आज बोलने के लिए नहीं कहता। अब मैं सदस्यों को उपरोक्त वर्गों के अनुसार बोलने को कहूंगा।

श्री थानू पिल्ले (तिरुनेलवेली) : जब माननीय अध्यक्ष महोदय ने नाम पुकारने के सम्बन्ध में नीति घोषित की थी, यह नहीं कहा था कि वह हम से साधारण चर्चा तथा विशिष्ट राज्यों के बारे में अलग अलग चर्चा के लिए अपने नाम देने को कहेंगे। परन्तु अब आपने कुछ सिद्धान्त बना लिये हैं जिनके अनुसार आप नाम पुकारेंगे। इस तरह हमें पर्याप्त अवसर न मिलेगा। अतः मेरा सुझाव है कि एक सदस्य इस ओर से और दूसरा सदस्य उस ओर से पुकारने की बजाय हमें बोलने का पर्ण अवसर दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल यह प्रयत्न कर रहा हूं जब किसी विशिष्ट राज्य या विशिष्ट विचार पर चर्चा हो, एक पक्ष में और एक विपक्ष में बोलने वाले सदस्य को अवसर देकर सभा के समक्ष एक ऐसा आधार उपस्थित हो जाये जिससे सभा ठीक निश्चय कर सके।

अब मैं श्री एन० सी० चटर्जी से बोलने को कहूंगा।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : श्रीमान्, मैंने श्री एस० के० पाटिल का भाषण सुना है। यदि बम्बई को खतरा है तो मेरे अभागे बंगाल राज्य को उससे भी अधिक खतरा है। विभाजन के कारण बंगाल का दो तिहाई भाग बंगाल से अलग हो गया है। मैं माननीय मंत्री तथा प्रत्येक सदस्य का विशेषकर अपने बिहार तथा आसाम के माननीय मित्रों को आश्वासन दे सकता। कि मैं केवल राष्ट्रीय दृष्टि अपनाऊंगा और उन्हें विश्वास दिलाऊंगा कि सम्पूर्ण देश के हित की दृष्टि से बंगाल के पुनर्वास के लिऐ कुछ अवश्य किया जाना चाहिए। हम कोई यह नई मांग नहीं कर रहे हैं। यह मांग पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री डा० विधान चन्द्र राय, कांग्रेस तथा प्रत्येक राजनीतिक दल ने एकमत होकर की थी। अतः मैं माननीय गृह मंत्री तथा सभा से अनुरोध करता हूं कि वह इस संकट में अपने राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करें। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि त्रुटि को ठीक करें जिसके लिए उन्होंने वचन दिया था। जो अन्याय किया गया है उसका उन्हें निवारण करना चाहिए।

मैंने आचाय कृपालानी का भाषण सुना था। आज यह कहने से क्या लाभ है कि भाषा आधार पर राज्यों के प्रादेशिक विभाजन की समस्या पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। भारत की एकता को बनाने के लिए मैं किसी

[श्री एन० सी० चटर्जी]

से कम नहीं हूं । राष्ट्र की उच्चता हमारा सर्वोच्च विचार है । वह किसी भी कारण नष्ट नहीं हो सकता । मैं बंगाल का वासी हूं जिसने रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म दिया था । क्या हमने ठैगोर के गीत को--राष्ट्रीय जन गण मन अधिनायक.....राष्ट्रीय गीत के रूप में नहीं अपनाया है ?

जब आप राष्ट्रीय भवन में रूस के सम्मानित अतिथियों को भोज दे रहे थे, क्या आपने यह नहीं गाया था ?

पंजाब, सिन्धु, गुजरात, मराठा, द्राविड़ उत्कल, बंग

क्या हमारी भारतीय राष्ट्रीयता का आधार प्रादेशिक संस्कृतियों की मान्यता नहीं है ? हजारों वर्षों से भारत ने समन्वय का सिद्धान्त अपनाया तथा इसी सिद्धान्त के कारण बेबीलोन, मिश्र, असीरिया तथा रोमन साम्राज्य के समाप्त होने पर, आज भी भारत का अस्तित्व बना हुआ है । श्री विवेकानन्द तथा श्री टैगोर के शब्दों में, भारत-आर्य सभ्यता, किसी का विरोधी न होकर, समन्वय के सिद्धान्त पर ही आधारित है । इसलिये भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण में मुझे कोई हानि नहीं दिखाई देती है । केवल देश की सुरक्षा पर ध्यान रख कर सीमा पर स्थित राज्यों को छोड़ कर अन्य भीतरी राज्यों का हम भाषा के आधार पर निर्माण कर सकते हैं । आयोग ने भी यह कहा कि भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था कांग्रेस भाषा के आधार पर अपनी इकाइयां बनाने के कारण ही जनता की संस्था बनने में समर्थ हुई ।

इस आयोग में उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश तथा दो जनता के विशिष्ट व्यक्ति थे । हमारा यह कर्त्तव्य है कि उनके कार्य की हम क्रोधपूर्ण भाषा में आलोचना न करें । आयोग की नियुक्ति होने पर कुछ सम्मानित व्यक्तियों ने इस आयोग के बहिष्कार के सम्बन्ध में मेरी सलाह मांगी थी परन्तु मैंने पूरे जोर के साथ उन्हें बताया था कि आप आयोग के समक्ष अपने मामले को उचित रूप में रखें तथा उसका बहिष्कार करें । मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि मैं आयोग की सिफारिशों की आलोचना इस कारण कर रहा हूं क्योंकि आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण बातों पर गलत सिफारिश की है ।

मैंने अपना लगभग सम्पूर्ण जीवन विधि की सेवा में बिता दिया है तथा मेरा अनुभव है कि कोई भी न्यायाधीश अपने फैसले के विरुद्ध की गई अपील का बुरा नहीं मानता है । हम आयोग के सदस्यों की योग्यता अथवा ईमानदारी को बुरी नज़र से नहीं देख रहे हैं परन्तु यदि हम बिना किसी अन्य भावना को ध्यान में लाये, अपने विचार प्रस्तुत करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है ।

ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने बंगालियों को सर्वदा कुचला क्योंकि बंगाल ने बहुत से राष्ट्रवादियों तथा देशभक्तों को उत्पन्न किया हैं । इसीलिये बंगाल का विभाजन करने का फैसला किया गया । इस अन्याय के विरुद्ध केवल बंगाल ने ही नहीं वरन् महाराष्ट्र, पंजाब तथा समस्त देश ने आवाज़ उठाई । इसके परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने विभाजन को तो रद्द कर दिया परन्तु बंगाल को एक ऐसे प्रान्त का रूप दे दिया जिसमें मुसलमानों की अधिकता थी । उन्होंने कुछ बंगला भाषा भाषी क्षेत्र दूसरे राज्यों को दे दिये । सभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ते के अधिवेशन में एक संकल्प पारित हुआ जिसमें यह कहा गया कि बिहार तथा उड़ीसा बंगला भाषा भाषी क्षेत्र के एक प्रशासन के अधीन रखना उचित होगा । इससे ज्ञात होता है कि अंग्रेजों की यह कार्यवाही उचित नहीं समझी गई थी । इस संकल्प के पारित होने के कुछ दिन पश्चात ४ जनवरी, १९१२ को बिहार के ५ विशेष व्यक्तियों ने एक वक्तव्य दिया जिसके अनुरूप

बिहार की सरकार से यह प्रार्थना की गई कि बंगला भाषा भाषी समस्त क्षेत्र को एक सरकार के अधीन कर देना चाहिये। मैं तथा बंगाल की जनता भी अब यही माँग कर रही है, दूसरे शब्दों में बिहारी नेताओं द्वारा कही गई बातों को दुहरा रही है। और किशनगंज तथा पूर्निया का कुछ भाग, तथा माल्डा का कुछ भाग बंगाल में मिलाने की मांग कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को एक सुझाव देना चाहता हूं यदि माननीय सदस्य यह बतायें कि बंगाल क्या चाहता है, बिहार क्या कहता है, पक्ष में क्या कहा जाता है अथवा विपक्ष में क्या कहा जाता है तो हम लोग स्थिति को अधिक भली भांति समझ सकेंगे।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं आपका आभारी हूं। हम सम्पूर्ण मानभूम ज़िला चाहते हैं। उसका केवल एक भाग पुरूलिया, उपप्रदेश (सब डिवीजन) बंगाल में मिलाने की आयोग की सिफारिश है जो इस आधार पर की गई है कि प्रथमतः उसमें अधिकतर बंगला बोली जाती है, दूसरे बंगाल की कुछ परियोजनाओं को अन्तिम रूप देने के लिये भी इस क्षेत्र का बंगाल में मिलाया जाना आवश्यक है।

१९३१ की जनगणना में यह बताया गया था कि मानभूम में अधिकांशतः बंगला बोली जाती है। १९५१ की जनगणना में कुछ क्षेत्रों के सम्बन्ध में जो आंकड़े दिये गये उन पर आपत्ति की गई। कांग्रेस ने जो ज्ञापन आयोग के सम्मुख प्रस्तुत किया उसमें बताया गया कि पुरुलिया में हिन्दी बोलने वालों की संख्या में १९३१ के मुकाबले ७०·७ प्रतिशत वृद्धि हुई है। यह बड़ी ही अजीब बात है कि १९३१ से अब तक इस उपप्रदेश (सब डिवीजन) में इतना परिवर्तन हो गया तथा इस बात की ओर आयोग ने भी इंगित किया है।

बंगाल सरकार तथा अन्य राजनीतिक दलों ने सन्थाल परगना के कुछ भाग की भी मांग की है। बिहार सरकार यह जानती है कि हम क्या चाहते हैं और इसी बात को ध्यान में रख कर उसने राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के उस अंश का संक्षिप्त रूपान्तर जारी किया है जो पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीसा के बीच सीमा समन्वय के सम्बन्ध में है। सच तो यह है कि हमको छोटे छोटे टुकड़े दिये गये हैं तथा वह भी इस आधार पर कि उचित राजनीतिक एकीकरण हो सके। परन्तु उत्तरी तथा दक्षिणी भाग का उचित एकीकरण हो नहीं पाया है। इसलिये आयोग ने कहा है कि इन दो भागों में सम्पर्क स्थापित किया जाये। आयोग ने यह भी कहा कि अलग रहने की भावना को रोकना चाहिये तथा देश की सुरक्षा के लिये भारत का एकीकरण होना चाहिये। मैं यही चाहता हूं कि संसद् इस पर विचार करे तथा बंगाल के इस सुझाव को स्वीकार कर ले।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न आयोग के सम्मुख प्रस्तुत था तब कोई भी व्यक्ति जो तटस्थ है पूछ सकता है कि आयोग ने इन प्रदेशों को बंगाल में क्यों नहीं मिलाया।

श्री एन० सी० चटर्जी : यदि आप बिहार सरकार द्वारा बनाये गये नकशे को देखें तो आपको ज्ञात होगा कि दार्जिलिंग जिले को शेष बंगाल से मिलाने का कोई साधन नहीं है तथा हम यही चाहते हैं कि थोड़ा सा भाग दे दिया जाये जिससे दार्जिलिंग से पूर्ण सम्पर्क स्थापित हो सके।

डा० राय के नये प्रस्ताव के अनुसार प्रथमतः किशनगंज उप-प्रदेश के कुछ भाग तथा मेर्चा, और महानन्दा के समेत गोपालपुर, पश्चिमी बंगाल में मिलाये जायें। दूसरे, सन्थाल परगना भी पश्चिमी बंगाल में मिलाया जाना चाहिये। तीसरे, सम्पूर्ण मानभूम जिला और चौथे ढालभूम का उपप्रदेश भी पश्चिमी

[श्री एन० सी० चटर्जी]

बंगाल में मिलाया जाना चाहिये । पांचवें गोआलपाड़ा जिला पश्चिम बंगाल को वापस मिलना चाहिये ।

गोआलपाड़ा बहुत समय तक बंगाल का अंग रहा है । बंगाली जनता को वहां बहुत शिकायतें हैं तथा इसीलिये आयोग ने यह सुझाव दिया है कि आसाम में त्रिपुरा मिला दिया जाये जिससे कन्धार और गोआलपाड़ा ज़िले के बंगाल बंगला भाषा भाषी प्रदेशों को बंगाल में मिलाया जा सके ।

प्रतिवेदन के पृष्ठ १९१ की कंडिका ७०७ में कहा गया है कि गोआलपाड़ा में ऐसे प्राइमरी स्कूलों की संख्या, जहां शिक्षा का माध्यम बंगला है, १९४७–४८ में २५२ थी जो इस समय घट कर केवल १ रह गई है । यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है । मैंने सीमा आयोग के सम्मुख कहा था कि यदि आसाम के नेता उत्साह न खोते तो सिलहट भारत से अलग न होता तथा इसी को ध्यान में रख कर अब त्रिपुरा की जनता का यह कहना है कि हम आसाम में मिलना नहीं चाहते ।

गोआलपाड़ा के सम्बन्ध में स्थिति कुछ कठिन हो जाती है क्योंकि पश्चिमी बंगाल सरकार ने गोआलपाड़ा को नहीं मांगा था और परिस्थितियों से बाधित होकर उन्हें अब यह मांग प्रस्तुत करनी पड़ी है । अब त्रिपुरा आसाम में नहीं मिलाया जायेगा इसलिये पश्चिमी बंगाल की विधान सभा की यह मांग है कि त्रिपुरा बंगाल में मिला दिया जाये ।

श्री ब्रह्मचौधरी (ग्वालपाड़ा-गारो पहाड़ियां––रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां): वे सारे भारत की मांग करेंगे ।

श्री एन० सी० चटर्जी : आप को ज्ञात होना चाहिये कि जब भारत का विभाजन हुआ तो उसका सबसे अधिक प्रभाव बंगाल और पंजाब पर ही पड़ा । बंगाल सारा भारत नहीं चाहता । जब रैडक्लीफ पंचाट दिया गया तो दो करोड़ और दस लाख व्यक्ति बंगाल को संभालते थे और शेष पूर्वी बंगाल को । परन्तु उसके पश्चात् हुआ क्या है ? पूर्वी बंगाल से ३५ लाख से अधिक व्यक्तियों को बाहर फेंक दिया गया । इन में से अधिकांश हमारे पास आए । अब मैं इन विस्थापितों, इन बेघरबार व्यक्तियों की ओर से प्रार्थना करना चाहता हूं । क्या आप उनके लिए कुछ नहीं करेंगे ? इन व्यक्तियों को उन क्षेत्रों में बसाया जाये जो अनुचित रूप से बंगाल से छीने गए थे । उनकी समस्या बंगाल ही की समस्या नहीं है । मुझे स्मरण है मैंने भारत की स्वतन्त्रता के अवसर पर कलकत्ता में पूर्व बंगाल सम्मेलन का आयोजन किया था । प्रधान मंत्री और उस समय के गृहकार्य मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्हें विश्वास दिलाया था कि यदि उन्हें और कष्ट हुआ तो भारत उनका पक्ष लेगा । संधियों और समझौतों के बावजूद यह जटिल समस्या अभी भी बनी हुई है । पाकिस्तान में ने अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है । हुआ यह है कि पश्चिमी बंगाल से जाने वाले में आठ लाख मुसलमानों में स लगभग सात लाख वापिस लौट आए हैं । हुआ यह है कि ३५ लाख लोग आ चुके हैं और अभी भी उनके वहां से निकलने की गति मन्द नहीं हुई है । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि किशनगंज - साम्प्रदायिक प्रश्न उठाना उचित नहीं - सत्य यह है कि कुछ स्वार्थी पक्ष भावनाओं को भड़का रहे हैं ।

श्री एम० पी० मिश्र (मुंगेर––उत्तर-पश्चिम) : क्या आप भारतीय साम्प्रदायिकता के प्रधान हैं ?

उपाध्यक्ष होदय : हर एक माननीय सदस्य को इन विषयों पर गम्भीरता से विचार

करना चाहिए । मुझे इसमें सन्देह नहीं कि स्वतन्त्रता प्राप्त करने में इस विभाजन के कारण बंगाल ने कष्ट सहे हैं । प्रत्येक सदस्यों को इसका उपचार बताना चाहिये । बीच में टोक कर खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिये ।

श्री एन० सी० चटर्जी : कलकत्ता की एक विशाल सभा में भाषण देते हुए अखिल भारतीय मोमिन सम्मेलन के नेता जनाब नूर मुहम्मद अन्सारी ने किशनगंज की जनता को पथ भ्रष्ट करने के प्रयत्नों के लिए बिहार नेताओं की कड़ी निन्दा की थी । उन्होंने कहा था कि एक झूठा प्रचार किया जा रहा है । सरकार और जनता एक लौकिक नीति पर चल रही है । जनाब शेख मुहम्मद जान ने अपने भाषण में कहा था कि ये नारे किशन गंज के मुसलमानों द्वारा नहीं लगाए जा रहे वहां के मुसलमानों की आड़ लेकर केवल शिकार खेला जा रहा है । पश्चिमी बंगाल में मुसलमानों को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त है, वे स्वतन्त्रता से अपने धर्म का पालन करते हैं और भाईचारे के वातावरण में रहते हैं ?

श्री श्यामनन्दन सहाय (मुज़फ्फरपुर—मध्य) : वे कहां के रहने वाले हैं ?

श्री एन० सी० चटर्जी : जहां तक मुझे ज्ञात है वह कलकत्ता के एक प्रसिद्ध व्यापारी हैं और बिहार के साथ भी उनका लेनदेन है ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : मैं केवल यही आप से जानना चाहता था ।

श्री एन० सी० चटर्जी : तब उन्होंने कहा "अब पश्चिम बंगाल में ६० लाख मुसलमान हैं । यदि इस राज्य में किशनगंज को सम्मिलित करके दस लाख व्यक्ति और इनमें बढ़ा दिये जायें तो उनकी स्थिति दृढ़ हो जायेगी और प्रशासन में उनकी अधिक आवाज़ होगी ।" तब कलकत्ता के मुस्लिम नेताओं ने एक वक्तव्य में इस प्रकार के आन्दोलन की निन्दा की थी ।

खारसावन और सराएकेला के सम्बन्ध में उड़ीसा के दावे का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं । मैं कहना यह चाहता हूं कि उन के साथ न्याय नहीं किया गया है मैंने इस प्रतिवेदन को ध्यान से पढ़ा है और मैंने देखा है कि उनके दावे को ओ'डौनेल आयोग के प्रतिवेदन में दिए गए निर्णय के आधार पर अस्वीकृत किया गया है । इस आयोग ने यह स्वीकार किया था कि उड़ीया बहुमत में हैं परन्तु उन्होंने अस्वीकृत इस कारण किया था कि उस समय वहां पर संस्पर्शिता नहीं थी । आज राजनीतिक मानचित्र पूर्णतः बदल चुका है । इस कारण उस प्रतिवेदन का हवाला देना उचित नहीं है । राज्यों के विलीनीकरण के पश्चात् वे सभी बातें समाप्त हो चुकी हैं ।

सदर सब डिवीजन के सम्बन्ध में उनके दावे से भी मैं पूर्णतः सहमत हूं । सभी विश्वसनीय प्रतिवेदनों से हमें पता चलता है कि वहां उड़िया बहुमत में हैं ।

श्री श्यामनन्दन सहाय वे कितने प्रतिशत हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : देहातीक्षेत्रों में उड़िया जनसंख्या प्रतिवेदन में २६ प्रतिशत बताई गई है ।

श्री बी० सी० दास (गंजम दक्षिण) : बिहारी कितने प्रतिशत हैं ?

श्री एन० सी० चटर्जी : प्रतिवेदन की कडिका ६२४ में कहा गया है कि सिंह भूम ज़िले को बिहार में सम्मिलित करना उचित है । केवल भाषा के दृष्टिकोण से ही किसी जिले के टुकड़े करना न्याय संगत सिद्ध नहीं होता । इस जिले में उड़ीया भाषा भाषी जनसंख्या केवल २६ प्रतिशत है । यदि आप मान चित्र को देखें तो आप देखेंगे कि उड़ीसा सारे सिंहभूम जिले को नहीं चाहता है बल्कि केवल उड़िया भाषा भाषी भाग को ही चाहता है । उड़ीसा ढालभूम नहीं चाहता जहां कि बंगला भाषा भाषियों का बहुमत है केवल सराएकेला और खारसावन और सदर सब डिवीजन चाहता है जो कि उड़िया भाषा भाषी क्षेत्र में

श्री श्यामनन्दन सहाय : अब वे सारा सिंहभूम चाहते हैं।

श्री एन० सी० चटर्जी : जी नहीं। आप बंगाल की सहायता करने के उद्देश्य से ऐसा कह रहे हैं।

श्री एस० के० पाटिल के भावपूर्ण भाषण के बावजूद मैं संयुक्त महाराष्ट्र के दावे का समर्थन करता हूं। मेरे विचार में किसी जाति अथवा जनता और विशेषतः मैंने महान् मराठा जाति के नाम पर यह कहना एक धब्बा लगाना है कि यदि बम्बई जैसे विशाल नगर को महाराष्ट्रीयों के अधिकार में दे दिया गया तो औद्योगिक तत्वों के साथ सद्व्यवहार नहीं होगा। भारत में महान् मराठा जाति के सारे इतिहास में यह कहीं नहीं कहा गया है कि वे उद्योगपतियों के साथ अनुचित अथवा बुरा व्यवहार करते हैं। इस प्रकार का निर्णय देना न्यायसंगत नहीं है। प्रतिवेदन में इस नगर की विशेष स्थिति, उसकी मिली जुली जनसंख्या, विभिन्न भाषा दलों और अल्पसंख्यक भाषा दलों के आधार पर मानी गई है। यदि आप यह सोचें कि महाराष्ट्रीयों के वहां बहुमत में होने के कारण पारसी, गुजराती, मारवाड़ी और मुसलमान आदि वहां पर शान्ति से न रह सकेंगे तो यह एक खतरनाक पूर्व दृष्टान्त होगा। आप जानते हैं कि कलकत्ता के विशाल नगर में व्यापार की बागडोर अधिकतर उन लोगों के हाथों में है जो बंगाली नहीं हैं। मेरे विचार में यह उचित ही होगा कि महाराष्ट्रीय जनता को उनका उचित अधिकार दिया जाए ताकि उनकी इच्छा पूरी हो सके, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य और दूसरी बातों पर काफ़ी हद तक केन्द्र का नियन्त्रण होता है। मेरे मित्र श्री एस० के० पाटिल ने बार बार यही कहा "बम्बई को देखो, कितनी सुन्दर बात उन्होंने वहां की है।" वहां हुआ यह है कि विद्यालयों में एक से अधिक लगभग दस व भिन्न भाषाओं में विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। बम्बई में विशेषता क्या है? यदि श्री पाटिल यहां होते तो मैं उन से अपील करता वह यह दृष्टिकोण न अपनायें और काका साहब गाडगील से मिलें, मैंने बम्बई के सम्बन्ध में एक पत्रिका पढ़ी थी जिसमें यह कहा गया था कि श्री गाडगील यह कह रहे हैं कि जब महाराष्ट्रीयों के हाथों में सत्ता आयेगी तब बम्बई से सभी पूंजीपतियों का सफाया कर दिया जायेगा मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने यह कहा है या नहीं।

श्री गाडगील : मैंने यह कहा था कि एक वर्ग के रूप में धनी जनता को परीसमापित करना ही होगा क्योंकि यह कांग्रेस कार्यक्रम एक वर्गहीन समाज चाहती है और मैं केवल कांग्रेस कार्यक्रम का ही विवेचन करता हूं।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं श्री गाडगील और अपने सभी मित्रों को विश्वास दिलाता हूं कि पूंजीपति समाजीकरण कर लेंगे और कर रहे हैं। चाहे वे गुजराती हों या महाराष्ट्रीय, बम्बई के पूंजीपतियों से भय की कोई बात नहीं है।

अब मैं विशाल आन्ध्र की रचना का भी समर्थन करता हूं। आयोग ने जो अच्छी बातें की हैं उन में से एक हैदराबाद को परिसमापित करना है। मुझे प्रसन्नता है कि दूसरी बहुत सी बातों और सामन्त-तन्त्र को परिसमापित किया जा रहा है। परन्तु तेलगू भाषी क्षेत्रों के द्विराजतन्त्र की क्या आवश्यकता है? यदि आप वास्तव में एक आन्ध्र राज्य चाहते हैं तो उसे आज ही बनाइये। यदि आप उसे पांच वर्ष के लिये टाल देंगे तो अगले पांच वर्षों में भी कुछ न होगा।

मैं शायद मार्शल बुलगानिन या श्री ख्रुस्चैव का भाषण पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता के पश्चात् सबसे अच्छी बात जनता की रचनात्मक शक्तियों को मुक्त करना है। यही कारण है कि जनता अस्तित्व योग्य राज्यों की मांग कर रही है। हम चाहते हैं कि राज्य वास्तव में लोकतंत्रात्मक हों। आप को स्मरण है कि पंडित मोतीलाल नेहरू और दूसरे व्यक्तियों ने भाषावार राज्यों के विषय में क्या कहा था। मुझे आशा है कि आचार्य कृपालानी और सदन में अन्य मित्र उसे पढ़ेंगे। उस समिति में जिसने वह प्रतिवेदन तैयार

किया था सुभाषचन्द्र बोस भी थे। समिति ने सिफारिश की थी कि प्रान्तों की पुनः बांट भाषा सम्बन्धी आधार पर सम्बन्धित क्षेत्रों की जनता के बहुमत की मांग के आधार पर, वित्तीय और प्रशानसकीय विचारों के अधीन रहते हुए होनी चाहिये। आयोग ने स्वयं नेहरू प्रतिवेदन के एक भाग का हवाला दिया है और संकेत किया है कि नेहरू समिति भाषा सम्बन्धी राज्य क्यों चाहती थी। उसका विवरण पृष्ठ १८ की कंडिका ५४ में दिया गया है।

इसलिये लोकतन्त्रवाद को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए और अपनी जनता की रचनामक शक्तियों की मुक्ति के लिए अच्छा होगा कि जितनी जल्दी संभव हो सके हम बहुभाषज्ञ क्षेत्रों का अन्त कर दें। आयोग ने अपने प्रतिवेदन के पृष्ठ ४५ में कहा है कि समाजिक राज्य राष्ट्र के प्रति राज्यनिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य में सफल नहीं हुए हैं न ही वे मनुष्यों की शक्ति को एक सूत्र में बाँधने में सफल हुए। इस सम्बन्ध में आप प्रतिवेदन की कंडिका १५९ देख सकते हैं।

मैं विशाल आन्ध्र के दावे का समर्थन् करता हूं और यह एक अत्यन्त सुन्दर राज्य होगा। मध्यभारत को परिसमापित किया जा रहा है इस कारण वहां के लोगों में भारी व्यथा पाई जाती है। राजधानी के प्रश्न पर भी कुछ झगड़ा था परन्तु मध्य भारत. की परिसमापन के कारण उसका अन्त हो गया है।

जिस दिन आयोग का प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ उस दिन या उस से अगले दिन मैंने प्रधान मंत्री को लिखा था कि बंगाल की इच्छापूर्ति के लियें, पीड़ित मानवों को फिर से बसाने के लिए आपको हमें बिहार में से कुछ देना ही होगा। परन्तु बिहार और उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश इतना विशाल और बड़ा राज्य है, आपस में कोई समझौता हो सकता है। उत्तर प्रदेश को विशाल मध्य प्रदेश म से कुछ मिल सकता है। मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश में मिलाया जा सकता है।

अब मैं केवल पंजाब राज्य के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं।

पंजाब में जो स्थिति है उस से मुझे बहुत चिन्ता है। मुख्य मंत्री ने एक बयान दिया है जिसमें कहा गया है कि साम्प्रदायिक स्थिति गम्भीर है और सिक्ख और हिन्दू सम्प्रदायों के आपसी झगड़ों को निपटाने के लिए कुछ किया जाना चाहिये। सिक्ख, हिन्दू जाति से बाहर के व्यक्ति नहीं हैं, वे हिन्दू जाति का एक ही अभिन्न अंग हैं। यदि इस भावना को जागृत किया जाये तो पंजाब की भलाई के लिए कुछ किया जा सकता है। मैं पहले भी अपील कर चुका हूं और आज पुनः अपील करता हूं कि पंजाब के बड़े बड़े सिक्ख और हिन्दू नेताओं को आपस में मिल बैठ कर, किसी तीसरी पक्ष को बीच में लाए बिना पंजाब की समस्या का स्वयं ही समाधान करना चाहिये।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर): बंगाल और बिहार पर भी यह बात क्यों न लागू की जाय ?

श्री एन० सी० चटर्जी: कठिनाई यह है कि आज भी वही कुछ हो रहा है जो कुछ अंग्रेज करते थे। उन्होंने साम्प्रदायिक प्रचार किया, मुसलमानों को उनकी इच्छा से भी अधिक बहुमत दिया गया। इसके पश्चात अंग्रेजों ने कहा "बैठ जाओ और आपस में निर्णय कर लो"। परन्तु जब कोई बात अभी निर्णय की स्थिति में ही हो तभी कुछ हो सकता है, उसके बाद उसका समाधान कठिन हो जाता है। मैं सरदार हुक्मसिंह और मास्टर जी और दूसरे नेताओं से यही अपील करूंगा कि वे स्मरण रखें कि पंजाब एक सीमाराज्य है

[श्री एन० सी० चटर्जी]

और इसका युद्धावश्यक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है । उसे किसी भी प्रकार से निर्बल नहीं होने देना चाहिये; उसे दृढ़ बनाना चाहिय ताकि यह किसी भी विदेशी आक्रमण का सामना कर सके ।

श्री श्यामानन्दन सहाय : जब मेरे माननीय मित्र ने बोलना आरम्भ किया तो वे इतने भावावेष में बोले कि मैंने सोचा अब मैं कुछ भी न कह सकूंगा । परन्तु मुझे विश्वास था कि कई बार सत्य भावनाओं से अधिक बलवान होता है । मेरे विचार में इस प्रश्न पर जिस रूप में विचार किया गया है उसमें इतनी उत्तेजना की आवश्यकता न थी बिहार और बंगाल एक लम्बे समय से साथ साथ रहते आए हैं । विभाजन के लगभग ४३ वर्ष बाद भी दीवानी न्यायालयों में विधि-जीवी संघों में और शिक्षा की संस्थाओं में बंगाल की छाप देखी जा सकती है । हम बंगाल के उन महान् नेताओं के आभारी हैं जिन्होंने न केवल अपने प्रान्त को बल्कि समूचे देश को अपनी अच्छाइयां दीं; यह है चित्र का एक पहलू । दूसरा पहलू यह है कि बंगाल में बिहारियों ने भी साथ ही साथ कठिनाइयां झेली हैं और कन्धे से कन्धा मिला कर त्याग किया है । जिस समय दामोदर घाटी योजना विचाराधीन थी तब बिहार जैसे निर्धन प्रान्त के लिये यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था कि क्या वह लगभग एक लाख एकड़ भूमि देना और लगभग ५०,००० व्यक्तियों का उखाड़े जाना सहन कर सकता है । बिहार ने ऐसा करना स्वीकार किया । न केवल यही बल्कि हमने लगभग एक तिहाई खर्च उठाना भी स्वीकार किया । सभी को मालूम है कि इस योजना से, सिंचाई की सुविधायें, बाढ़ नियन्त्रण कार्यवाहियां, मलेरिया का कम होना और विद्युत् शक्ति अधिकतर बंगाल को ही प्राप्त होगी । परन्तु बिहार ने इस सम्बन्ध में बंगाल और केन्द्रीय सरकार के साथ सहयोग किया और योजना सफल हुई ।

एक और योजना, मयूराक्षी योजना में भी बिहार को २७,००० एकड़ भूमि की हानि उठानी पड़ी और उसके २१,००० व्यक्ति बेघरबार हुए । जहां तक बिहार का सम्बन्ध है, इस योजना से उसे कोई लाभ न होगा । यदि आप मानचित्र को देखें तो पूर्णिया राजपथ को पश्चिम बंगाल से मिलाने के लिए लगभग २७ मील लम्बी सड़क बिहार प्रदेश में से गुजरती है । बिहार ने इन सभी कार्यों में सहयोग किया । परन्तु दो बातों को ध्यान में रखा गया कि (i) आवश्यकता उचित और वास्तविक हो और (ii) प्रसारी मनोवृत्ति न हो । मैं सदन से कहूंगा कि वह इस दृष्टिकोण से राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रस्तावों पर विचार करे ।

राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की है कि पूर्णिया ज़िले का किशनगंज सब डिवीज़न पश्चिम बंगाल को हस्तान्तरित कर दिया जाए उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि मानभूम ज़िले का पुरुलिया सब डिवीज़न केवल एक थाने को छोड़ कर शेष पश्चिम बंगाल को हस्तान्तरित कर दिया जाए । ये सिफारिशें करते हुए आयोग ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उत्तरी और दक्षिणी भागों में से पश्चिमी बंगाल राज्य को मिलाने के लिये राज्य की वास्तविक आवश्यकता को पूरा करने के लिये ही यह सिफारिश की गई है ।

श्री एन० सी० चटर्जी ने इसकी चर्चा करते हुए कहा कि पश्चिमी बंगाल के उत्तर तथा दक्षिणी भागों में सम्पर्क स्थापित करने के लिये बंगाल में उससे भी अधिक क्षेत्र मिलाया जाना चाहिये था जितने कि मिलाये जाने की आयोग ने सिफारिश की है। श्री एन० सी० चटर्जी के इस सुझाव से मुझे अत्यधिक आश्चर्य हुआ । जब इस क्षेत्र में से होकर राष्ट्रीय राजपथ गुजरता है तो इस प्रकार का संशय क्यों किया जाये कि दोनों भागों में सम्पर्क स्थापित नहीं हो सकेगा ।

एक दूसरा प्रश्न जिसने पश्चिमी बंगाल और बिहार के लोगों को चिन्तित कर रखा है शरणार्थियों के बसाये जाने का है। आयोग ने पश्चिमी बंगाल की सरकार से यह गारंटी मांगी है कि पूर्निया का जो भाग पश्चिमी बंगाल में मिलाया जायेगा उसमें शरणार्थी नहीं बसाये जायेंगे क्योंकि वहां पहले ही बहुत लोग रह रहे हैं। जहां तक मुझे ज्ञात है पश्चिमी बंगाल ने यह गारंटी देना स्वीकार कर लिया है। सारे भारत में पूर्निया ही कदाचित एक ऐसा जिला है जहां एक ही स्थान में मुसलमानों की संख्या बहुत अधिक है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि उस जिले का एक भाग दूसरे राज्य से मिला दिया जायेगा तो बचे हुए भाग के वासियों के क्या उद्गार होंगे।

श्री वी० जी० देशपांड (गुना) : एक मुस्लिम स्टेट (राज्य) बना दो।

श्री श्यामनन्दन सहाय : आपके कहने से मुसलमान यहां से चले नहीं जायेंगे चाहे आप कोशिश करते करते मर जाइये। इस मुल्क में हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई सब लोग रहेंगे। और वो आप जैसे हैं वे हिन्दुस्तान के दुश्मन हैं, मैं भी हिन्दू महा सभा में ३८ वर्ष रहा हूं और काम कर चुका हूं। कुछ आप ही को हिन्दुओं की तरफ से बोलने का हक नहीं है।

श्री वी० जी० देशपांडे : आपने यह अच्छा ही किया जो हिन्दू महासभा को छोड़ दिया।

श्री श्यामनन्दन सहाय : मेरे माननीय मित्र श्री एन० सी० चटर्जी ने कुछ 'जनाब साहबों' के वक्तव्य पढ़ कर सुनाये। परन्तु वे सब महानुभाव बंगाल के थे। मैं ही श्री चटर्जी से निवेदन करूंगा कि वे किशनगंज सब-डिवीजन में आकर देखें कि कितने मुसलमान उस भाग के पश्चिमी बंगाल में मिलाये जाने के पक्ष में हैं। यदि उन्हें एक प्रतिशत व्यक्ति भी इस बात का समर्थन करते हुए मिल जायें तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। आखिर, लोगों की इच्छा सर्वोच्च है और उसका उचित सम्मान किया जाना चाहिये।

श्री एम० खुशबख्श (मुर्शिदाबाद) : वहां मुसलमानों को किस बात का भय है ?

श्री श्यामनन्दन सहाय : पूर्निया जिले में जो मुसलमान रह रहे हैं उनके सगे सम्बन्धी तथा मकानादि किशनगंज में हैं। यदि आप किशनगंज को बंगाल में मिला देंगे तो उन लोगों को दो सरकारों से व्यवहार करना पड़ जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : उन लोगों की मातृ-भाषा क्या है।

श्री श्यामनन्दन सहाय : उर्दू।

जहां तक इस क्षेत्र का सम्बन्ध है, आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि पश्चिमी बंगाल की सरकार को वहां के मुसलमानों की शिक्षा आदि की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी।

अब जरा सोचिये इन लोगों की क्या हालत होंगी। उन्हें उर्दू के अलावा बंगला भी सीखनी होगी। यही नहीं उन्हें हिन्दी भी सीखनी है क्योंकि वह राष्ट्रभाषा है।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि यह चीज उचित नहीं है कि एक मामले में तो भाषा पर जोर दिया जाये और दूसरे में नहीं। आप जानते हैं कि पुरुलिया के बारे में यह कहा गया है कि वहां के बंगला भाषा भाषी क्षेत्र को बंगाल में मिलाया जाना चाहिये। परन्तु, पूर्निया के मामले में यह सिद्धान्त पूर्णतः त्याग दिया गया है। पूर्निया के इस इलाके में बंगला का कोई प्रश्न ही नहीं है।

मैं एक और बात पर जोर देना चाहता हूं। हमें दो राज्यों में सम्पर्क स्थापित करने

[श्री श्यामनन्दन सहाय]

की दृष्टि से किसी राज्य विशेष को कुछ क्षेत्र दिये जाने के विचार को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। ऐसा करने से अनेक जटिलताएं और कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं।

पुरुलिया के सम्बन्ध में, राज्य पुनर्गठन आयोग ने पक्ष और विपक्ष के तर्कों को सुना उसने लिखा है कि तर्क न्यूनाधिक रूप से संतुलित थे। परन्तु उसे यह पता चला कि कोसई नदी ने दोनों राज्यों के लिये एक समस्या उत्पन्न कर दी है। इसे देखते हुए आयोग ने सुझाव दिया कि चाहे और बातों का इतना महत्व नहीं है, परन्तु कोसई नदी का विचार महत्वपूर्ण है और इसलिए कोसई नदी का जो जलागम क्षेत्र बिहार प्रदेश में है वह बंगाल को दे दिया जाना चाहिये ताकि बंगाल इसे नियंत्रित कर सके और इस वश में कर सके और अपने प्रदेश की रक्षा के लिये आवश्यक कार्यवाहियां कर सके। अब इस जलागम क्षेत्र का प्रश्न भी बहुत टेढ़ा है और गम्भीर समस्यायें उत्पन्न कर सकता है। यदि आप किसी भी राज्य में बहने वाली किसी भी नदी को लें तो आप देखेंगे कि अधिकतर राज्यों में किसी नदी का जलागम क्षेत्र एक राज्य में है, स्रोत दूसरे राज्य में है और नदी कई बार एक या दो से अधिक राज्यों में से होकर बहती है। इस कारण मैं यह अनुभव करता हूं कि जिस राज्य में नदी बहती हो उसे इस नदी का जलागम क्षेत्र देने के लिये सिद्धान्त स्वीकार करना और निर्धारित करना एक बहुत ही खतरनाक सिद्धान्त होगा। इससे समस्या का समाधान नहीं होगा मैं मानता हूं कि कोसई नदी के कारण बंगाल को कष्ट झेलने पड़ते हैं। परन्तु बिहार को भी कष्ट सहने पड़ते हैं। बिहार सरकार ने योजना आयोग के सामने लगभग साढ़े पांच करोड़ रुपये की लागत की एक योजना प्रस्तुत की है ताकि इस नदी पर नियन्त्रण किया जा सके और इसे वश में किया जाए। यह योजना विचाराधीन है। इसे सम्भवतः द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जायेगा। परन्तु जैसा कि मैंने कहा है समस्याएं कम नहीं हुई है। यह कहना बेकार की बात होगी कि बंगाल और बिहार दोनों को ही कष्ट सहन करने चाहियें। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे पड़ौस में देश की एक सबसे सुन्दर एजेन्सी है, दामोदर घाटी निगम। बिहार और बंगाल दोनों राज्यों में जिन क्षेत्रों में नदियां बहुत ही उपद्रव उत्पन्न कर रही हैं यह निगम उन नदियों को वश में करने का प्रयत्न कर रहा है। इस निगम के पास बहुत ही प्रशिक्षित कर्मचारी हैं, उसे विशेषज्ञों का परामर्श प्राप्य है। ये सुविधाएं बंगाल या बिहार को पृथक् रूप से प्राप्य नहीं हो सकतीं, इसीलिये मैं कहता हूं कि नदी को दामोदर घाटी निगम के सुपुर्द कर दीजिये और उससे कहिये कि बिहार और बंगाल दोनों की सुरक्षा के लिए वह पूर्ण प्रयत्न करे। इस प्रकार यह निगम इस नदी से सम्बन्धित सभी समस्याओं का समाधान कर लेगा, हमें आबादी या क्षेत्र के स्थानान्तरण की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिये मेरा यह निवेदन है कि जहां तक कोसई नदी का झगड़ा है, हम इसे दामोदर घाटी निगम के लिये छोड़ दें क्योंकि इस के लिये जिस टेक्निकल ज्ञान और अनुभव के विशेषज्ञों की आवश्यकता है, उनकी व्यवस्था बंगाल और बिहार की शक्ति से परे है।

यदि हम यह मान भी लें कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषावार दृष्टिकोण ही सबसे महत्वपूर्ण है, तो हमें देखना यह है कि ज़िला मानभूम के सम्बन्ध में इस दृष्टिकोण से कैसी स्थिति है। श्री एन० सी० चटर्जी तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों से भी आगे बढ़ गये हैं। वे कहते हैं कि हमें मानभूम का सारा क्षेत्र मिलना चाहिये। मेरी समझ में उनकी नजर धनबाद पर है। इसलिए प्रश्न वास्तव में बंगला-भाषी जनता का इतना नहीं है, जितना धनबाद को लेने का। उन्होंने भाषा की दृष्टि से अल्पसंख्यक समुदायों का उल्लेख किया है। जनगणना

की दृष्टि से जिला मानभूम की बंगाली नहीं वरन् बंगला-भाषी जनता की संख्या केलल ४३ प्रतिशत है । पुरुलिया और चास के परगनों को भी सम्मिलित कर लिया जाये तो उनकी संख्या ५२ प्रतिशत हो जायेगी । यदि हम चास परगने को अलग कर दें तो यह संख्या ५५ प्रतिशत हो जाती है । इसका अर्थ है कि पुरूलिया क्षेत्र में जिसके हस्तान्तरण करने का विचार किया जा रहा है, बंगला-भाषी जनता ५५ प्रतिशत है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : मैं कहना यह चाहता था कि १९५१ की जनगणना पर बंगाल और बिहार दोनों ने आपत्ति उठाई है ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : मानभूम के सारे ज़िले की बंगला-भाषी जनता ४३ प्रतिशत है । तब फिर मेरे माननीय मित्र सारे मानभूम की कैसे मांग कर सकते हैं । भाषावार पुनर्विचार के लिये किसी भाषा के बोलने वाले समुदाय का प्रचुरता के साथ बहुसंख्यक होना आवश्यक है । सभी सीमा सम्बन्धी क्षेत्रों के सम्बन्ध में धार आयोग ने सिफारिश की है कि विभिन्न भाषा के बोलने वाले समुदायों में साधारण अन्तर होने के आधार पर ही क्षेत्रों का हस्तान्तरण नहीं किया जाना चाहिये । इसके लिये यह आवश्यक है कि किसी एक भाषा के बोलने वाले कम-से-कम ७० प्रतिशत हों । तभी उस क्षेत्र का हस्तान्तरण किया जाये क्योंकि यदि एक जनगणना में बंगला भाषियों की संख्या ५५ प्रतिशत है तो हो सकता है दूसरी जनगणना में हिन्दी भाषियों की संख्या ५५ प्रतिशत हो जाये । जे० बी० पी० प्रतिवेदन और राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन में भी इसी विचारधारा का समर्थन किया गया है । राज्य पुनर्गठन आयोग ने इस विचार का केवल समर्थन ही नहीं किया है, वरन् यह भी कहा है कि ऐसे विषयों में किसी एक भाषा के बोलने वालों का बहुसंख्यक होना ही केवल इसके लिय पर्याप्त नही है कि उस क्षेत्र का हस्तांतरण किया जाये बल्कि अन्य बातों पर भी ध्यान देना आवश्यक है । इसलिये मैं आशा करता हूं कि श्री चटर्जी इससे सहमत हो गये होंगे कि पुरुलिया की मांग वे किसी अन्य आधार पर भले ही करें, कम-से-कम वहां की बंगला-भाषी जनता के आधार पर नहीं कर सकते हैं ।

जैसा मैं कह चुका हूं, पुरुलिया की बंगला-भाषी जनता ५५ प्रतिशत है; परन्तु वहके निवासी अधिकांशतः कुर्मिला, भूमी, संथाल इत्यादि हैं । ये जातियां वास्तव म बिहार की हैं क्योंकि ऐसी ही जातियां आपको बंगाल में नहीं मिलेंगी । इस लिये बंगला-भाषी जनतां और बंगालियों में कुछ न कुछ विभेद अवश्य ही करना पड़ेगा ? आचार्य कृपालानी ने कल हमें बताया है कि उन्होंने इस क्षेत्र का भ्रमण किया है और उनके अनुसार वहां बहुमत न तो बंगला-भाषी जनता का है और न हिन्दी-भाषी जनता का । वास्तव में, बहुमत वहां पर स्थानीय बोली बोलने वालों का है । इसलिये इस क्षेत्र के सम्बन्ध में केवल आंकड़ों से हमें सही स्थिति का ज्ञान नहीं हो सकता है ।

हमारे मित्र ने इस विषय से सम्बन्धित बिहार के कुछ नेताओं के वक्तव्यों पर बहुत ज़ोर दिया है जो ४० वर्ष पूर्व किसी बंगाली पत्र में प्रकाशित हुए थे । दुर्भाग्यवश अब उनमें एक भी जीवित नहीं है और इस वक्तव्य की पुष्टि करना असम्भव है । परन्तु १९४८ में स्वर्गीय श्री नलिनीरंजन सरकार ने कहा था कि पश्चिमी बंगाल में कुछ बिहारी क्षेत्रों को सम्मिलित करने की मांग भाषा या जातियों के आधार पर नहीं, वरन् आर्थिक आधार पर की जा सकती है । पश्चिमी बंगाल की विधान-सभा में बोलते हुए डा० विधान चन्द्र राय ने १९५२ में कहा था कि भाषा या संस्कृति के आधार पर सीमा के पुनर्समायोजन की मांग नहीं की जा सकती । उन्होंने ज़ोर इस बात पर दिया था कि पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित यक्तियों को बसाने के लिये अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता है । मेरे मित्र ने डा० सच्चिदानन्द सिन्हा आदि के वक्तव्य की ओर हमारा ध्यान आकर्शित किया है । डा० सिन्हा ने साधान

[श्री श्यामनन्दन सहाय]

सभा के सामने जो ज्ञापन प्रस्तुत किया था उसमें स्पष्ट कहा था कि बिहार के ये भाग बंगाल को नहीं दिये जा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त यदि मानभूम बंगाल को दे दिया जायेगा तो बिहार को सुवर्णरेखा नदी पर नियंत्रण करने की योजना को छोड़ना पड़ेगा और साथ ही वह सिंचाई की सुविधा से भी वंचित हो जायेगा। जमशेदपुर की जल-व्यवस्था भी गड़बड़ हो जायेगी। इसके अतिरिक्त जो कठिनाई बंगाल वालों को दार्जिलिंग से दीनाजपुर जाने में होती है वही हमें धनबाद से या जमशेदपुर से रांची जाने में होगी। इसी प्रकार की कुछ अड़चनें सन्थाल परगना और ढालभूम के सम्बन्ध में हैं। बिहार के हमारे कुछ मित्रों ने एक सुझाव यह दिया है कि एक बार फिर बंगाल और बिहार को एक कर दिया जाये। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है परन्तु ऐसा करने के पहले बहुत सी बातों पर विचार करने की आवश्यकता है।

जहां तक उड़ीसा की सरायकेला और खरसवान सम्बन्धी मांग का सम्बन्ध है, पहले भी एक बार ये क्षेत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा के प्रशासनीय नियंत्रण में दे दिये गये थे। स्वर्गीय सरदार पटेल के नेतृत्व में केन्द्रीय सरकार ने एक बार फिर सारे प्रश्न पर विचार किया और विनिश्चय किया कि ये क्षेत्र बिहार में मिला देने चाहियें। तब से ये क्षेत्र बिहार में हैं।

ये दोनों क्षेत्र पहले बोराहड राज्य का एक भाग थे जो कि बिहार में था।

श्री एन० सी० चटर्जी : क्या यह ठीक नहीं है कि सरायकेला और खरसवान के स्कूल उत्कल विश्वविद्याय के अन्तर्गत थे और पटना विश्वविद्यालय उनको अपने संरक्षण में लेने के लिये तय्यार नहीं था ?

श्री श्यामनन्दन सहाय : वह स्कूल था, कोई कालिज नहीं था; इसलिये वह माध्यमिका शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत था, पटना विश्वविद्यालय का कोई प्रश्न ही नहीं। उक्त बोर्डने अब सरायकेल और खरसवान के सब स्कूलों में उड़िया की शिक्षा की व्यवस्था कर दी है। बिहार विश्वविद्यालय ने रांची कालिज में विश्वविद्यालय के प्रक्रम तक उड़ीया के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था कर दी है। इसलिये जहां तक शिक्षा की संस्थाओं का सम्बन्ध है, वहां पठन-पाठन सम्बन्धी कोई भी असुविधा नहीं।

श्री सारंगधर दास (ढेंकानाल–पश्चिम कटक) : यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उत्कल विश्वविद्यालय के अतर्गत था या बिहार विश्वविद्यालय के अंतर्गत ?

श्री श्यामनन्दन सहाय : उड़िया भाषा में शिक्षा और प्रशिक्षण की यही स्थिति है। बिहार राज्य और वहां के विश्वविद्यालय ने हर प्रकार की सहायता दी है।

यही थोड़ी सी बातें हैं, जो कि मुझे सभा से कहनी हैं। जैसा कि मेरे मित्र, श्री चटर्जी, ने बताया है कि सारे राज्य एक साथ बैठकर सारी समस्याओं पर विचार कर लें तो इस संबंध में मुझे यह कहना है कि जहां तक बिहार का सम्बन्ध है, मैं यह नहीं चाहता कि जो कुछ बंगाल कहे, उसके लिये मना कर दिया जाये, अपितु हम उसकी मांग पर विचार करेंगे, बशर्ते कि वह मांग विस्तार संबंधी न हो। जहां तक उन की आवश्यकताओं का प्रश्न है, मुझे आशा है कि बंगाल और बिहार के नेता आपस म मिलकर इस बारे में समझौता कर लेंगे और यदि ऐसा कोई समझौता हो जाता है तो मुझे बहुत हर्ष होगा।

श्री बंसीलाल (जयपुर) : हम में से बहुतों ने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिये अपने नाम दिये हैं। किन्तु जिस रूप में चर्चा चल रही है, उस से यह प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य नियत समय से अधिक समय ले रहे हैं। अतः मेरा निवेदन है कि ऐसी कोई प्रक्रिया निकाली जानी चाहिए, जिससे सब को बोलने का अवसर मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर मिले या न मिले, किन्तु मैं केवल इतना कर सकता हूं कि ठीक ३० मिनट के बाद घंटी बजा दूं। हम ने विशिष्ट वर्गों के नेताओं को अवश्य कुछ अधिक समय दिया है। दो तीन नेता और रह गये हैं, उनके बोलने के बाद मैं किसी को भी आधे घंटे से अधिक समय नहीं दूंगा। यदि माननीय सदस्य समय का ध्यान रखते हुये, संक्षिप्त रूप में अपने विचार व्यक्त करें, तो मैं सारे सदस्यों के लिये समय का वितरण कर सकता हूं।

स्वामी रामानन्द तीर्थ (गुलबर्ग) : मैं बहुत से राज्यों के बारे में कहना चाहता हूं, इसलिये मैं चाहता हूं कि मुझ को आधे घंटे से कुछ अधिक समय मिले।

मैं राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्यों को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने परिश्रम से इस प्रतिवेदन को तैयार किया है। यह आयोग मुख्यतः भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन करने के लिये नियुक्त किया गया था। आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन के बारे में जिस रूप से विचार किया है और जो हल प्रस्तुत किये हैं, उनसे मैं पूर्णतः सहमत हूं। परिस्थितियां भी ऐसी थीं कि भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन हो। आयोग ने १६ राज्यों की सिफारिश की है, उनमें से १३ राज्य भाषावार राज्य हैं। जो कुछ कमी रह गई थी, वह कांग्रेस कार्यकारिणी समिति द्वारा दूर कर दी गई है। अतः, मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करता हूं कि वे अपने दिमागों से यह बात निकाल दें कि भाषावार राज्य बनने से भारत की एकता छिन्न-भिन्न हो जायेगी। भारत की नागरिकता एक है। हम सब एक ही संविधान के अधीन हैं। भारतीय नागरिक होने के नाते हमारे मातृदेश अलग अलग नहीं हैं। हमें अपने दिमागों से यह ग़लत ख्याल निकाल देना चाहिए कि महाराष्ट्र अथवा गुजरात अथवा आंध्र, आदि के होने के नाते हमारा मातृदेश भी बदल जायेगा। यदि हम महागुजरात की अथवा संयुक्त महाराष्ट्र की मांग करते हैं, तो उससे हम भारतीय नागरिकता किसी प्रकार नहीं खोते।

मेरे माननीय मित्र, आचार्य कृपालानी ने यह दिखाना चाहा कि भाषा और संस्कृति दोनों को बराबर नहीं माना जा सकता। हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति एक है। किन्तु भारतीय संस्कृति विभिन्न संस्कृतियों का मेल है। उस में एकरूपता नहीं। गुजरात अथवा आंध्र की भाषा अथवा प्रथाओं की उपेक्षा करना भारतीय संस्कृति को कमज़ोर बनाना है, क्योंकि भारतीय संस्कृति इन सब का मेल है। भाषा विचार व्यक्त करने का माध्यम है। यदि भाषावार राज्य की मांग की जाती है, तो उसका यह अर्थ है कि वहां के लोग स्वतंत्र रूप से अपने यहां की विशेषताओं का उल्लेख कर सकें, जिससे भारतीय संस्कृति और भी उन्नत हो

अब मैं एक राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न के बारे में कहना चाहता हूं। मेरा तात्पर्य हैदराबाद राज्य के विघटन से है। मैं आयोग के सदस्यों के प्रति कृतज्ञ हूं कि उन्होंने एकमत से यह सिफारिश की कि हैदराबाद राज्य का विघटन कर दिया जाये। आयोग की यह सिफारिश समयानुकूल है। प्रजातंत्र के इस युग में राजप्रमुखों का पद समाप्त हो ही जाना चाहिए।

मैं दो महत्वपूर्ण विषयों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। प्रथम, मैं विशालांध्र के बारे में कहता हूं। मुझे पूर्ण कर्नाटक राज्य के

[स्वामी रामानन्द तीर्थ]

बनने से प्रसन्नता होगी। मैसूर और बेल्लारी कर्नाटक राज्य में मिला दिये जायेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं।

मेरे मित्र, श्री हेडा ने इसका पक्ष लिया है कि तेलंगाना राज्य बनाया जाये। मैं तेलंगाना राज्य के समर्थकों के विचार के हेतु एक प्रस्थापना रखता हूं। वे विशालांध्र के बनने का विरोध न करें, क्योंकि उसमें ३६० लाख व्यक्तियों की इच्छा निहित है। ऐसा न हो कि बाद को इतिहास यह कहे कि तेलंगाना राज्य ने विशालांध्र के मार्ग में रुकावट डाली थी। मैं चाहता हूं कि एक विशाल आंध्र राज्य बनाया जाये, और मुझे आशा है कि यह भारत के अच्छे राज्यों में से एक होगा। मुझे बहुत खुशी होगी यदि इस अवस्था में भी इसका निर्णय कर लिया जाये।

मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि शेष हैदराबाद एक कमजोर राज्य रहेगा, और इससे भारतीय संघ को हमेशा खतरा रहेगा। अतः, मैं कहता हूं कि विशालांध्र के बारे में निर्णय करने में विलम्ब नहीं करना चाहिए।

अब मैं बम्बई राज्य की अत्यन्त जटिल समस्या का विवेचन करता हूं। मेरे मित्र, श्री एस० के० पाटिल ने कुछ बड़े अच्छे सुझाव दिये हैं। यद्यपि मैं उन से पूर्णतः सहमत नहीं हूं, किन्तु फिर भी वे लाभदायक हैं। उन्होंने बताया कि द्वि-भाषा-भाषी राज्य को एक संतुलित राज्य होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी राज्य द्वि-भाषा-भाषी अथवा बहुभाषा-भाषी हो। द्विभाषा-भाषी अथवा बहुभाषा-भाषी राज्यों के बारे में मेरा अनुभव यह है कि वहां अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों की समस्या पैदा हो जाती है, झगड़े बढ़ जाते हैं और जैसा कि राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन में बताया गया है, राज्य के प्रति लोगों की श्रद्धा कम हो जाती है। जब इस प्रकार की बात उठाई गई थी कि राष्ट्र के हित के लिये बम्बई में एक द्विभाषा-भाषी राज्य बनाना चाहिए, तो फिर उस राज्य में सारे ही मराठी-भाषी क्यों नहीं सम्मिलित कर दिये गये। मराठी भाषी व्यक्तियों की संख्या अधिक करने में कुछ भी अनुचित बात नहीं थी, और यदि आप यह महसूस करते हैं कि ऐसा करने से दूसरे भाषा-भाषी वर्गों पर असर पड़ेगा, तो उस से यह बात ही सिद्ध होती है कि एक भाषा-भाषी राज्य ही होना चाहिए। द्विभाषा-भाषी राज्य की बात मेरी समझ में नहीं आती।

अब मैं इस समस्या के बारे में कुछ प्रस्थापनायें रखना चाहता हूं। परिस्थितिवश बम्बई की समस्या महाराष्ट्र के लोगों और गुजरातियों के बीच एक झगड़े का कारण बन गई है। मुझे इसका खेद है। बम्बई की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है, अतः इसका विवेचन करते समय मुझ पर किसी दल विशेष के होने का आरोप नहीं लगाना चाहिए। जो कुछ मैं महसूस कर रहा हूं वही कह रहा हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि बम्बई नगर के बारे में जो यह बताया गया है कि वह एक ऐसा नगर है जिसमें विभिन्न भाषा-भाषी रहते हैं, उसका क्या अर्थ है? जहां तक बहुभाषा-भाषी होने का प्रश्न है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि कलकत्ता और हैदराबाद बम्बई से किसी प्रकार भी कम नहीं हैं। बम्बई को एक पृथक् राज्य बनाना खतरा मोल लेना है, क्योंकि कल अगर हैदराबाद भी ऐसी ही मांग करे, तो आप किस आधार पर उसको मना कर सकेंगे? यदि बम्बई महाराष्ट्र की राजधानी बन जाता है, तो उसका यह अर्थ नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार में सारे महाराष्ट्रीय ही रखे जायेंगे। यदि ऐसी कोई संभावना है कि बम्बई में उद्योग और वाणिज्य को क्षति पहुंचेगी, तो उनकी रक्षा के लिये बम्बई नगरपालिका निगम को अन्य निगमों

के मुकाबले में ज्यादा अधिकार दिये जा सकते हैं। पिछली बार प्रधान मंत्री ने बताया था कि बम्बई भारत का नगर है। मैं नहीं समझता कि बम्बई को महाराष्ट्र का नगर स्वीकार करने में और पूरे राष्ट्र का नगर स्वीकार करने में कोई असंगतता पैदा हो जाती है। यदि अहमदाबाद, मद्रास और बंगलौर अपने अपने राज्यों के नगर रहने पर भी भारत के नगर कहे जा सकते हैं, तो फिर बम्बई के साथ ही क्या नई बात है? मैं महाराष्ट्र राज्य के लिय काम करने वालों से यह कहना चाहता हूं कि वे पिछली बातों की ओर ध्यान न दें। अन्ततः, हम सब को मिल कर ही भारत को उन्नति के पथ पर ले जाना है। मैं अपने मित्रों से निवेदन करता हूं कि वे संयुक्त महाराष्ट्र की समस्या को इस रूप में न लें कि इससे महाराष्ट्रियों और गुजरातियों के बीच कोई वैर-भावना पैदा हो। दोनों ही वहां रहेंगे और दोनों को आगे बढ़ना है। यदि दोनों को भाषा के मामले में स्वतंत्रता दे दी जाये, तो मुझे उम्मीद है कि उन में मित्रता स्थापित हो सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन सदस्यों को बुला रहा हूं, जो कि इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन को क्यों स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस के बाद मैं उन सदस्यों को बुलाऊंगा जो कि इस प्रतिवेदन का पूर्णतः, अथवा रूपभेद किये गये रूप में, समर्थन करते हैं। इस तरह से माननीय सदस्य सारी बातों पर विचार कर सकेंगे। इस प्रकार से मैं वाद-विवाद के विनियमन की कोशिश कर रहा हूं। यह नहीं कहा जाना चाहिए कि आखिर को मुख्य प्रतिनिधि बोलने से रह ही गये। मैं चाहता था कि पहले निजलिंगप्पा बोलें और उन के बाद सरदार हुक्म सिंह, क्योंकि बम्बई के बाद पंजाब और पेप्सू महत्वपूर्ण राज्य हैं।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : कांग्रेस साम्यवादी दल, प्रजा समाजवादी दल और हिन्दू महासभा के विचार व्यक्त किये जा चुके हैं। कुछ दल और रह गये हैं, जिनके विचार अभी व्यक्त नहीं हुये हैं।

श्री आर० एस० दीवान (उस्मानाबाद): यह राजनैतिक दलों का प्रश्न नहीं है, बल्कि उन क्षेत्रों के लोगों का है, जिन पर आयोग के इस प्रतिवेदन का असर पड़ता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री त्रिवेदी को बुलाऊंगा और राम राज्य परिषद् के सदस्य होने के नाते मैं श्री नन्दलाल शर्मा को भी बोलने का अवसर दूंगा। मैं प्रत्येक दल के नेता को अवसर दूंगा। वे सम्पूर्ण देश के बारे में अपने विचार व्यक्त करें और अपने राज्य के बारे में भी। श्री निजलिंगप्पा।

श्री निजलिंगप्पा (चितलद्रुग) : मुझे एक उप समिति की सभा में जाना है। आप श्री त्रिवेदी को अवसर दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अनेक स्थानों के माननीय सदस्य बोल चुके हैं। अभी तक गुजरात के कोई माननीय सदस्य नहीं बोले हैं। कर्नाटक एक नया राज्य है। अतः, मैं चाहता था कि श्री निजलिंगप्पा बोलें।

श्री निजलिंगप्पा : मैं तैयार तो हूं, किन्तु मुझे कहीं और जाना है।

उपाध्यक्ष महादय : कुछ माननीय सदस्यों ने मुझ से कहा है कि श्री निजलिंगप्पा को बोलने का अवसर क्यों नहीं दिया जाता। किन्तु जब मैं उन से कह रहा हूं, तो वे अन्य जगह जाना चाहते हैं। एक माननीय सदस्य कर्नाटक के पक्ष में बोले हैं और मैंने सोचा था कि एक भाषण उसके विपक्ष में हो जायेगा।

श्री निजलिंगप्पा : इस में कोई संदेह नहीं कि मैं इस संबंध में प्रयत्नशील रहा हूं कि कर्नाटक राज्य बने। इसका यह अतलब नहीं

[श्री निजलिंगप्पा]

है कि दूसरे राज्यों के बारे में मैं कम चिन्तित हूं। मैं राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन का हृदय से स्वागत करता हूं, यद्यपि मैं ने उस में कुछ रूपभेद कर दिये हैं। मेरे विचार में आयोग के सदस्यों ने प्रशंसनीय काम किया है। जो काम उन को सौंपा गया था, वह कठिन ही नहीं था, अपितु नाजुक भी था। इस काम के लिये हम उन के आभारी हैं और इसके लिये उन के नाम इतिहास में अमर रहेंगे। ऐसा कहते समय मैं विशेष रूप से एक सिफारिश का उल्लेख करता हूं, जो कि उन्होंने की है, और वह यह है कि राजप्रमुख का पद पूर्णतः समाप्त कर दिया जाये। उन का यह निर्णय युगयुगान्तर इतिहास में अमर रहेगा। लाखों वर्षों से हम सरकार को शासकों के रूप में ही देखने के आदी रहे हैं।

ना विष्णु पृथिवी पति, राजा प्रत्यक्ष देवता। चाहे इतिहास कुछ भी रहा हो, कम-से-कम हम तो राजतंत्र नहीं चाहते। 'ख', 'ग' और 'घ' राज्यों के संसद्-सदस्यों के सम्मेलन के सभापति के नाते मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारी समस्त सिफारिशें आयोग द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। हमारी पहली मांग 'क' 'ख' तथा 'ग' श्रेणी के राज्यों की असमानता समाप्त करने की थी। वह पूरी कर दी गई है। हमारी दूसरी मांग राजप्रमुखों को समाप्त करने की थी। वह भी मान ली गई है। इस संबंध में हमें सरदार पटेल को श्रेय देना होगा क्योंकि उन्हीं की कार्यकुशलता के फल-स्वरूप आज हमारे देश से राजाशाही मिट सकी है। मैं स्वयं राजाओं को भी इसका श्रेय दिए बिना नहीं रह सकता कि जब उनसे अपने अधिकारों का त्याग करने को कहा गया तो उनमें से बहुतों ने स्वेच्छा से वैसा करना स्वीकार कर लिया। सिफारिशों के किये जाने के बाद भी कोई आन्दोलन राजाओं के बने रहने के लिए देश में नहीं हुआ है। यही नहीं, कुछ राजा लोग स्वयं इस सिफारिश का स्वागत करते हैं क्योंकि वे राजतंत्र प्रणाली में स्वयं रहना भी नहीं चाहते। इसलिए वे राजा भी हमारी कृतज्ञता के भागी हैं। उन्होंने बहुत से बलिदान किए हैं परन्तु देश की अर्थ-व्यवस्था के निर्माण हेतु उन से अधिक बलिदानों की अपेक्षा है। उनकी आलोचना करने से इस समस्या का कोई हल नहीं होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि हम संकीर्णता से विचार न करें। स्वामी जी मेरे बीस वर्ष के साथी हैं और मैं उनकी उस अपील के साथ हूं जो उन्होंने उन लोगों से की है जो छोटे छोटे राज्यों के सम्बन्ध में सोचते हैं। यही समय ठीक है जब कि हमें इस समस्या को हल कर लेना चाहिए। मैं नहीं समझता कि हम विदर्भ या तेलंगाना का भार उठा सकते हैं। विशाल आन्ध्र का निर्माण यथाशीघ्र होना चाहिए। मैं अपने हैदराबादी मित्रों से अपील करूंगा कि वे इसकी प्राप्ति में बाधायें न डालें। बल्कि उन्हें तो आन्ध्र जनता की इस चिराकांक्षा की पूर्ति में सहायता करनी चाहिए। यही अपील मैं अपने विदर्भ के मित्रों से भी करूंगा।

जब हम विदर्भ की बात करते हैं तो उसका तात्पर्य बम्बई के संयुक्त राज्य से है। चाहे इसके विरुद्ध कुछ भी कहा जाय मेरी तो राय यह है कि अब महागुजरात राज्य और महाराष्ट्र राज्य के निर्माण का समय भी आ गया है। मैं समझता हूं कि इसका भी हल होना चाहिए। इस संबंध में बम्बई नगर का प्रश्न उपस्थित होता है जो अत्यन्त जटिल है। इस प्रश्न पर कुछ भी कहना बहुत कठिन है। श्री एस० के० पाटिल और स्वामी रामानन्द तीर्थ के वक्तव्यों को सुनने के पश्चात् कोई अन्तिम निर्णय करना कठिन हो जाता है। हमें पूर्ण तथ्यों की जानकारी नहीं है। फिर भी किसी न किसी प्रकार का समझौता निकाला जा सकता है। मैं एक गुजरात और एक

[श्रीमति सुषमा सेन पीठासीन हुई]

महाराष्ट्र के पक्ष में हूं। बम्बई का प्रश्न हल किया जा सकता है। भौगोलिक दृष्टि से वह महाराष्ट्र में आता है। गुजराती व्यापारी वर्ग समझता है कि उनके हितों को क्षति पहुंचेगी। मेरी समझ में ऐसा भय व्यर्थ है। परन्तु मैं कोई निश्चित मत पक्ष या विपक्ष में व्यक्त करने में असमर्थ हूं क्योंकि अभी हम चित्र के एक ही पहलू का दर्शन कर सके हैं। इसलिए मैं इस सभा के सदस्यों, सरकार तथा अपने नेताओं से अपील करूंगा कि इस विषय पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है।

बनने वाले राज्यों के संबंध में इतना कहने के पश्चात् यद्यपि मेरा यह मत है कि सामान्यतः एक भाषा का एक राज्य होना चाहिये, हमें यह भी देखना है कि क्या एक भाषा का कोई राज्य बहुत बड़ा तो नहीं हो जाता। मैंने उत्तर प्रदेश के संबंध में डाक्टर पणिक्कर की विमति-टिप्पण पढ़ा है। नया बनने वाला मध्यप्रदेश राज्य तो मेरी समझ से ठीक हो सकता है परन्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश के आकार के संबंध में मुझे शंका है कि वह देश के हित में नहीं है। हमारी वर्तमान व्यवस्था कुछ भी हो परन्तु उसके कारण भविष्य को खराब नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं कहूंगा कि हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों का उचित समायोजन आवश्यक है। इस मामले का हल किया जाना चाहिए।

कर्नाटक के संबंध में, कन्नड़ भाषी होने के नाते, मुझे बड़ी खुशी है कि ४०० वर्ष पश्चात् एक राज्य ऐसा बनेगा जिसमें अधिकांश जनता कन्नड़ भाषी रहेगी। मेरे इस कथन का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि मैं संकीर्ण विचारधारा के कारण ऐसा कह रहा हूं। हम भी उतने ही देशभक्त ह जितने अन्य लोग जो भाषावार प्रान्तों के निर्माण के विरुद्ध हैं। परन्तु हमारा विचार है कि भाषावार प्रान्तों का निर्माण देश में अधिक एकता ला सकता है।

जहां तक कर्नाटक का संबंध है उस का इतिहास अत्यन्त उज्ज्वल रहा है। कर्नाटक कला, वास्तुकला एवं संगीत सुप्रसिद्ध हैं। ग्यारहवीं शताब्दी में हमारा बड़ा साम्राज्य था। उस इतिहास का हम सब गर्व कर सकते हैं। मुझे आन्ध्र लोगों की सफलताओं का भी गर्व है। परन्तु वह सब विगत इतिहास है। गत १५० वर्षों में जो कुछ हुआ है वह हमारे लिए बहुत दुःखद है। हम पर अनेक शासकों ने राज्य किया और हमारी बहुत हानि हुई। टीपू सुलतान ने अपना राज्य खूब बढ़ाया। जब उसका पतन हुआ तो उसके राज्य को अंग्रेजों ने कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया। उसके बाद भी हमारा शासन बदलता रहा। परिणामस्वरूप १९४८ में हम २२ शासनों में विभाजित थे। भाग्यवश राज्यों के राजाओं ने बम्बई में सम्मिलित होना स्वीकार किया। अब भी हम ५ शासनों में बंटे हुए हैं। मैसूर को छोड़कर अन्य हर जगह हमारा अल्पमत है—बम्बई, हैदराबाद तथा मद्रास। कुर्ग का राज्य अवश्य है परन्तु वह अत्यन्त छोटा है। इसलिए हर जगह हमारा नुकसान हो रहा है। मैं किसी भी सरकार के विरुद्ध कोई बात नहीं कहना चाहता। परन्तु प्रजातन्त्र में लोकमत का महत्व होता है। इसलिए राजनैतिक खींचातानी का भी महत्व होता है। इसी कारण मैसूर के अतिरिक्त हर जगह हम अपने प्राकृतिक साधनों के बावजूद भी नुकसान में रहे हैं। आज भी कर्नाटक में कोई बड़ी मिल नहीं है यद्यपि बम्बई की मिलों में ३५ से ४० प्रतिशत तक रुई वहीं से जाती है। आज यह स्थिति है। प्रजातन्त्र में अल्पमतों का अहित होता ही है, इसलिए मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता चूंकि प्रजातन्त्र में अल्पमतों की हानि होती है इसलिए हमारी यह मांग रही है कि हमारा पृथक् प्रान्त बनाया जाय।

इस मांग का श्रीगणेश मैसूर में हुआ। आन्ध्र लोगों की मांग १९१३ की है परन्तु हम ने अपनी मांग १९१५ में रखी। तब से कर्नाटक राज्य के निर्माण के लिए निरन्तर

[श्री निजींलगप्पा]

आन्दोलन चलता रहा । कुछ लोगों को यह शंका है कि मैसूर इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है। परन्तु सही बात यह है कि मैसूर इस के पक्ष में है । जो कोई भी आपत्ति उठाई गई है वह गत दो एक वर्षों की ही है । उसके पूर्व मैसूर और कर्नाटक दोनों इस राज्य के लिए मांग कर रहे थे । मैसूर कांग्रेस, जिसका कि मैं कुछ समय तक सभापति रहा हूं, इस आदर्श के पक्ष में रही है ।

वास्तव में १९४८ में मैसूर में उत्तरदायी सरकार के आविर्भाव के पश्चात् मैसूर के मित्रों ने यह मांग करना प्रारंभ किया कि केवल प्रशासकीय प्रयोजन के हित कर्नाटक के लिए प्रदेश कांग्रेस समिति अलग कर दी जाय । उस समय बाहर से भी कुछ आपत्ति उठाई गई । तब हमने बीरूर में एक संकल्प पारित किया जिसका सारांश यह था कि मैसूर कांग्रेस समिति संयुक्त कर्नाटक के निर्माण के पक्ष में है ।

फिर, सुभाषनगर में उत्पादन मंत्री श्री के० सी० रेड्डी के सभापतित्व में मैसूर कांग्रेस ने यह संकल्प पारित किया, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि वह विभिन्न राज्यों में विभाजित कर्नाटक का शीघ्र निर्माण करने के पक्ष में है। इस विषय पर हम अनेक संकल्प पास कर चुके हैं । परन्तु समय कम होने के कारण मैं उनका उल्लेख यहां नहीं करूंगा । फिर भी मैं इतना कहूंगा कि १९४९ में मैसूर कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने यह निर्णय किया कि मैसूर को मिलाकर कर्नाटक राज्य का निर्माण आवश्यक है ।

मुझे सभा को यह सूचित करते हुए भी हर्ष होता है कि ११ नवम्बर, १९४९ को मैसूर के मंत्रिमंडल ने भी इस निर्णय का अनुमोदन किया था तथा यह निर्णय किया था कि राजप्रमुख को उसका संवैधानिक अध्यक्ष होना चाहिए । इसके अतिरिक्त मैसूर की जनता भी कर्नाटक राज्य की मांग करती आई है ।

अभी हाल में कुछ समय से यह आवाज़ उठी है कि मैसूर अलग रहना चाहता है । वह आवाज़ मैसूर की समस्त जनता की नहीं है वरन् उसके एक छोटे से भाग की । मैं सभा से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार प्रकृति शून्य से घृणा करती है, उसी प्रकार मानव प्रकृति भी परिवर्तन से घृणा करती है । वह केवल दबाव से अथवा विश्वास से किया जा सकता है। मैं अपने मैसूर के मित्रों से अपील करूंगा। वे मेरे साथी रहे हैं और इसी समय उनसे मतभेद हुआ है । जनता से अपील करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं जानता हूं कि वह इस प्रस्ताव से सर्वथा सहमत है । इसलिए मैं अपने मैसूर के मित्रों से अपील करूंगा कि ऐसे समय में, जब कि समस्त देश का इतिहास बनने जा रहा है, वे अड़ंगा न खड़ा करें ।

मैं सभा से एक निवेदन और करूंगा । जैसा कि मैं ने पहले कहा कि कन्नड़-भाषी क्षेत्रों के विभिन्न टुकड़ों में विभाजित किये जाने के कारण उन पर अन्य भाषाओं का प्रभाव पड़ा । उत्तर में महाराष्ट्र के लोगों का बहुत प्रभाव पड़ा । आज भी मैंने बेलगांव के आगे दक्षिण शोलापुर, कोल्हापूर और सांगली में बहुत से स्थान देखे हैं जहां की जनता अपनी मातृभाषा कन्नड़ में लिखना पढ़ना नहीं जानती यद्यपि उसे बोल उतनी ही अच्छी तरह लेती है जैसे मैं स्वयं बोलता हूं । यही कारण है कि वह अभी भी कर्नाटक में आना चाहती है ।

पूर्व और उत्तर-पूर्व की ओर आने पर हम देखते हैं कि आन्ध्र वासियों का भी ऐसा ही प्रभाव पड़ा और वे हमारे क्षेत्रों में घुस रहे हैं।

दक्षिण की ओर जाने पर हमें तामिल लोगों से सामना करना होता है। परन्तु उन्होंने अधिक अतिक्रमण नहीं किया है। मुझे खुशी है कि केरल भाषियों ने हमारे साथ कुछ नहीं किया है सिवाय इस के कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने यह सिफारिश की है कि कासरगोद ताल्लुका उनको दे दिया जाय।

इसलिए दूसरे लोगों के इन प्रभावों के कारण कन्नड़-भाषी जनता अभी तक नुकसान उठाती रही। यही कारण है कि जब हम विभिन्न क्षेत्रों के लिए दावा करते हैं तो लोग आश्चर्य करते हैं। वे सोचते हैं कि हम सब के भागों को हड़पना चाहते हैं। परन्तु वे भूल जाते हैं कि इतिहास इसका प्रमाण है कि उल्टे हम को ही सब ने हड़पा है।

मैं कुछ क्षेत्रों का उल्लेख करूंगा जिनके संबंध में बहुत झगड़ा है। मैं पहले कोलार को लूंगा और फिर बल्लारी को। आन्ध्र के लोगों ने पहले दोनों को लेना चाहा फिर एक एक को। परन्तु वे अपने प्रयत्न में असफल रहे। ठीक है कि कोलार क्षेत्र में बहुमत तेलगू-भाषी जनता का है। परन्तु इस से भी बड़ा सत्य यह है कि कोलार की जनता ने कभी भी कर्नाटक से अन्यत्र जाने की इच्छा प्रकट नहीं की। यदि माननीय सदस्य इसका प्रमाण चाहते हैं तो वह यह है कि गत २॥ महीनों में कोलार ज़िले से किसी भी खास आदमी ने यह नहीं कहा है कि वे मैसूर से बाहर जाना चाहते हैं। न किसी ने आन्ध्र में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट की है; चाहे वह तेलगू-भाषी हो या अन्य कोई। इसका कारण हमारा पुराना सम्बन्ध है। एक तथ्य यह भी है कि वे कन्नड़ भी समझते हैं। यदि ऐसी कोई मांग की गई होती कि वे अन्यत्र जाना चाहते हैं तो मैं उसको अवश्य ही स्वीकार कर लेता। यह ठीक ही कहा जाता है कि भाषा एक मात्र मापदण्ड नहीं है। कोलार में मैसूर सरकार ने सोने की खानों का विकास किया है। यह सब प्रतिवेदन में दिया हुआ है; इसलिए मैं विस्तार में कुछ नहीं कहूंगा। कोलार क्षेत्र के सदस्य ही उसका विस्तृत ब्योरा देंगे।

जहां तक बेल्लारी का संबंध है, यह समस्त भारत में सबसे अधिक अभागा ज़िला है। १९२१ से अभी तक अनेकों बार जांचें हुई, अनेकों निर्णय हुए जो कि सभी आज तक हमारे पक्ष में रहे। १९२१ में श्री एन० सी० केलकर ने निर्णय किया कि १० ताल्लुकों में से ७ कन्नड़ के हैं और ३ ताल्लुके——अलूर, आदोनी और रायद्रुग——अस्थायी तौर से आन्ध्र में जाने चाहिएं। उन्होंने कहा कि अगली जनगणना इस बात का निर्णय करेगी कि उन ताल्लुकों को कहां जाना चाहिए। यदि हम ने इसका तभी निर्णय किया होता तो वे कर्नाटक में गए होते। जब बाद की जनगणना का समय (१९३०) आया तो सब लोग राष्ट्रीय आन्दोलन में लगे थे और किसी ने इन छोटी बातों पर विचार नहीं किया। इन ३ ताल्लुकों को छोड़कर शेष ७ मैसूर में जोड़ दिए गए। १ अक्तूबर, १९५३ समस्त मैसूर में खुशी का दिन था क्योंकि वे समझते थे कि उनके अपने साथी उनके पास वापस आ रहे हैं। उसके पूर्व एक प्रकार का आन्दोलन था। मैं लोगों के नाम बताये बिना एक महत्वपूर्ण तथ्य का उल्लेख करूंगा। आन्ध्र बनने से पहले, मार्च १९५३ में, आन्ध्र के चोटी के कुछ नेता मेरे पास आये थे। उनका कहना था कि झगड़े वाले तीन ताल्लुकों के बारे में हम यह समझौता कर सकते हैं कि आपके प्रदेश के ३ निकटवर्ती इलाक़े आप को मिल जायें जिनमें ५० प्रतिशत से अधिक कन्नड़ भाषा-भाषी लोग हों, और हमारे प्रदेश के वे निकटवर्ती इलाक़े हमारे पास आ जायें जिन में ५० प्रतिशत से अधिक तेलगू भाषा-भाषी लोग रहते हों; बाक़ी इलाक़ों के बारे में, हम

[श्री निजलिंगप्पा]

अक्तूबर १९५३ तक भी तय कर सकते हैं। इसी के बाद, मैं ने प्रधान मंत्री को इस आशय का एक पत्र लिखा था कि सातों ताल्लुके आन्ध्र में नहीं मिलाये जा सकते, क्योंकि आन्ध्र के नेता लोग भी अब उस पर ज़ोर नहीं दे रहे हैं और वे इसके लिये तैयार हैं कि १९३१ की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भाषा के हिसाब से ताल्लुक़े आन्ध्र या कर्नाटक में मिलाये जा सकते हैं; और मेरा विचार है कि इस प्रश्न को एक अधिकारी या आयोग सीमा-रेखा खींच कर आसानी से निबटा सकता है। इन तीनों ताल्लुक़ों के बारे में स्थिति यही है। इसके बाद न्यायाधिपति मिश्र ने भी इस प्रश्न के सभी पक्षों की जांच कर के यही कहा था कि आन्ध्र ने न तो १९२१ में, न विभाजन समिति में, न आन्ध्र विश्वविद्यालय विधेयक की स्वीकृति के समय और न वांचू द्वारा की जाने वाली जांच-पड़ताल के समय इन सात ताल्लुक़ों को अपने में मिला देने की मांग की थी। इसीलिये, आन्ध्र की अब उठाई जाने वाली यह मांग कुछ आश्चर्य में डाल देने वाली है। तुंगभद्रा नदी के बांध के कारण ही इन ताल्लुकों को आन्ध्र में मिला देने की मांग का कोई औचित्य नहीं दिखाई देता; और भाषा के आधार पर तो उन का कोई तर्क बनता ही नहीं।

और, तुंगभद्रा बांध एक ओर तो रायचूर ताल्लुक़े के ५,८०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई करता है और दूसरी ओर ३ लाख से कुछ ऊपर एकड़ भूमि की सिंचाई करता है। इन तीन लाख में से आधा क्षेत्र बेल्लारी में पड़ता है और लगभग आधा आन्ध्र में। इस तरह, यदि इन तीन विवादास्पद ताल्लुक़ों का ठीक से विभाजन किया जाये तो संभवतः २० प्रतिशत ही आन्ध्र में मिलेगा और बाक़ी कर्नाटक में। यह स्थिति है निम्न स्तरीय नहर-सिंचाई के सम्बन्ध में। उच्च स्तरीय नहर-सिंचाई के क्षेत्र में शायद यह स्थिति आधे-आधे पर होगी। भावी कर्नाटक राज्य में इस सिंचाई का लगभग ६५ प्रतिशत क्षेत्र शामिल होगा, इसलिये बांध को कर्नाटक में ही जाना चाहिये, ३० प्रतिशत अपने सिंचाई-क्षेत्र वाले आन्ध्र में नहीं। यों तो इस से हैदराबाद राज्य को ६ लाख एकड़ भूमि की भी सिंचाई होती है, तो वह भी बाद में इसी तरह मांग उठा सकता है। बेल्लारी के बारे में स्थिति यही है।

मेरे मलयाली मित्रों को कासरगोद ताल्लुक़े से दिलचस्पी है। केरल एक अभागा राज्य है। वहां की आबादी भारत में सब से घनी है, और उस पर भी बढ़ती ही जा रही है, उन्हें अधिक प्रदेश की बड़ी आवश्यकता है और इसलिये उन्हें कासरगोद ताल्लुक़े में से, पयस्विनी नदी के दक्षिण का क्षेत्र दिया जा सकता है, जो पूरे राज्य का ६० प्रतिशत होगा। उससे एक प्राकृतिक सीमा भी बन जायेगी। इसे उन्हें मान लेना चाहिये और मैं प्रयास करूंगा कि कर्नाटक बनने के पांच वर्षों के अन्दर अन्दर २,००० मलयाली परिवार कर्नाटक में बसा लिये जायें।

और उत्तर के बारे में, मैं अपने तामिल मित्रों से अनुरोध करूंगा कि वे नीलगिरि और कोल्लेगल के बीच के १,५०० फीट क्षेत्र के तलवाड़ी फ़िरका को छोड़ दें। उसके ९०–९९ प्रतिशत लोग कन्नड़ हैं, वही उनकी संस्कृति है और हर प्रकार से वे मैसूर राज्य पर ही निर्भर करते हैं।

इस के बाद, प्रश्न उठता है नीलगिरि प्रदेश का। मैं तो गुडलूर ताल्लुक़े को केरल में दे देना चाहूंगा, पर पता नहीं मेरे तामिल मित्र उसके बारे में क्या सोचते हैं। इस पर उनके साथ वार्ता की जा सकती है। मैं यह इसीलिये कह रहा हूं कि बडगा नामक गांवों के लोग कन्नड़ हैं। उस प्रदेश के आदिवासी टोडा लोगों ने भी हम से आकर कहा कि उन को भुला दिया गया है और उनकी मांगें उठाई जानी चाहियें।

फिर, उत्तर के कुछ क्षेत्रों, उदाहरणतः बेलगांव जिला, के बारे में हमारा महाराष्ट्रीय लोगों से विवाद चल रहा है। मेरे मित्र कारवार ज़िले की भी मांग करते हैं। इस सम्बन्ध में, मैं आयोग का कृतज्ञ हूं कि उस ने मलनाड को उचित ही महत्व दिया है और उसके विकास पर पूरा जोर दिया है। मलनाड ८० प्रतिशत कर्नाटक है। यह अत्यन्त ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, पर इसकी प्राकृतिक सम्पदा भारत के किसी भी क्षेत्र से अधिक है। कारवार का बन्दरगाह कर्नाटक में आना चाहिये। महाराष्ट्रीय लोग भले ही कहें कि कोंकणी भाषा मराठी के परिवार की है, पर कोंकणी लोग स्वयं कहते हैं कि वह मराठी भाषा की बोली नहीं, और सन् १९४१ की जन-गणना में इसे स्वतंत्र भाषा माना भी गया था। इस क्षेत्र में बसने वाले अधिकतर लोग कोंकण हैं। इसलिये, इन क्षेत्रों के विभाजन की सीमा-रेखा खींचना सम्भव है। हैदराबाद के बीदर ज़िले में भी कुछ कन्नड़ क्षेत्र हैं। प्रसन्नता की बात है कि हैदराबाद की प्रदेश कांग्रेस समिति और राज्य-सरकार दोनों ही इन क्षेत्रों को सम्बन्धित राज्यों को दे देने के पक्ष में सोच रही हैं। यह मेरा व्यक्तिगत विचार है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमें दिये जाने वाले रायचूर और गुलबर्गा ज़िलों के क्षेत्र मुख्य रूप में तेलगू-भाषी हैं, और हम उन्हें अपने यहां नहीं रखना चाहते। जनता भी इस पर सहमत हो जायेगी। क्या यह सम्भव नहीं है कि सीमा पर स्थित होने के कारण छोटे-मोटे भाषावार क्षेत्रों को अलग कर दिया जाये? हां, यह वहां असम्भव होगा जहां कि दोनों ही भाषायें समझी जाती हैं। इसलिये, इन के विभाजन की एक रेखा खींचना आवश्यक है। ऐसा करने में, प्रशासकीय सुविधा पर भी विचार करना चाहिये।

फिर, कुछ क्षेत्र हैं जैसे बेलगांव शहर और नेपानी नगर। यदि उन्हें अपनी वर्तमान व्यवस्था से उखाड़ा जाता है तो उन्होंने तो आजकी सुविधायें मिल सकेंगी और न विकास की सम्भावनायें। नेपानी भाषावार राज्यों की सीमा पर स्थित है, और वहां वस्तु-विक्रय के लिए बाज़ार भी मौजूद है। तब, उससे क्या लाभ होगा?

श्री बोगावत (अहमदनगर–दक्षिण): तब, उस क्षेत्र के लोग आन्दोलन क्यों कर रहे हैं?

श्री निजलिंगप्पा: दोनों ओर से कड़ा आन्दोलन चल रहा है। मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि वह इन मामलों पर और उससे निकलने वाले परिणामों पर विचार करे। उन्हें वर्तमान व्यवस्था से अलग करने पर सभी कुछ गड़बड़ा जायेगा। इसलिये, उन्हें इसी तरह रखना चाहिये। इनके लिये भिन्न नियम बनाये जाने चाहियें। किसी भी औद्योगिक या व्यावसायिक नगर को भाषावार इकाई नहीं माना जाना चाहिये।

उदाहरण के लिये, बंगलौर को लीजिये। वह कर्नाटक की राजधानी बनने जा रहा है। वहां के अधिकांश बसने वाले लोग तामिल हैं। तब, क्या बंगलौर से तामिलनाद तक एक ऐसे गलियारे की मांग की जानी चाहिये जिस पर तामिल लोगों का अधिकार रहे? यह उचित मांग नहीं। मद्रास के मुख्य मंत्री ने यह घोषणा उचित ही की है कि वे बंगलौर के बारे में कोई भी मांग नहीं करेंगे और वहां के बसने वाले तामिल लोग कर्नाटक राज्य के ही जन होंगे। सभी सदस्यों को यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिये और अपने वयोवृद्धों पर पूरा विश्वास रखना चाहिये।

मेरे मित्र ने कोंकणी भाषा के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया है। अध्येता लोग उसका उद्गम मराठी को नहीं, प्राकृत को ही मानते हैं। बम्बई राज्य की १९३१ की जन-गणना सम्बन्धी प्रतिवेदन का यही मत है।

इसके बाद, होसुर और मादकसिरा के दो छोटे-छोटे क्षेत्रों का प्रश्न उठता है होसुर

[श्री निजलिंगप्पा]

बंगलौर से २५ मील की दूरी पर है । वहां तेलगू-भाषी सब से अधिक तो हैं, पर मैसूर और बंगलौर से अविभाज्य रूप में जुड़े होने के कारण वे कर्नाटक से बाहर नहीं निकलना चाहते । आन्ध्र से वह भौगोलिक रूप में भी सम्बन्धित नहीं है । वह मद्रास और मैसूर से सम्बन्धित है, लेकिन प्रशासकीय सुविधा के विचार से उसे कर्नाटक में ही रखना चाहिये, क्योंकि वह मैसूर से लगा हुआ है । इसलिये, इसे कर्नाटक में ही रहना चाहिये ।

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन ने मादकसिरा ताल्लुक़े को निश्चित तौर पर मैसूर राज्य की ही एक समावृत बस्ती माना है । उसे मैसूर को दे देना ठीक है । पर, आयोग का कहना है कि वे अनन्तपुर ज़िले को बिलकुल नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि उससे रायलासीमा का मामला अव्यवस्थित हो जायेगा । लेकिन जब विशाल आन्ध्र में बेल्लारी का क्षेत्र मिला दिया जाता है, तब रायलासीमा में बचता ही क्या है ? तब, कैसे कहा जा सकता है कि रायलासीमा को छूना भी नहीं है ? इसी तरह अनन्तपुर ज़िले से एक छोटा सा क्षेत्र अलग कर लेने से आन्ध्र की अर्थ-व्यवस्था या भौगोलिक स्थिति गड़बड़ा नहीं जायेगी; खास तौर पर जब वहां के अधिकांश लोग कन्नड़ हैं और कर्नाटक में ही रहना चाहते हैं ।

अकलकोट ताल्लुक़ा कभी भी शोलापुर ज़िले का भाग नहीं रहा है । पर, अब अधिक विवरण में जाने लायक समय नहीं बचा है ।

हम एक महान् राज्य बनाने जा रहे हैं । इतिहास में इस प्रकार कभी भी भारत एक ही शासन के अन्तर्गत नहीं रहा था, कभी भी उसका ही एक नागरिक देश का राष्ट्रपति नहीं बना था । पिछली कई सौ शताब्दियों की सब से बड़ी सफलता हमारी इस जनतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना ही है । हम स्वतंत्र हो चुके हैं । हम एक समाजवादी ढंग की व्यवस्था करने जा रहे हैं । हमें इन सभी राज्यों का पुनर्गठन इस प्रकार करना चाहिये कि उससे आपस में कटुता न बढ़े । हमें हर राज्य को समूचे देश के एक अंग की भांति बनाना चाहिये, जिससे कि समूचा देश विकसित हो कर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ऊंचा स्थान प्राप्त कर सके ।

श्री बहादुर सिंह (फीरोजपुर-लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं उत्तरी भारत के सम्बन्ध में ही बोलूंगा । वहां के लोगों ने पंजाबी-भाषी प्रांत या विशाल हिमाचल प्रांत और हरियाना या विशाल दिल्ली की मांग की थी । देश को भाषा, संस्कृति, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं आदि के आधार पर बने हुए राज्यों में बांटने की जनता की मांग पर ही राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी । उसने कुछ सिफ़ारिशें की हैं, जो कहीं सही हैं और कहीं ग़लत भी । आन्ध्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र के सम्बन्ध में की गई आयोग की ग़लत सिफ़ारिशों को ठीक करने का दायित्व हाई कमाण्ड ने अपने कंधों पर ले लिया है । उत्तरी भारत के सम्बन्ध में आयोग की सिफ़ारिशें बिलकुल ही ग़लत और विरोधाभासों से भरी हुई हैं । जनता ने पंजाबी-भाषियों के अलग राज्य, हरियाना या विशाल दिल्ली की मांग उठाई थी पर आयोग ने सिफ़ारिश की है महापंजाब की, जिसमें पंजाब, पेप्सू और हिमाचल प्रदेश शामिल होंगे । हां, सभापति ने ऐसी टिप्पणी अवश्य लिखी है कि कुछ समय के लिये हिमाचल प्रदेश को अलग रखा जाये । प्रतिवेदन के पृष्ठ २५, पैरा ९३ पर राज्यों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में कुछ सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है । वे सिद्धान्त ये हैं : भारत की एकता और सुरक्षा की दृढ़ता; सांस्कृतिक और भाषावार एकता; वित्तीय, आर्थिक और प्रशासकीय सुविधायें; और अन्त में राष्ट्रीय योजना का सफलतापूर्वक

संचालन । पर, उत्तरी भारत के मामले में इन सभी को तिलांजलि दे दी गई है । महापंजाब बनाने की सिफ़ारिश देश की सुरक्षा के हित में नहीं हो सकती, क्योंकि सुरक्षा जनता की एकता और शान्ति तथा सुख पर ही आधारित की जा सकती है । हिमाचल प्रदेश, हरियाना और पंजाब का बहुमत महापंजाब बनाने के पक्ष में नहीं है । अनिच्छुक सहयोगियों में एकता किस प्रकार होगी ? इन विभिन्न राज्यों के लोग सांस्कृतिक और भाषावार इकाइयों के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग कर रहे थे । हरियाना की जनता की एक अपनी विशिष्ट संस्कृति है ।

हरियाना में बोली जाने वाली भाषा को पंजाब के अधिकांश लोग नहीं समझ सकते, इस से सिद्ध होता है कि उनकी अपनी एक विशिष्ठ संस्कृति और भाषा है । सच्चर सूत्र के अनुसार पंजाब को वहां बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर विभाजित किया गया है । पता नहीं, आयोग ने पूरे पंजाब को एक ही सांस्कृतिक और भाषावार इकाई क्यों मान लिया है । आयोग ने अन्य सिद्धान्तों को भी भुला दिया है ।

हिमाचल प्रदेश और हरियाना दोनों पिछड़े हुए प्रदेश हैं । अंग्रेजों ने दण्डस्वरूप ही इन द्रोही क्षेत्रों को पंजाब में जोड़ दिया था, जहां ये अल्पसंख्यक बन गये थे । जलन्धर डिवीजन के लोग व्यापारिक रूप से हरियाना का शोषण करते रहे हैं । ये सहायता के लिये केन्द्र पर आश्रित हैं । पंजाब भी केन्द्र पर आश्रित है । फिर, इन दोनों पिछड़े प्रदेशों को पंजाब में मिला देने से इनके विकास का क्या होगा ? पंजाब अपनी उस प्राप्त सहायता को अन्य क्षेत्रों पर भी तो खर्च कर सकता है । इसलिये, इन को अलग-अलग ही रखना चाहिये । महापंजाब बनाने का प्रस्ताव बिलकुल उलझन से भरा हुआ है, उस में व्यापारी वर्ग—बनिया वर्ग—के प्रचार को ही महत्व दिया गया है ।

आयोग ने अपने पैरा ५१८, ५२४, ५२६, ५२७, आदि में पंजाबी भाषा के सम्बन्ध में एक नया विवाद शुरू किया है । पंजाबी भाषा को केन्द्र की ओर से मान्यता मिली हुई है, और वह भाषा है या बोली—इस पर बहस करना ही व्यर्थ था । सच्चर सूत्र के अनुसार, उसे पंजाब सरकार की भी मान्यता प्राप्त है । १९३२ में, पंजाब विश्वविद्यालय ने एक समिति बनाई थी, जिसने कहा था कि पंजाबी भाषा शायद इंडो-आर्य वंश की सब से पुरानी भाषा है । संविधान ने भी उसे १४ प्रादेशिक भाषाओं में रखा है । आयोग के पास इस बात पर चर्चा कराने का कोई कारण नहीं था कि पंजाबी हिन्दी की ही एक बोली है । आयोग कभी तो सच्चर सूत्र को मानता है, और कभी उसे उलट देता है । सच्चर सूत्र ने इसे एक भाषा माना है । उसके पैरा ५१८ में कहा गया है कि भारी संख्या में हिन्दुओं ने पंजाबी भाषा को अपनी मातृभाषा मानने से इनकार कर दिया और इसके परिणामस्वरूप पंजाबी और हिन्दीभाषियों की अलग-अलग जन-गणना करने की पद्धति त्याग देनी पड़ी । १९५१ की जन-गणना में यही हुआ; पर १९४१की जन-गणना में क्या हुआ था ? उस समय पंजाबी-भाषी प्रान्त की कोई मांग ही नहीं थी । जलन्धर डिवीजन के कुछ लोग हिन्दी को ही अपनी मातृभाषा बताते थे, हालांकि वे अपने घरों में पंजाबी ही बोलते थे। आयोग ने इसे माना है कि धार्मिक भावना से ही वे हिन्दी को अपनी मातृभाषा बताते हैं। १९४१ में, जन गणना आयुक्त, श्री ईट्स ने भी इसी ओर इशारा किया था । इसीलिये, निर्वाचन आयोग ने सिफ़ारिश की थी कि जन-गणना के भाषा सम्बन्धी आंकड़ों का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता । १९५१ में भी मामला यही था । आयोग ने हिन्दी और पंजाबी को एक ही भाषा मान कर कहा है कि पंजाब में भाषा की कोई समस्या ही नहीं । सभी हिन्दी समझते हैं । यह सही नहीं है । विश्वविद्यालयों के हिन्दी के माध्यम की शिक्षा-प्राप्त लोग ही हिन्दी समझते हैं, आम जनता हिन्दी नहीं

[श्री बहादुर सिंह]

समझती । श्री ग्रियरसन ने भी खण्डबद्ध पुस्तक के पृष्ठ ६१७ पर पंजाबी को एक स्वतंत्र भाषा की पदवी दी है ।

पैरा ५२४ में, आयोग ने कहा है कि हिन्दू लोग अपने घरों में पंजाबी बोलते हैं, पर उन की धार्मिक पुस्तकें हिन्दी में होने के कारण, वे हिन्दी को ही अपनी मातृभाषा मानते हैं । वे कहते हैं कि इस का कारण साम्प्रदायिक है, हम कहते हैं कि अकाली पार्टी द्वारा ऐसी मांग उठाये जाने के कारण ही वे पंजाबी को मातृभाषा नहीं बताते ।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) : इसे सभी लोगों की मांग बनाइये, केवल अकाली दल की नहीं ।

श्री बहादुर सिंह : चूंकि यह मांग अकाली दल द्वारा रखी गयी है इसीलिए इसे साम्प्रदायिक कहा जाता है । परन्तु जो लोग कहते हैं कि अकालियों के सभी धार्मिक कृत्य हिन्दी म होते हैं पर वे पंजाबी भाषा बोलते हैं अतः वे पंजाबी को एक भाषा मानने को तैयार नहीं, उन के दृष्टिकोण को साम्प्रदायिक नहीं समझा जाता ।

प्रतिवेदन के पैरा ५२६ और ५२७ में आयोग न कहा है कि पंजाब में भाषा की समस्या नहीं है बल्कि लिपि की है । क्या हिन्दी के हिमायती देवनागरी या हिन्दी लिपि के स्थान में रोमन या दक्षिण भारत को लिपि स्वीकार करने को तैयार हैं । अतः यह उन लोगों की हठधर्मी है जो पंजाबी भाषा बोलते हैं पर यह नहीं मानते कि उन की मातृभाषा पंजाबी है ।

आग आयोग ने कहा है कि अकाली दल न। जाबी भाषा भाषी राज्य में कुछ ऐसे क्षेत्रों की भी मांग की है जिन में पंजाबी नहीं बोली जाती । श्री ग्रियरसन ने अपनी पुस्तक ने पंजाब तथा पेप्सू के कुछ क्षेत्रों को पंजाबी में दिखाया है यदि इन्हीं क्षेत्रों को मिलाकर पंजाबी भाषा भाषी राज्य बना दिया जाय तो हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

इस के बाद मैं पैरा ५३५ और ५३७ को लेता हूं । आयोग ने बताया है कि पंजाबी भाषा भाषी राज्य बनाने से समस्या का हल नहीं होगा । पर यह कहना गलत है । क्या आयोग ने जो नया राज्य बनाने की सिफ़ारिश की है उससे समस्या हल हो जायगी ? इस समय पंजाब में भाषा तथा लिपि का झगड़ा है । हिमाचल प्रदेश की भाषा और वहां की संस्कृति बिल्कुल भिन्न है । पेप्सू की भाषा पंजाब के भाषा सूत्र से भिन्न है । हिमाचल प्रदेश के लोग पंजाबी नहीं बोलते अतः ऐसे क्षेत्रों को एक में करने से कोई लाभ न हो कर गड़बड़ी ही होगी ।

प्रतिवेदन के पृष्ठ १४६ पर पैरा ५१९, ५३९ और ५४० में आयोग ने कहा है कि पंजाबी भाषा भाषी राज्य बनाने से किसी समस्या का हल नहीं होगा क्योंकि उसे जनता का समर्थन प्राप्त नहीं है और न इस से झगड़े के कारण ही समाप्त होंगे । तीसरी बात जो आयोग ने कही है यह है कि इसके बनाने से न तो साम्प्रदायिक और न भाषा की समस्या हल होगी बल्कि इस से अशान्ति बढ़ जायेगी । पर मैं समझता हूं कि ये समस्याएं पंजाबी भाषा भाषी राज्य न बनाने के कारण और आयोग द्वारा सुझाव दिये गये राज्य को बनाने से ही पैदा होंगी । जहां तक जनता के समर्थन का प्रश्न है यदि पंजाब और पेप्सू के उस क्षेत्र की जनता जिसे पंजाब सरकार पंजाबी भाषा भाषी क्षेत्र मानती है का जनमत लिया जाय तो उसका जो कुछ भी परिणाम होगा उसे हम स्वीकार करने को तैयार हैं । यह झूठा प्रचार है कि जनता पंजाबी भाषा भाषी राज्य के पक्ष में नहीं है । हरियाना की जनता, पंजाब की जनता और ३८ लाख सिख महा-पंजाब के विरुद्ध हैं ।

दूसरी बात जो मतभेद न दूर होने की है उस के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि पंजाबी भाषा भाषी राज्य बनाने से सभी मतभेद व झगड़े दूर हो जायेंगे । आयोग ने कहा है कि पंजाब की जनता पंजाबी को अपनी भाषा नहीं स्वीकार करती और उसके साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती । पर मैं पूछता हूं कि आयोग ने हिमाचल प्रदेश और हरियाना को जबरदस्ती एक साथ रखने की सिफारिश क्यों की है ? अतः मैं समझता हूं कि यदि पंजाबी भाषा भाषी राज्य बना दिया जायगा तो सभी मतभेद और झगड़े समाप्त हो जायेंगे ।

जहां तक साम्प्रदायिक और भाषा सम्बन्धी समस्या का सम्बन्ध है हिमाचल प्रदेश के लोग पहाड़ी भाषा बोलते हैं । हरियाना के लोग एक भिन्न भाषा बोलते हैं । पंजाब में हिन्दी और पंजाबी बोली जाती है । अतः इन सभी को मिला देने से पंजाब की साम्प्रदायिकता इन स्थानों में भी फैल जायेगी । अतः पंजाबी भाषा भाषी राज्य बनाना ही एक ऐसा इलाज है जिससे इस समस्या का समाधान हो सकता है ।

जहां तक तनाव का सम्बन्ध है तनाव तभी समाप्त होगा जब साम्प्रदायिकता समाप्त हो जायेगी । मैं पूछता हूं कि जब अन्य राज्यों के सम्बन्ध में एक भाषा का आधार माना गया है तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाना की जनता के सम्बन्ध में वह आधार क्यों काम में नहीं लाया जाता ? मैं चाहता हूं कि इस भेदभाव को दूर कर के उत्तर भारत के राज्यों के लिए भी एक भाषा के सिद्धान्त का प्रयोग किया जाय ।

पंजाब, पेप्सू और हिमाचल प्रदेश की धारासभाओं में आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा करते समय उन्होंने अपना निर्णय प्रतिवेदन की सिफ़ारिशों के विपक्ष में दिया है अतः उत्तर भारत में भी महा हिमाचल प्रदेश महा दिल्ली या हरियाना और पंजाबी भाषी भाषी प्रदेश बनाये जायें ।

मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अन्य राज्यों के मसलों की भांति पंजाबी भाषा भाषी राज्य के मामले को भी सरकार अपने हाथ में ले क्योंकि यह एक भिन्न प्रश्न नहीं है । और पंजाबी भाषा भाषी राज्य की सीमा को भी मान्यता प्राप्त हो चुकी है ।

कल माननीय गृह कार्य मंत्री ने भाषण देते समय कहा था कि बचाव और रक्षा की बात की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है । मैं कहना चाहता हूं कि भूतकाल में कुछ बचाव और सुरक्षा वहां के अल्पसंख्यकों के लिये दिये गये थे पर वहां की सरकार ने उनका उल्लंघन किया अतः तब तक वहां की जनता की सुरक्षा और बचाव नहीं हो सकता जबतक कि इन्हें कार्यान्वित न किया जाय अर्थात् पंजाबी भाषा भाषी राज्य का निर्माण न किया जाय ।

श्री टेक चन्द (अम्बाला–शिमला) : मैं आयोग के सदस्यों को बधाई देता हूं जिन्होंने यह प्रतिवेदन तैयार किया है । पंजाब, पेप्सू और हिमाचल प्रदेश के सम्बन्ध में उन्होंने जो सिफारिशें की हैं मैं उन का समर्थन करता हूं । कुछ लोगों ने बड़ी गरमी और उत्तेजना से इस सिफारिश पर विचार प्रकट किये हैं । उन की आलोचनायें प्रतिक्रियात्मक हैं और उत्तेजनात्मक हैं । अतः हमें ध्यानपूर्वक और शान्ति से इस पर, सभी बड़े पहलुओं को ध्यान म रख कर, विचार करना चाहिए ।

आयोग ने सब से अधिक महत्वपूण एक बात जो अपने ध्यान म रखी है वह है राष्ट्र की महत्ता और सुरक्षा । अन्य किसी भी बात के सामने इन दो बातों की महत्ता कम नहीं की जा सकती चाहे वह कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों न हो । इस के लिए आवश्यक है कि

[श्री टेक चन्द]

आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर तथा ठीक प्रकार से शासन करने योग्य बड़े राज्य बनाये जायें ।

पंजाब के बारे में कई प्रकार की समस्यायें हैं । पर वे जानबूझ पर बनाई गयी हैं । 'संस्कृति' और 'भाषा का मतभेद' की बातें उठाई गई हैं । जहां तक पंजाबी भाषा का प्रश्न है जब वह मुसलमानों द्वारा लिखी जाती थी तो उर्दू में और जब हिन्दुओं द्वारा लिखी जाती थी तो हिन्दी में और सिख उसे गुरुमुखी में लिखते थे । पंजाबी भाषा के साहित्य की बात कही जाती है पर उसका कोई अच्छा साहित्य नहीं है । पंजाबी साहित्य की अच्छी अच्छी पुस्तकें उर्दू और हिन्दी में ही लिखी गयी हैं । जालंधर डिवीजन से जहां की भाषा पंजाबी भाषा मानी जाती है हिन्दी की परीक्षा में बैठने वालों और परीक्षाओं में हिन्दी के माध्यम से उत्तर देने वाले विद्यार्थियों की संख्या गुरुमुखी की परीक्षाओं में बैठने और गुरुमुखी के माध्यम से उत्तर देने वाले विद्यार्थियों से बहुत अधिक है । अतः हिन्दी लिपि के अलावा आप गुरुमुखी लिपि को भी स्वीकार कर लें इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

हिन्दुओं और सिक्खों को अलग नहीं माना जा सकता । उनका धर्म, उन की भाषा और उन के रीति रिवाज सभी एक से हैं । अतः उनमें भेद मानना कल्पना की बात है या उन लोगों की बात है जो दोनों में फूट डालना चाहते हैं । यह कहा गया है कि पंजाब सिक्खों की मातृभूमि है उनका वतन है पर मैं समझता हूं कि पंजाब केवल सिक्खों का ही नहीं प्रत्येक भारतीय का वतन है । पंजाब को सिक्खों का वतन कहना एक खतरनाक बात है । यदि पंजाब सिक्खों का वतन है तो क्या पंजाब उन लोगों का वतन नहीं है जो पंजाब में रहते हैं और सिक्ख नहीं हैं । यह बात भी कही गयी कि सिक्खों को बहुसंख्यक समुदाय द्वारा सताया जाता है और उनके अवसर छीने जाते हैं । सिक्खों की जनसंख्या देश की जनसंख्या की १.७२ प्रतिशत है पर नौवल में उनकी संख्या ८.९ प्रतिशत, वायुबल म १४.५ प्रतिशत और सेना के पदों में २१.७ प्रतिशत है । मुझे इस से कोई शिकायत नहीं है पर मैं यह बताना चाहता हूं कि उन के साथ कोई अन्याय नहीं किया गया है । अगर उन को प्रतिनिधित्व कम मिला है तो सरकार और देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह उन के अधिकार को दिलाये ।

एक बात और ध्यान देने योग्य है । मैं किसी विशेष समुदाय के बारे में नहीं कह रहा हूं । मैं तो दलों के नेताओं के बारे में कह रहा हूं । पंजाब के साम्प्रदायिक नेता अपने स्वार्थ के लिए, अपने दल के प्रभाव के लिए तथा अपनी राजनैतिक स्थिति को जमाने के लिए जनता को गलत मार्ग दिखा रहे हैं । जनता के बीच कोई आपसी मतभेद या विरोध नहीं है । उनके बीच विरोध पैदा किया जा रहा है । सत्याग्रह, प्रत्यक्ष कार्यवाही और हिंसा की धमकियां दी जा रही हैं । इस में कोई सन्देह नहीं कि साम्प्रदायिक समाचारपत्रों में दोनों जातियों के भाषणों की सूचनाओं और उन के लेखों से यह सिद्ध होता है कि ये लोग अपने साधारण क्षुद्र स्वार्थ के लिये और अपना व्यक्तिगत महत्व स्थापित करने के लिये इन दो जातियों को आपस में लड़ाना चाहते हैं और उन्हें समाप्त कर देना चाहते हैं । मैं विशेषकर पंजाब के हिन्दू और सिखों के बारे में एक बात कहना चाहता हूं । मास्टर तारा सिंह ने कहा है कि हिन्दू और सिख एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं; गुरु गोविन्द सिंह और गुरु तेग बहादुर ने हिन्दू धर्म की रक्षा के लिये अपने जीवन बलिदान किये हैं । यदि मास्टर तारा सिंह का यह विश्वास है, तो झगड़ा किस बात का है । सेठ गोविन्द दास ने कहा है कि वे भाई-भाई हैं । एक दूस-

वक्ता ने कहा कि हिन्दू और सिखों का धर्म एक सा है और उन का धर्म हिन्दू धर्म है । किन्तु कुछ नेताओं ने जिस भाषा का उपयोग किया है उस का समर्थन नहीं किया जा सकता । मालूम होता है कि वे देश की सुरक्षा को नष्ट करने के लिये कटिबद्ध हैं । भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री ग्यान सिंह राड़ेवाला ने कहा है कि आयोग का प्रतिवेदन सिखों के लिये मृत्यु का आह्वान है । अकालियों के साधारण सचिव कहते हैं कि इस प्रतिवेदन के अनुसार न केवल सारे सिखों का अस्तित्व खतरे में है बल्कि सिख धर्म भी खतरे में है । आगे एक राज्य के कांग्रेसी मंत्री कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश का पंजाब में मिलाये जाने का अर्थ हिमाचलियों की मृत्यु है और लोग पूरी तौर से उस का विरोध करेंगे । यह गैर-जिम्मेदारी की भाषा है जिसका प्रयोग उन्होंने अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिये, साधारण व्यक्ति की सुख शांति नष्ट करने और उन लोगों में मतभेद पैदा करने के लिये किया है ।

जहां तक हिमाचल प्रदेश का सम्बन्ध है, वहां के निहित हितों ने आतंक उत्पन्न किया है वहां के कुछ नेता, जो कि किसी प्रकार अपना महत्व स्थापित करना चाहते हैं, यह चाहते हैं कि हिमाचल के लोग मताधिकार का उपयोग न करें और हिमाचल राज्य के रूप में न रह कर केवल एक भू-भाग ही रह जाय । ऐसा कहने का कारण यह है कि जब वह प्रत्यक्ष केन्द्र द्वारा प्रशासित होगा तो उन्हें मंत्रणा परिषद् में स्थान मिलेगा और इस प्रकार उन्हें लाभ होगा । आगे यह कहा गया है कि वे एक भिन्न भाषा बोलते हैं जैसे कि वे विदेशी हैं । वे कहते हैं कि उन की एक पहाड़ी भाषा है । मैं दावे के साथ कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भागों से छः आदमी खड़े किये जायें और उन में से एक अपनी भाषा बोले और आप देखेंगे कि दूसरे पांच उसे न समझ पायेंगे । इस का कारण यह है कि अविकसित होने के कारण उन का क्षेत्र बहुत अधिक सीमित था और वे अधिक दूर नहीं जा सके । किन्तु मैं एक बात यह कहूंगा कि यदि हिमाचल अलग रखा गया, तो सरकार पंजाब के प्रति अनुचित कार्य करेगी । मैं चाहता हूं कि सरकार भारत के उत्तरी भाग के नक्शे की ओर एक बार फिर देखे । हिमाचल न केवल पंजाब या जम्मू और काश्मीर का वरन उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और आसाम का भी सिरताज है । इन भागों के पहाड़ी क्षेत्रों में एक सी भाषा नहीं बोली जाती फिर भी हिमाचल को उत्तर प्रदेश में मिलाने की या उन भागों के पहाड़ी राज्य को बिहार के उत्तर में या बंगाल में, या आसाम में मिलाने की कोई मांग नहीं है । वांछनीयता और आपात के विचारों के आधार पर इन छोटे छोटे राज्यों को तात्कालिक समय के लिये हिमाचल नाम के एक राज्य के अन्तर्गत एक नाम रखा गया था । इस प्रकार उन्होंने एक भिन्न राज्य का पद प्राप्त कर लिया जिसे वे आज केन्द्र द्वारा प्रशासित प्रदेश के पद के लिये छोड़ने को तैयार हैं ।

अतः सरकार को मैं यह राय देता हूं कि बहुमत का प्रतिवेदन स्वीकार किया जाना चाहिये और हिमाचल ने ऐसा अधिकार स्थापित नहीं किया है जिससे उस पर एक अलग प्रदेश या एक अलग राज्य के रूप में विचार किया जाये । दूसरा प्रश्न यह है कि वित्तीय दृष्टिकोण से क्या वह आत्म निर्भर है । हिमाचलियों को यह डर है कि पंजाब उन्हें आत्मसात करने जा रहा है । कठिनाई यह है कि वे अविकसित हैं । मैं यह मानता हूं कि पिछड़े हुए होने के कारण वे अपने विकास के लिये चिन्तित हैं । अतः मेरी राय में उनके विकास के लिये वे अपने अनुपात के अनुसार जितनी धन राशि के लिये हकदार हैं उससे दूनी धन राशि उनके लिये दी जाये ।

यह प्रतीत होता है कि जिन लोगों ने इस प्रतिवेदन की आलोचना की है उन्होंने परित्राणों का विवेचन करने वाले भाग को

[श्री टेक चन्द]

अच्छी तरह नहीं देखा है । उसमें प्रत्येक यथासंभव परित्राण का उपबन्ध है जिससे भाषा संबंधी धार्मिक या प्रादेशिक अल्प संख्यकों को कोई हानि न हो ।

किसी राज्य की सरकार या संघ सरकार यह नहीं चाहती कि पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास न किया जाय । मेरा यह मत है कि पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिये चाहे वे हिमाचल जैसे वास्तव में पिछड़े हुए हों या हरियाना जैसे आधे-पिछड़े क्षेत्र हों, पर्याप्त निधियां दीं जानी चाहिये ।

इस प्रकार, अलग हिमाचल या अलग हरियाना बनाने या पंजाब को विभाजित करने या शेष पंजाब से पेप्सू को निकाल देने के लिये कोई उचित आधार नहीं रखा गया है । संयुक्त पंजाब में २९ जिले थे और जन संख्या ३ करोड़ थी । बहुमत प्रतिवेदन के अनुसार आप १.७२ करोड़ जन संख्या का एक राज्य बना रहे हैं । यदि इस राज्य को और आगे तीन इकाइयों में विभाजित करने का सरकार का आशय हो क्योंकि कुछ लोग अपने अपने स्थानीय क्षेत्रों में प्रभुत्व जमाना चाहते हैं, तो उससे आप अपने प्रति ही अन्याय करेंगे ।

अन्त में मैं भारत सरकार को यह राय दूंगा कि यदि आंदोलन हो, तो उसे दबाने के लिये उचित ढंग अपनाये जायें और आंदोलन के सामने आत्मसमर्पण न किया जाय, अन्यथा वह एक बुरा पूर्वदृष्टान्त स्थापित हो जायगा । साथ ही जहां सिद्धान्त का विषय हो, कोई समझौता किया जाय । जो वास्तव में किसी निर्योग्यता के अधीन हो, उनके हितों की ओर ध्यान दिया जाय और उनके साथ अच्छा और उदारतापूर्ण व्यवहार किया जाये ।

इसके पश्चात लोक-सभा शुक्रवार १६ दिसम्बर, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुइ ।

दैनिक संक्षपिका

[गुरुवार, १५ दिसम्बर, १९५५]

स्तम्भ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ७५४७

स्तम्भ

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . ७५४७

बयालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।